खण्ड-400, अंक-9
सोमवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1912
(25 फरवरी, 1991 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 400 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
य	
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर ..	1–110
दिनांक 22 फरवरी, 1991 को लखनऊ में युवा जनता दल पर हुए लाठी चार्ज के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	110–118
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	119
नियम 301 की सूचनायें (जारी)	119
सदन के संचालन हेतु श्री अध्यक्ष के सुझाव	120
श्री रविदास मेहरोत्रा का निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	122
नियम 301 की सूचानायें	123
आई0 टी0 आर0 कम्पनी सीपीगंज बरेली के कर्मचारियों द्वारा 11 सूत्री मांगो को लेकर किये जा रहे आन्दोलन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद मिर्जापुर की चुनार तहसील में महाविद्यालय खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124
दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पहाड़पुर में गन्ना क्रय केन्द्र खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124
विद्युत वितरण खण्ड प्रथम जनपद आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद फिरोजाबाद में इण्टरमीडिएट तक के छात्रों की फीस माफी सम्बन्धी सरकारी घोषणा के बाद फीस वसूली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
बदायूं नगर में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद फर्रुखाबाद की तहसील सदर की ग्राम बल्ली पट्टीरानी में गंगा नदी के कटान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	126
नत्थियां	127–135

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 1991

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 1 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

1.	अचल सिंह, श्री	फतेहपुर
2.	अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
3.	अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
4.	अनवार मो0 खां, श्री	फर्रुखाबाद
5.	अनिल कुमार भारद्वाज, श्री	रामपुर
6.	अमर पाल सिंह, श्री	मेरठ
7.	अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
8.	अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
9.	अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
10.	अशोक कुमार, श्री	बिजनौर
11.	इन्दल सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
12.	उमाकान्त बाजपेयी, श्री	फतेहपुर
13.	उमानाथ सिंह, श्री	जौनपुर
14.	ओंकार सिंह, श्री	एटा
15.	ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
16.	ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
17.	कप्तान सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
18.	कमला साहनी, श्रीमती	सिद्धार्थनगर
19.	कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी
20.	करन चन्द्र सिंह, श्री	नैनीताल
21.	काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
22.	किशोरी लाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
23.	कृपा शंकर आर्य, श्री	देवरिया
24.	कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती
25.	केदार नाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
26.	केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
27.	गंगाराम, श्री	बुलन्दशहर
28.	गोवर्धन सिंह, श्री	एटा
29.	जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
30.	जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा

31.	जयसिंह यादव, श्री	प्रतापगढ़
32.	जौहरी लाल त्रिवेदी	कानपुर
33.	तेजपाल, श्री	बिजनौर
34.	देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
35.	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
36.	धर्मवीर सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
37.	नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
38.	निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
39.	नेमपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
40.	पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
41.	प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
42.	बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तर काशी
43.	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
44.	बलदेवा सिंह, श्री	बिजनौर
45.	बहादुर सिंह, श्री	आगरा
46.	बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी
47.	भारत सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
48.	भूधर नारायण मिश्र, श्री	कानपुर
49.	मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
50.	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
51.	महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	इलाहाबाद
52.	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
53.	मोवीन अहमद आजमी, श्री	मऊ
54.	मौहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
55.	युवराज सिंह, श्री	हमीरपुर
56.	रतनलाल अहिरवाहर, श्री	झांसी
57.	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
58.	रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री	बुलन्दशहर
59.	रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
60.	रवीन्द्र सिंह चौहान, श्री	इटावा
61.	राकेश कुमार पालीवाल, श्री	फिरोजाबाद
62.	राजधारी, श्री	बलिया
63.	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
64.	राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
65.	राजेश्वर बंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
66.	राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
67.	राम औतार मिश्र, श्री	शाहजहांपुर
68.	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
69.	राम छवीला मिश्र, श्री	देवरिया
70.	राम तेज, श्री	बहराइच
71.	राम दुलारे सिंह, श्री	इलाहाबाद

72.	राम मूरती सिंह, श्री	शाहजहांपुर
73.	राम लखन वर्मा, श्री	फैजाबाद
74.	राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
75.	राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
76.	राय लक्ष्मी नारायन सिंह, श्री	जौनपुर
77.	रिछपाल सिंह बंसल, श्री	मेरठ
78.	रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री	गोण्डा
79.	रूद्र प्रसाद, श्री	मिर्जापुर
80.	रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
81.	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
82.	विशुन दयाल, श्री	बहराइच
83.	वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
84.	वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
85.	वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
86.	शारदा प्रसाद रावत, श्री	गोरखपुर
87.	शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री	जालौन
88.	श्याम नारायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
89.	संत बख्श रावत, श्री	लखनऊ
90.	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
91.	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
92.	सियाराम सागर, डा0	बरेली
93.	सी0 जी0 इनिस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
94.	सुखबीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
95.	सुबास, श्री	मऊ
96.	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
97.	हनुमन्त सिंह, श्री	गोण्डा
98.	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
99.	हर नारायण, श्री	पीलीभीत
100.	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
101.	हरिवंश कपूर, श्री	देहरादून
102.	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
103.	हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर
104.	होशियार, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 1991

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

(गणपूर्ति के अभाव में सदन का कार्य 1 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुआ।)

प्रदेश में हरिजन एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित हरिजन विद्यालयों के अध्यापकों को पेंशन बीमा आदि की सुविधाएं

1--श्री राजित प्रसाद यादव--क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे प्रदेश के सभी हरिजन विद्यालयों के अध्यापकों को पेंशन व बीमा इत्यादि की सुविधाएं दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे सभी हरिजन अध्यापकों को उक्त सुविधा दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (अवधेश प्रसाद)--जी नहीं । विभाग द्वारा हरिजन विद्यालय संचालित नहीं किये जाते, अपितु स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को विभाग केवल आर्थिक अनुदान देता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(प्रश्न का मूल उत्तर मंत्री जी द्वारा सदन में पढ़ा गया, और तदुपरान्त)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)--राजित प्रसाद यादव सदन में है ही नहीं, फिर भी आपने मंत्री जी से उत्तर कैसे पढ़वा दिया । यह लिया ही नहीं जाना था ।

श्री पंचानन राय--आपने जब एक बार उत्तर पढ़वा दिया है, तो उस पर मैं पूरक प्रश्न करने ही होंगे यह हमारा अधिकार है । आपको पहले देखने का अधिकार है ।

श्री विजय सिंह राणा--माननीय, मेरा एक व्यवस्था का महां प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--हां, अच्छा ठीक है, पंचानन राय जी ।

श्री पंचानन राय--सरकार भाषण देते-देते इस बात से अपनी हट गयी कि वह हरिजनों और पिछड़ों का उत्थान करेगी । हरिजन कल्याण विभाग द्वारा, जो स्वयं सेवी

संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय हैं, उनके सभी अध्यापकों को पेंशन देने की इसमें बात है, लेकिन हरिजन कल्याण विभाग द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं उनके अध्यापकों को न चयन वेतनमान और न प्रोन्नत वेतनमान दिया गया है और इतना ही नहीं उनके अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें पुनः हरिजन श्रेणी में रहना पड़ेगा यानी कि उन्हें कोई पेंशन आदि देय नहीं होगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि हरिजन विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के साथ यह दोहरा माप दण्ड अपनाने का क्या कारण है ?

श्री अवधेश प्रसाद---श्रीमन्, माननीय राय जी बहुत ही सीनियर मेम्बर इस सदन के हैं, मैंने अपने उत्तर में यह बताया है कि हमारे विभाग द्वारा हरिजन पाठशालायें संचालित हैं ही नहीं। जो संस्थायें हैं वह स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित हैं जिनको आवर्तक सूची में लाकर अनुदान दिया जाता है, तो अगर यह सवाल के मूल भाव को देखें तो इनकी जो शंका है वह निर्मूल साबित हो जाएगी।

(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार---मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा स्वैच्छिक संस्थायें हैं उनको अनुदान देते हैं, लेकिन यह स्वैच्छिक पाठशालायें हरिजनों के लिए चलाई जाती हैं और अध्यापकों की नियुक्ति हैड क्वाटर से स्वीकृति लेकर होती है, तो उनको क्या पेंशन देने का प्राविधान करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद---इन अध्यापकों की नियुक्ति शासन द्वारा नहीं होती है इनकी नियुक्ति प्रबन्ध तन्त्र द्वारा होती है। शैक्षिक संस्था के प्रबन्ध तन्त्र से नियुक्ति होती है।

(व्यवधान)

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पेंशन योजना और बीमा योजना यह लागू नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह जो ट्रेन्ड अध्यापक इन पाठशालाओं में कार्य करते हैं उनको पेंशन देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद---जो स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय हैं उनको आवर्तक अनुदान देकर वेतन दिया जाता है। जहां तक वेतन पूरा न करने का प्रश्न है तो इसमें बताना चाहूंगा कि एक ज्वाइन्ट खाता खोलते हैं स्वैच्छिक संस्था के प्रबन्धक और हरिजन समाज कल्याण के अधिकारी का ज्वाइन्ट एकाउन्ट होता है और इसके आधार पर चेक के द्वारा वेतन का भुगतान होता है, आदरणीय सदस्य किसी पर्टिकुलर केस की जानकारी दें तो हम जांच करा लेंगे और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। माननीय सदस्य इसको लिखकर दे दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय वर्मा जी आप बैठ जाएं इससे महत्वपूर्ण और प्रश्न आएंगे उसमें हम आपको समय देंगे आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

प्रदेश में विकास खण्डों एवं ग्राम सभाओं के सृजन पुनर्गठन का प्रस्ताव

**2--श्री कुंवर सिंह नेगी---क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकास खण्डों एवं ग्राम सभाओं का नवसृजन करने तथा इनका पुनर्गठन करने पर शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री- -(श्री गौरी शंकर भइया)--- जी नहीं ।

वर्ष 1991 की जनगणना के सही ढंग से सम्पादन के हित में राज्य की किसी भी प्रशासनिक इकाई की सीमा में जनगणना सम्पन्न होने तक की अवधि में कोई परिवर्तन न करने के निर्देश दिये गये हैं ।

अतएव फिलहाल किसी भी बिकास खण्ड एवं ग्राम सभा का सृजन/पुनर्गठन करने पर बिचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी---मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जनगणना की वजह से प्रशासनिक इकाई को छोटा नहीं किया जाएगा। जब तक जनगणना का कार्य पूरा नहीं होता है, तो फिर आपने भदोही और पडरौना जिलों का जो सृजन किया है वह किन परिस्थितियों में किया है ?

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि शासन ने प्रशासनिक इकाइयों को छोटी करने के लिये कोई मानक या नीति निर्धारित की है । यदि हां तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं नीति निर्धारित की है ?

श्री गौरी शंकर भइया---मान्यवर, जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है वह इससे संबंधित नहीं है । जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, राजस्व परिषद् की एक कमेटी इस संबंध में बनायी गयी है जो इस संबंध में अपने सुझाव देगी । अभी तक इस कमेटी से किसी प्रकार का सुझाव शासन को नहीं दिया है, इसलिये इस पर विचार करने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---मान्यवर, जिलों, ग्राम सभाओं, विकास खण्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है, जिसको जनगणना के कारण रोक दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि जनगणना के बाद जो आंकड़े प्राप्त होंगे क्या उनके आधार पर ग्राम सभाओं और विकास खण्डों का पुनर्गठन किया जायेगा ?

श्री गौरी शंकर भइया---मान्यवर, जैसा कि विदित है कि जनगणना के कार्य के कारण इस पर विचार नहीं किया जा रहा है और जो प्रस्ताव जिलों से या माननीय सदस्यों से प्राप्त हो रहे हैं उसके लिये एक कमेटी बनायी गयी है । जो इस कमेटी के माध्यम से संस्तुतियां आती हैं उन पर विचार होता है। लेकिन अभी तक इस कमेटी की संस्तुतियां नहीं आयी हैं ।

श्री अकबाल हसन—मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि बोर्ड ऑफ रेवन्यू की एक कमेटी कायम की गयी है जो इस पर विचार करेगी । यह कमेटी सन 1989 से कायम है । विधान सभा की जो याचिका समिति है उसकी भी संस्तुतियां हैं कि नये विकास खण्ड खोले जायं लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है । इसका नतीजा यह होता है कि विकास खण्डों को जो धन आवंटित किया जाता है उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है । कुछ विकास खण्ड ऐसे हैं जहां 40 गांव हैं और कुछ विकास खण्ड ऐसे हैं जहां 125 गांव हैं तो जो बड़े विकास खण्ड हैं उनको पूरा लाभ विकास का नहीं मिल पाता है इसलिये नये विकास खंड सृजित किये जाने की आवश्यकता है । माननीय मंत्री जी क्या इस सदन में नये विकास खण्डों के सृजन के लिये कोई आश्वासन देंगे ताकि जो विचाराधीन मामले हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाय ।

श्री गौरी शंकर भइया—मान्यवर, राजस्व परिषद् को कमेटी इसीलिये बनायी गयी है कि वह सब बातों पर विचार करके शासन को सुझाव दे । अब तक कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं इसलिये विचार करने का सवाल नहीं उठता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, जनगणना के कारण ग्राम सभाओं और ब्लाकों का पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है तो फिर पडारौना तथा मदोही जो दो जिलों की घोषणा की गयी है वह कैसे कर दी गयी है ? यह तो कैबिनेट में डिसीजन होता है । माननीय मंत्री जी भी कैबिनेट में रहे होंगे । तो जब दो जिले बनाये जा सकते हैं तो ग्राम सभाओं और ब्लाकों का पुनर्गठन क्यों नहीं हो सकता है यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री गौरी शंकर भइया—मान्यवर, यह भारत सरकार के आदेश से रोक लगाई गयी है । इस संबंध में प्रक्रिया यह है कि भारत सरकार से जब इजाजत ली जाती है और जब वह इजाजत दे देते हैं, तो इस तरह का काम हम करते हैं । प्रस्तुत मामले पर उनकी इजाजत मांगी गयी है, उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री त्रिलोक सिंह पाल—मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर संबंधित । मान्यवर, कोई विकास खण्ड जिनका संतुलन किन्हीं कारणों से खराब हुआ है, जैसे शहर के आसपास के ब्लाक हैं, उनकी कुछ ग्राम सभायें दूसरे ब्लाक में चली गयी हैं, तो उनके पुनर्गठन पर विचार करेंगे ?

श्री गौरी शंकर भइया—मान्यवर, माननीय सदस्य ऐसा कोई सुझाव देंगे, तो उसे भी राजस्व परिषद् को भेज दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—कृपया सदन को शान्त रखें । आपस में न करें ।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—मान्यवर, लखनऊ जनपद के विकास खण्ड सरोजिनीनगर की गांव सभा बरौली, खलीलाबाद नगर महापालिका में शामिल कर ली गयी है और उसके दो मजरे हैं, पिपरौखेड़ा व बोधनखेड़ा, वे न किसी गांव सभा में हैं और न नगर महापालिका में हैं । इन गांवों को व्यक्तियों के अनुपात से जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जो

धनराशि आवंटित हो रही है, वह भी नहीं मिलती। तो क्या माननीय मंत्री जी इन गांवों को नई गांव सभा बनाने तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जनसंख्या पर पैसा दिलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष––आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री कुंवर सिंह नेगी––मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भौगोलिक क्षेत्र मे जो क्षेत्र बहुत दुर्गम हैं, पटारी क्षेत्र, वहां की परिस्थितियों को देखते हुए, कम जनसंख्या पर विकास खण्ड और ग्राम सभायें बनाने के लिए कोई नीति निर्धारित करेंगे ?

श्री गौरी शंकर भइया––मान्यवर, यह अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में जो कमेटी इस काम के लिए बनाई गयी है, उसमें दूसरे नम्बर पर यह दिया गया है कि किन-किन मामलों पर वह शासन को संस्तुतियां देंगी। तो वह संस्तुतियां यें हैं कि जिले के क्षेत्रफल, भौगोलिक, सामाजिक तथा औद्योगिक स्थिति का परीक्षण करते हुए प्रभारी प्रशासन हेतु जिलों का विभाजन एवं उनका सृजन।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् की समिति ग्राम सभाओं और विकास खण्डों के नव सृजन और पुनर्गठन हेतु जो बनाई गयी है, उसके समक्ष इस उद्देश्य से कौन-कौन से बिन्दु विचारार्थ हैं तथा उसके मानक क्या हैं ?

श्री गौरी शंकर भइया- मान्यवर, जिस बिन्दु पर उनको विचार करना है वह हैं–बड़े मण्डलों को विभाजित कर आवश्यकतानुसार नये मण्डलों का सृजन, जिले के क्षेत्रफल, भौगोलिक, सामाजिक तथा औद्योगिक स्थिति का परीक्षण करते हुए प्रभारी प्रशासन हेतु जिलों का विभाजन एवं उनका सृजन, कौन–कौन सी तहसीलें, प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजन योग्य हैं, उनका विभाजन करने के बाद अथवा कुछ और तहसीलों को मिलाकर तथा आवश्यकतानुसार सीमा पर पड़ने वाली और तहसीलों को लेते हुए पुनर्गठन के बाद इन तहसीलों की सीमा रेखायें क्या होंगी और इनमें कौन–कौन गांव सम्मिलित होंगे, नये मण्डल, जिला तथा तहसीलों के मुख्यालय कहां हों तथा छठा है नये मण्डलों, जिलों तथा तहसीलों के सृजन पर अनुमानित वित्तीय भार समिति की सुविधा हेतु नयी तहसीलों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, ये बिन्दु हैं।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

प्रदेश में औपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर 'शिक्षा प्रसार' को पाठ्यक्रम का अंग बनाये जाने पर विचार

*1––**श्री रघुवर दयाल वर्मा**––क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सरकार अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के स्थान पर "शिक्षा प्रसार" को प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप–रेखा क्या है ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री--(**श्री अशोक बाजपेयी**)--जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है, अच्छी तरह से यह जानते हैं कि अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा में जो एक दोपहर और एक सायंकाल को दो कार्यक्रम चलते हैं, अनपढ़ों को साक्षर बनाने के लिए और यह दोनों कार्यक्रम उपहास बन गये हैं, कहीं पाठशाला चलती नहीं और शिक्षण का कार्य होता नहीं, यदि आप इसको चलाना चाहते हैं, अनपढ़ों को पढ़ा हुआ बनाना चाहते हैं तो इसको प्रसार शिक्षा के नाम पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दें, इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे । क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी--मान्यवर, माननीय वर्मा जी विद्यवान सदस्य हैं शिक्षा विद हैं, अगर शिक्षण के सम्बन्ध में मूल्यवान सुझाव देगें तो मैं उसका परीक्षण अवश्य करूंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---मान्यवर, मैंने आपसे निवेदन किया और निवेदन यह किया कि अनौपचारिक और प्रौढ़ यह दोनों संस्थाएं जहां आप चला रहे हैं उन पर करोड़ों रुपये से ऊपर खर्च हो रहा है और उनका कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आप भी जानते हैं और में भी जानता हूं कि नहीं चल रहे हैं तो इन्हें प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण कार्यक्रम प्रसार शिक्षा के नाम से पाठ्यक्रम में सम्मिलित करा दें । क्या इस विन्दु पर विचार करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी---मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जो भी उनके पूरे सुझाव हैं या जो भी इस सम्बन्ध में कहना चाहते हैं, लिखित रूप से दे दें हम उस पर विचार करेंगे । अब जो जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चल रहे हैं यह कार्यक्रम तो हमारा प्रयास होगा कि प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के कार्य पूरी गति से चले और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वह पूरी हो सकें ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह---मान्यवर, इस सदन के अधिकांश सदस्य जानते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा बिल्कुल बोगस कार्यक्रम है और सरकार का हजारों रुपया इस पर खर्च हो रहा है । हम लोग जानते हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखकर इस पर कोई कमेटी गठित करके जांच करवायेंगे, बेहतर हो कि सदन की एक कमेटी हो (व्यवधान) जो इसको देखे, क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी---मान्यवर, मूल प्रश्न में ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन जो माननीय सदस्यों की जिज्ञासा प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में है तो हम यह प्रयास करेंगे और हमारा यह प्रयास होगा कि यह प्रभावी गति से चले,प्रौढ़ शिक्षा ही नहीं पूरी शिक्षा प्रभावी ढंग से चले ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री--माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में अब तक प्रौढ़ शिक्षा के तहत, अनौपचारिक शिक्षा के तहत लोग शिक्षित किये गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे शिक्षित किये गये लोगों, प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त लोगों की उच्चस्तरीय जांच अब तक की गयी, उन्हें सत्यापित किया गया और उसमें कुछ फाल्स घटनाएं पाई गयी कि उन्हें शिक्षा दी गयी और शिक्षा नहीं प्राप्त हुई। यदि हां तो इस पर कोई कार्यवाही हुई और ऐसे कितने केसेज इस विभाग के अन्तर्गत आये ?

श्री उपाध्यक्ष---यह मूल प्रश्न से हटकर है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा---माननीय, मैं मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---कृपया शांत रहे।

श्री विजय सिंह राणा---माननीय, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में जो प्रश्न किया और "शिक्षा प्रसार" को प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम में सम्मिलित करने का सवाल उठाया, तो प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या माननीय मंत्री जी उससे संतुष्ट हैं। यदि नहीं, तो माननीय वर्मा जी के सुझाव को मानने में क्या आपत्ति है और यदि आपत्ति नहीं है तो क्या कोई अन्य कार्यक्रम या व्यवस्था आप लागू कर रहे हैं?

श्री अशोक बाजपेयी---माननीय, माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है, प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में, उसका स्वागत है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाकर इस कार्यक्रम को लागू करने का मन्तव्य यह था कि जो लोग समय पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके उसको इसके माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। जो बच्चे स्कूल नहीं जा सके उनको अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में आपत्ति है कि यह कार्यक्रम अच्छी तरह से नहीं चलाया जा रहा है। हमारा प्रयास होगा कि प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा समाज की इच्छाओं के अनुरूप चलें और अपने लक्ष्य को पूरा करें। राणा साहब कोई मूल्यवान सुझाव देंगे तो मैं उनका अनुग्रहीत हूंगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---माननीय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सदन की भावनाओं को जानकर वे इस तथ्य से अवगत हो गये कि प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम उस तरह से नहीं चल रहा है जिस प्रकार चलाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इसमें भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और इसके पाठ्यक्रम के लिये कोई समिति बनाकर उसे प्रसार कार्यक्रम से जोड़ने के लिये शैक्षणिक संस्थाओं के पाठ्यक्रम में जोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी---माननीय, योजना और कार्यक्रम दो अलग-अलग चीजें हैं। यह योजना निश्चित रूप से उपयोगी है, लेकिन कार्यान्वयन में कमियां हैं। इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। माननीय वर्मा जी के सुझाव के सम्बन्ध में कोई सोच हो तो अवगत करा दें। मैं चाहूंगा कि माननीय वर्मा जी प्रौढ़ शिक्षा से जुड़ें।

प्रदेश सरकार द्वारा जूनियर हाई स्कूल तक के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की नीति

*2--**डा0 दिनेश जौहरी**-- क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा मान्टेसरी व प्राइवेट बेसिक प्राइमरी स्कूलों तथा जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता दिये जाने की कोई नीति निर्धारित की गई हैं ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या इस समय मान्यता के लिय हजारों स्कूलों के मामले लंबित है ? यदि हां, तो उनके बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अशोक बाजपेयी--शासन द्वारा केवल अशासकीय पूर्व माध्यमिक बिद्यालयों (जू0 हाई स्कूल) की मान्यता के लिये नई नीति निर्धारित की गई है ।

उक्त नीति का प्राविधान शासनादेश संख्या 937/15-6-90-18 एस (7)/89 दिनांक 2-7-90 में किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा0 दिनेश जौहरी--मान्यवर, मान्टेसरी व प्राइवेट बेसिक प्राइमरी स्कूलों तथा जूनियर हाई स्कूलों को मान्तयता प्राप्त करने के लिये बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है और उन्हें बहुत देर में मान्यता मिल पाती है । मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर में जिस शासनादेश का उल्लेख किया है, जो दिनांक 2-7-90 को जारी किया है, वह क्या है ? इसके तहत कितने विद्यालयों को मान्यता मिली है और कितने लम्बित है ?

श्री अशोक बाजपेयी--मान्यवर, जिस शासनादेश को जानना चाहा है, वह इस प्रकार है :--

आवेदन की अर्हता--शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखने वाले व्यक्तियों या उनकी किसी समिति द्वारा अशासकीय बेसिक विद्यालय चलाये जा सकते हैं । यदि उनका शिक्षण उपयुक्त हो तथा आवश्यक न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही रही हो तो संस्था के प्रबन्ध द्वारा आवेदन करने पर परिषद द्वारा संस्था को मान्यता प्रदान की जा सकती है । प्रतिबन्ध यह है कि :--

(1) संस्था द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में विद्यालय की आवश्यकता हो तथा

(2) संस्था पंजीकृत हो तथा तिथि नवीनीकृत हो ।

मान्यता के बिद्यालयों के स्तर--किसी अशासकीय बेसिक विद्यालय की मान्यता निम्न प्रकार की संस्था के रूप में प्रदान की जायेगी :--

(क) नर्सरी विद्यालय (नर्सरी स्तर की दो कक्षायें तथा प्राथमिक स्तर की जांच कक्षायें) ।

(ख) प्राथमिक विद्यालय (प्राथमिक स्तर की पांच कक्षायें) ।

(ग) पूर्व माध्यमिक विद्यालय बालक बालिकायें (पूर्व माध्यमिक स्तर की तीन कक्षायें)

टिप्पणी--पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के साथ प्राथमिक स्तर की कक्षायें संलग्न करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी । अतः एक ही संस्था द्वारा संचालित पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक स्तर की कक्षायें हेतु अलग-अलग मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

मान्यता की श्रेणी--अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता प्रदान करने की दो श्रेणियां होगी "अ" तथा "ब" । "अ" श्रेणी में उन स्कूलों को मान्यता दी जायेगी जो सारे निर्धारित मानक पूरे करते हों । केवल "अ" श्रेणी के मान्यता प्राप्त विद्यालय मान्यता की तिथि से वर्षानुक्रम में अनुदान सूची पर आने के लिए आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे ।

मान्यता समिति --"अ" तथा "ब" श्रेणी की मान्यता सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित समिति द्वारा दी जायेगी :--

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्,--अध्यक्ष

संबंधित मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक--सदस्य

संयुक्त शिक्षा सचिव, बेसिक परिषद्,---सदस्य सचिव

टिप्पणी---संबंधित जनपद के जितने जूनियर हाई स्कूलों द्वारा मान्यता हेतु आवेदन पत्र भेजे जायेगें उन सभी का परीक्षण संबंधित मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा :---

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक---अध्यक्ष

संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी---सदस्य

मण्डलीय मुख्यालय जनपद के दीक्षा विद्यालय का प्रधानाध्यापक या

प्रधानाध्यापिका---सदस्य

उपर्युक्त समिति मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर उन्हें "अ" तथा "ब" श्रेणी में मान्यता दिये जाने की संस्तुति सहित संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० इलाहाबाद को प्रेषित करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें ।

श्री पंचानन राय—मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री साहब सिंह---मान्यवर, माननीय राय साहब की देशभक्ति का सर्टिफिकेट जारी होना चाहिये, क्योंकि जो बोलते हैं उन्हें देशद्रोही कहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--आपस में बात न करें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री उपाध्यक्ष--इसे जौहरी साहब ही कह सकते हैं क्योंकि मानक उन्होंने जानना चाहा है। जौहरी जो माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए कुछ कहेंगे ?

डा0 दिनेश जौहरी--मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी ने उस शासनादेश को इस उत्तर के साथ संलग्न कर दिया होता तो कोई दिक्कत न होती। मैं अनुरोध करूंगा कि वह हमें शासनादेश भिजवा देंगे। जितना पढ़ दिया वह संज्ञान में आ ही गया।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब से शासनादेश लागू हुआ है इसके बाद से कितने स्कूलों को प्रदेश में मान्यता मिली है और कितने लम्बित हैं ?

श्री अशोक बाजपेयी--मान्यवर, प्रदेश में गर्व के साथ कहता हूं कि एक भी विद्यालय का मामला लम्बित नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ--मान्यवर, पहले मान्यता बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर जूनियर हाई स्कूल स्तर तक निर्गत की जाती थी। क्या पुनः उस आदेश को लागू करने की व्यवस्था माननीय शिक्षा मंत्री जी करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी--ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट--मान्यवर, यह जो प्राइवेट बेसिक स्कूल्स हैं, इनको किस नीति के तहत मान्यता दी गयी है ?

श्री अशोक बाजपेयी--मान्यवर, 20 जुलाई, 1990 से नयी व्यवस्था लागू की गयी है उसके पहले बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा...

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट--मान्यवर, मैंने यह पूछा है कि वर्तमान में प्राइवेट बेसिक स्कूल्स किस नीति के तहत चल रहे हैं ?

श्री अशोक बाजपेयी--मान्यवर, इसमें जिला स्तर से मान्यता मिलने का प्राविधान है।

प्रदेश शासन द्वारा बेसिक /माध्यमिक शिक्षा के विकेन्द्रीकरण की योजना

*3--**श्री हृदय नारायण, श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री मुक्ति नाथ**--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक माध्यमिक शिक्षा का विकेन्द्रीकरण किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुक्ति नाथ––मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बेसिक स्कूलों को खोलने के लिए माननीय सदस्यों से जो सहयोग नहीं लिया जा रहा है और जिस कारण से तमाम अव्यवस्था हो रही है, इसके सम्बन्ध में उसके समाधान के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री अशोक वाजपेयी––मान्यवर, माननीय सदस्य कोई ऐसा मामला लायें जिसको देखकर हम उसका हल निकाल सकें ।

श्री हृदय नारायण––मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज जो शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आयी है, जैसे अध्यापकों की गैरहाजिरी, शिक्षा में गिरावट इत्यादि , इन सबको देखते हुए क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कोई व्यवस्था ऐसी बनायी है जिससे सुधार लाया जा सके ? दूसरा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सार्वजनिक बयान दिया था कि हम बेसिक शिक्षा के ढांचे को ब्लाक स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अशोक वाजपेयी––मान्यवर पहले प्रश्न में जो माननीय सदस्य ने जिज्ञासा व्यक्त की है उससे मैं भी सहमत हूं। शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में आज गिरावट आयी है लेकिन हमारा यह निरन्तर प्रयास रहेगा कि हम इसको गिरन न दें । इसके लिय हमने 26 जनवरी को शिक्षा उन्नयन पखवारा मनाया है और यह 15 दिन तक चला। परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए प्रभावी निर्णय लिये जा रहे हैं। परीक्षा केन्द्रों में धारा 44 लगाकर नकल को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और जो नकल में लोग दोषी पाये जा रहे हैं उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है । दूसरे प्रश्न के बारे में यह सही है कि हम शिक्षा का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं. लेकिन व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण का निर्णय शासन के पास विचाराधीन है और प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए और शिक्षा को संवेदनशील बनाने के लिए विकेन्द्रीकरण पर विचार किया जा रहा है । इस संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार चल रहा है।

श्री हरिवंश सहाय ––क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि देवरिया के सभी विकास खंडों में शिक्षा सलाहकार समिति ने जिन स्थानों पर विद्यालय खोलने के लिय प्रस्ताव किया था और जिसको शिक्षा समिति ने रद्द कर दिया था, तो क्या शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर ही विद्यालय खुलवाने के आदेश पुनः जारी करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी––मान्यवर, इस मूल प्रश्न से उनका प्रश्न संबंधित नहीं है, यदि वह इसके संबंध में कोई जानकारी चाहेंगे, तो वह दी जायेगी।

श्री पंचानन राय––मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पूर्व में बताया कि शिक्षा के प्रशासन को संवेदनशील बनाने के लिये उसके विकेन्द्रीकरण पर सरकार विचार कर रही है। इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि यह विचार किस स्तर पर हो रहा है, क्या इसके लिये कोई विशेषज्ञों की समिति बनाई गयी है या शिक्षा विभाग के लिपिक इस पर विचार कर रहे हैं ?

श्री अशोक बाजपेयी––मान्यवर, प्रयास यह होता है कि शिक्षा से जुड़े हुये शिक्षाविद् जो हैं, शिक्षा में प्रशासन व्यवस्था से जुड़े हुये जो लोग हैं, उन सबसे राय लेकर काम किया जाय। इसके साथ ही माननीय सदस्य अत्यन्त विद्वान हैं, उनसे भी राय ली गई है। हमारा यही प्रयास होगा कि हम सभी विद्वान लोगों की राय लेकर इसको प्रभावी बना सकें

श्री हृदय नारायण ––मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि सभी बिन्दुओं पर विचार हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर कौन सी कमेटी विचार कर रही है और इसमें कौन अधिकारी हैं तथा यह भी बता दें कि इस विचार का क्रियान्वयन कब तक हो जायेगा ?

श्री अशोक बाजपेयी– मान्यवर, शिक्षा से जुड़े सभी लोग मिलकर इस पर विचार कर रहे हैं, यह बड़ा विषय है, इसलिये सामूहिक चिन्तन कर रहे हैं और इसे बहुत जल्दी लागू करने का हमारा प्रयास होगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के अन्तर्गत मड़हा बिसुही एवं गोमती नदी पर कतिपय ग्रामों के पास पुल बनाये जाने की मांग

* 1––**डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी**–क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद जो उत्तर में मड़हा नदी, दक्षिण से बिसुही व गोमती नदी से घिरा हुआ है, उक्त नदियों पर पुल न होने के कारण लगभग 8 महीने आवागमन अवरूद्ध रहता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मड़हा नदी में डेवढ़ी गदुरही अमानी गंज मार्ग पर किठावा के पास तथा कुंदुरखा कला किन्हुपुर गोठवारा व गोमती नदी पर खण्डासा बोडवेल मार्ग पर आदीलपुर के पास सत्तीन घाट पर पुल निर्माण कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण राज्य मंत्री–– (श्री शारदा नन्द अंचल)––जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।

अभी कोई ऐसा प्रस्ताव प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी–मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि मिल्कीपुर क्षेत्र उत्तर में मड़हा नदी और दक्षिण में गोमती व बिसही नदी से घिरा हुआ है और पुल न होने के कारण 8 महीने यातायात अवरूद्ध रहता है, जिस कारण हम लोगों को 25 किमी0 घूमकर जाना पड़ता है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। मान्यवर, यह तो मैं भी कह रहा हूं कि दूसरा मार्ग है, लेकिन 25 किमी0 घूमकर जाना पड़ता है। मान्यवर, मेरे प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर दिया गया है कि सीमित संसाधनों के कारण ऐसा करना संभव नहीं है। मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी

3 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री मड़हा नदी पर पुल का शिलान्यास करने जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी गोमती व बिसही नदी पर उन स्थानों पर पुल निर्माण करायेंगे, जिसका मैंने निवेदन किया है ?

श्री शारदा नन्द अंचल––मान्यवर, जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र के उत्तर में मड़हा नदी है,पश्चिम–दक्षिण के कोने पर गोमती नदी तथा पूर्व–दक्षिण के कोने पर विसुही नदी है । फैजाबाद –रायबरेली मार्ग संख्या–15 इस क्षेत्र में जाता है। जनपद फैजाबाद के मड़हा नदी पर व जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी पर इस मार्ग पर पुल बने हुए हैं । इस मार्ग पर सदैव यातायात का आवागमन होता है ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय––मान्यवर, माननीय मंत्री जी अनुपूरक प्रश्न का उत्तर पढ़कर उत्तर दे रहे हैं। लिखित उत्तर नहीं पढ़ा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष––माननीय मंत्री जी आप तैयार होकर आया करें । पढ़कर उत्तर न दें । माननीय सदस्य, भविष्य में माननीय मंत्री जी तैयार होकर आयेंगे, इस वक्त आप उनके उत्तर को सुन लीजिए ।

लोक निर्माण आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)––मान्यवर, जैसा कि अभी श्री त्रिपाठी ने कहा कि तीन तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जो पुल का शिलान्यास करने जा रहे हैं और जो उनका प्रश्न है और उस प्रश्न के उत्तर में जो यहां पर कहा गया है, उसके आशय से वह संतुष्ट भी हैं। मूल उत्तर में ही कहा गया है कि संसाधन सीमित हैं

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय––मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में प्रदेश में जो पुलों का निर्माण हो रहा है तो क्या इसके लिए जो मानक तैयार किए गये हैं वह जनहित की आवश्यकताओं को देखकर किए गये हैं । और या फिर जो विशेष व्यक्ति हैं––जैसे संबंधित विभाग के मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी के यहां पुलों का निर्माण किया जा रहा है ? अभी तक मंत्री जी के क्षेत्र में कितने पुलों का निर्माण हो गया है ?

श्री उपाध्यक्ष––इस प्रश्न का आप अलग से लायें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा––मान्यवर, सीमित संसाधनों को देखते हुए जहां कहीं भी आवश्यकता होती है, वहां पर पुलों का निर्माण किया जाता है । जहां तक मानक का प्रश्न है, मानक वहीं हैं जो पहले थे, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है ।

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी––मान्यवर, जैसा कि मैंने प्रश्न किया था कि हमारा जो विधान सभा का क्षेत्र है, वह तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष–– माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का यह कहना है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक पुल बना दीजिए जहां वह चाहते हैं । इस पर आप विचार कर लें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---माननीय सदस्य ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है कि 3 मार्च को शिलान्यास होने जा रहा है ।

जिला परिषदों के वर्ष 1970 के पूर्व अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को अवकाश प्राप्त अध्यापकों की भांति पेंशन दिलाये जाने की मांग

*2--**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**--क्या पंचायती राज मंत्री जिला परिषदों के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों, जो कि 1970 तथा उससे पूर्व सेवा निवृत्त हो गये हैं, को भी उसी प्रकार पेंशन दिलाने की कृपा करेंगे जिस प्रकार 1970 से पूर्व सेवा निवृत्त जिला परिषदों के अध्यापक व कर्मचारियों को दी जाती है ?

क्षेत्रीय विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)--जिला परिषदीय अन्य कर्मचारियों के लिये पेंशन की व्यवस्था जिला परिषद् सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली-1972 के अनुसार दिनांक 1-1-71 से लागू की गयी है इससे पूर्व जो कर्मचारी सेवा निवृत्त हो चुके थे उन्हें पेंशन देना सम्भव नहीं है ।

जनपद चमोली एवं पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेजों एवं हाई स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की मांग

*3--**डा0 शिवानन्द नौटियाल**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली और पौड़ी गढ़वाल में कितने राजकीय इण्टर कालेज और राजकीय हाई स्कूल हैं ? क्या उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या बहुत ही कम है ? यदि हां, तो सरकार छात्रों के भविष्य को सुधारने के लिए अध्यापकों की तुरन्त नियुक्ति करेगी ?

श्री अशोक वाजपेयी--जनपद चमोली में 64 राजकीय इण्टर कालेज तथा 47 राजकीय हाई स्कूल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में 74 राजकीय इण्टर कालेज तथा 70 राजकीय हाई स्कूल है ।

यह सही है कि इन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है । रिक्त पदों की पूर्ति की जा रही है ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल--मान्यवर, आप प्रश्न देखने की कृपा करें । यह प्रश्न 5-5-90 का है, इसके बाद स्थगन हुआ 9-7-90 । यह बात सही है कि एक-डेढ़ साल के बाद गढ़वाल चमोली के विद्यालयों में अध्यापकों की कुछ नियुक्तियां हुई हैं, इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं परन्तु अभी भी तमाम विद्यालयों में न तो प्रिन्सिपल हैं न इण्टरमीडिएट कालेज में और न हाई स्कूल में । यह स्थिति केवल इन्हीं दो जनपदों की नहीं है बल्कि आठों जनपदों की है । जानना चाहूंगा कि इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रिन्सिपलों की नियुक्ति कब होगी और हाई स्कूल के प्रिन्सिपलों की नियुक्ति कब होगी ? साथ ही, जितने भी विद्यालय हैं उनमें अध्यापकों की नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी ? क्या ये नियुक्तियां इस वर्ष मार्च के अन्त तक हो जायेंगी ?

श्री अशोक बाजपेयी––मान्यवर, माननीय सदस्य विद्यवान हैं और उनकी शिक्षा में गहरी रूचि है। उनकी जिज्ञासा के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसका गठन प्रदेश में किया गया है, उनको अधियाचन भेज दिया है, चयन उन्हीं को करना है। प्रयास होगा कि जल्दी ही चयन पूरा कर लें। कुछ रिक्तियां प्रोन्नतियों से भरी जानी हैं, उनके लिये भी जल्द ही प्रयास करेंगे।

श्री कुंवर सिंह नेगी––मान्यवर, जैसा नौटियाल जी ने कहा कि बहुत पहले सवाल पूछा था, दो साल की अवधि हो गयी। मैं जानना चाहता हूं कि इन रिक्तयों को आज तक न भरे जाने का क्या कारण है? दूसरी बात, आपने जो कहा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तो क्या आप पर्वतीय क्षेत्र के लिये इस प्रकार के एक पृथक आयोग के गठन पर विचार करेंगे?

श्री अशोक बाजपेयी––मान्यवर, प्रश्न पूछा गया, कार्य होता भी रहा। यहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वयं प्रतिरोध किया तो अधियाचन भेजना पड़ा। पृथक आयोग की बात शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी––जो तदर्थ नियुक्तियां पिछले कुछ महीनों में की गयी हैं और मैदानी इलाकों में भी वे नियुक्तियां अंशकालिक अध्यापकों की, की गयी हैं, साइंस ग्रुप में जो तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं, आर्ट्स ग्रुप के तमाम पद खाली पड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––आप तो प्रश्न से हट रहे हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी––चयन बोर्ड की जो बात आ रही है, मेरा निवेदन है कि पहले भी लिखकर दे चुका हूं कि जो तदर्थ नियुक्तियां की जा रही थीं तो चयन बोर्ड का जो आदेश आया है, उसको टालने की कोशिश करेंगे? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अंशकालिक अध्यापकों ने जो फार्म भरे हैं, वे अधर में लटक जायेंगे।

मान्यवर मेरा प्रश्न यह है कि जिस चयन आयोग की यह बात बता रहे हैं, उसके द्वारा पिछले 25 वर्षों से अध्यापकों की नियुक्ति हेतु कहीं भेजा नहीं गया है और जो आदेश माननीय मंत्री जी ने तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने हेतु दिए हैं तो इससे पूर्व में जिन छात्रों ने तदर्थ नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र भरे हैं और जिनमें कई वर्षों से कार्य कर रहे अध्यापकगण भी हैं, तो इस आदेश से उनका भला तो होगा नहीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––आप अपना प्रश्न करें स्पष्ट रूप से, बात समझ में नहीं आ रही है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी––मान्यवर मेरा स्पष्ट प्रश्न यही है कि क्या अब तक जो तदर्थ नियुक्तियां की गयी है, उन्हें कान्टिनीव रखने हेतु सरकार कोई विचार कर रही है?

श्री उपाध्यक्ष---जहां तक मैं समझ पाया हूं कि श्री नैथानी जी यह जानना चाहते हैं कि तदर्थ नियुक्तियां जैसे की पूर्व में हुआ करती थीं, इधर माननीय शिक्षा मंत्री जी के कथन के अनुसार निरस्त कर दी गयी हैं, तो अभी पूर्व में तदर्थ नियुक्तियों हेतु जो छात्रों द्वारा आवेदन पत्र दिए गये हैं, जिनमें अध्यापकगण भी सम्मिलित हैं, जो कई-कई वर्षों से कार्यरत हैं, इसलिए ऐसे अध्यापकों की स्थिति को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी ऐसी (तदर्थ) नियुक्तियों की अभी कान्टीनिव रखेंगे ? शायद यही आप कहना चाह रहे थे ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी---जी हां मान्यवर मेरा यही प्रश्न था।

श्री अशोक बाजपेयी---मान्यवर मैं सभी माननीय सदस्यों की मंशा को सामने रखते हुए कहना चाहता हूं कि चयन आयोग का जो गठन किया गया है इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो हमारे छात्र कुशाग्र बुद्धि वाले व मेधावी छात्र हैं, उनके लिए और अधिक सुविधायें उपलब्ध हों, जिससे वह अपने मन्तव को प्राप्त कर उन्नति कर सकें ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी---मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्रों की ओर लाते हुए यह कहना चाहता हूं कि वहां पर बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर वर्षों से कोई अध्यापक नहीं है, जिससे पूरे साल बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सका। परन्तु अब आप उनका इम्तिहान लेने जा रहे हैं। दूसरे आपने पर्वतीय क्षेत्रों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु कई अखबारों में विज्ञप्ति निकाली थी, तो क्या उसके अनुसार अब वहां पर अध्यापकों की नियुक्ति करने पर विचार कर रहे है ?

श्री अशोक बाजपेयी---मान्यवर माननीय सदस्य का कहना सही है कि विज्ञप्तियां निकाली गयी थीं, परन्तु इस पर अब आयोग ने आपत्ति लगायी है, इसलिए अब इस पर विचार चल रहा है। चूंकि आयोग का गठन ही इसीलिए किया गया है कि नियुक्तियों में जो गड़बड़ियां पहले हुआ करती थीं, अब न हों ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल---माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी व शिक्षा विभाग की कठिनाइयों को भली प्रकार समझता हूं । इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं कि जो विद्यालय वर्षों से चल रहे हैं, जिनके तमाम छात्रों का भविष्य अंधकार में है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि जब तक कमीशन की ओर से अध्यापक नियुक्त नहीं हो रहे हैं, तब तक अध्यापकों के जो प्रमोशन्स हैं, उन्हें पूर्ण कर देंगे, ऐसा आश्वासन माननीय मंत्री जी देने की कृपा करेंगे और इन परमोशन्स से जो नियुक्तियां होंगी, उन पर एडहाक नियुक्तियां उन अध्यापकों की कर देंगे जिनकी हालत पहले से काफी गिरती जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री अशोक बाजपेयी---जो पहले से बिन्दु इस ओर चल रहे थे, उन पर तो विचार शासन द्वारा पारदर्शिकता पर किये जाने हेतु हो रहा है साथ ही जो बिन्दु माननीय सदस्य

श्री नेगी साहब ने नैथानी साहब व डाक्टर साहब ने उठाएं हैं, उनकी भावनाओं से भी मैं परिचित हूं जो सुझाव उन्होंने दिए हैं, उन पर भी विचार-विमर्श होगा।

(श्री उपाध्यक्ष के द्वारा नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 को पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री मूल चन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस संबंध में जो आयोग गठित किया गया है उसमें अनुसूचित जाति का कोटा निर्धारित किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिये। मैंने नन्थी (घ) का प्रश्न ले लिया है। माननीय रविदास महरोत्रा जी नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष---आप सब लोग कृपया बैठ जायं। जो बात आप कह रहे हैं, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। कृपया आप लोग बैठ जांय।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने के प्रयास करने से सदन में व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष---यदि इस संबंध में आपको कोई जानकारी करनी है तो फिर अलग से प्रश्न लाइये। हर प्रश्न को एक ही प्रश्न में जोड़ देना चाहते हैं आप। अनुसूचित जाति के कितने सदस्य हैं, यह बात इस मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री दीप नरायण---मान्यवर अनुसूचित जाति की बात को आप आने नही दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप तमाम वातावरण को दूषित कर रहे हैं।

श्री मूल चन्द्र---पहले आप हमारी बात को तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष---कृपया आप सब लोग बैठ जायं। आप लोग तो प्रश्न तो करना चाह रहे हैं और साथ में शोर भी कर रहे हैं तो कैसे प्रश्न करेंगे ? चलिये शान्त होकर सवाल करिये।

श्री मूल चन्द्र---मेरा सवाल यह है कि क्या माननीय मत्री जी हर विभाग की ही तरह अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिये क्या इसमें भी प्रयत्न किये गये है ? क्या आप कोटा तय करेंगे अनुसूचित जन जाति का और अनुसूचित जाति का ?

श्री उपाध्यक्ष---इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है माननीय सदस्य। आगे चलिये, अब तारांकित प्रश्न संख्या-2 पर आइये।

श्री मूल चन्द्र--माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी खड़े हो गये थे और उत्तर देने जा रहे थे, अब बैठ गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--यदि माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देना चाहते हैं तो दे दें।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर व्यवधान)

बेनी प्रसाद वर्मा--मान्यवर, हरिजनों को आरक्षण की सुविधा...

एक सदस्य--माननीय शिक्षा मंत्री जी मौजूद हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री जी क्यों खड़े हो गये ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--आप उत्तर तो सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आरक्षण को पूरा करना संवैधानिक दायित्व है और यह हमारी नीति भी है । अगर कहीं पर आरक्षण पूरा नहीं है, तो सिर्फ हरिजनों के लिये ही स्थान विज्ञापित कराये जायेंगे, जिससे आरक्षण पूरा हो सके। आरक्षण के कोटे में किसी प्रकार की कटौती करने की हमारी मंशा नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा--मान्यवर, मूल चन्द्र जी का प्रश्न यह था कि शिक्षा विभाग में कोई कोटा नहीं है, जिस प्रकार से अन्य विभागों में है । इसीलिये उन्होंने प्रश्न किया। तो क्या शिक्षा विभाग में उसी प्रकार का कोटा रखेंगे ?

*4--श्री **कुवर सिंह नेगी**-- [कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

[सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 1991 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विगत वित्तीय वर्ष में राज्य सेतु निगम में क्रेनों के अनावश्यक खरीद से उत्पन्न वित्तीय संकट

*1--**श्री रविदास मेहरोत्रा**--क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि पिछले वित्तीय वर्ष 1989-90 में राज्य सेतु निगम में कई क्रेनें बेकार खड़ी थीं और धन की कमी के फलस्वरूप निगम के मजदूरों / कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान नहीं हो पा रहा था ? यदि हां, तो फरवरी, 1990 में एक करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से तीन क्रेनें नयी खरीदे जाने का क्या औचित्य था ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--गत वित्तीय वर्ष 1989-90 में राज्य सेतु निगम में मरम्मत एवं अपरिहार्य कारणवश मात्र सात क्रेनों को छोड़ कर कोई भी क्रेन बेकार नहीं खड़ी थी । सेतु निगम में कुल क्रेनों का औसत प्रयोग निर्धारित मापदण्ड से अधिक हुआ है ।

निगम के मजदूरों/कर्मचारियों को वेतन इत्यादि का भुगतान सामान्यतः समय से ही किया गया है ।

फरवरी, 1990 में राज्य सेतु निगम ने एक करोड़ दस लाख रुपये की लागत से चार क्रेनों की आपूर्ति बैंक के लीज अनुबन्ध के माध्यम से यथावश्यकतानुसार तथा नियमानुसार निगम के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के पश्चात् की गयी है। निगम की अधिकांश क्रेनें 15 वर्ष से अधिक पुरानी है तथा निर्धारित मापदण्ड से अधिक कार्य कर चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेशीय माध्यमिक शिक्षक संघ के कानपुर सम्मेलन में पारित प्रस्तावों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

†2 –**श्री पंचानन राय**---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के कानपुर सम्मेलन में पारित पत्र मार्च, 1990 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां , तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या है तथा उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अशोक बाजपेयी---जी हां ।

प्रश्नगत मांग पत्र के प्रमुख बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

श्री पंचानन राय---मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के साथ एक लम्बी चौड़ी सूचना लगा दी है, मैं केवल दो चीजें जानना चाहता हूं, एक तो यह है कि इस संबंध में जो सम्मेलन कानपुर में हुआ था, उसमें मुख्य मंत्री जी उपस्थित थे और उन्होंने उस सम्मेलन में कहा था कि शिक्षक प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जायेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि मार्च, 1990 से अब तक शिक्षक प्रतिनिधियों से सरकार ने कब-कब विचार विमर्श किया और जो पेज नत्थी कर दिया है, उसमें जो सूचना दी गयी है, वह मांग पत्र प्रस्तुत करने के पहले की है । मैं जानना चाहता हूं कि मांग पत्र प्रस्तुत करने के बाद सरकार ने कब-कब विचार विमर्श किया है ।

श्री अशोक बाजपेयी---मान्यवर, मूल प्रश्न था कि क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के कानपुर सम्मेलन में पारित मांग-पत्र मार्च, 1990 में शासन को प्राप्त हुआ, मैंने कहा जी हां । दूसरा प्रश्न था कि उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं तथा उसमें क्या कार्यवाही की गयी है, मैंने इस संबंध में कार्यवाही का विवरण संलग्न कर दिया है। शिक्षा का विषय बड़ा ही व्यापक विषय है, तथा उसके सम्बन्ध में कोई भी निर्णय सुविचारित ढंग से ही लिया जा सकता है, जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय शिक्षा के लिये उचित नहीं होगा ।

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री पंचनान राय - मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मांग-पत्र दिया गया है, उसके आधार पर क्या सरकार ने शिक्षक प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करना उचित समझा और कब-कब विचार विमर्श हुआ और अगर शिक्षक प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करना उचित नहीं समझा तो क्या सरकार ने अपने स्तर पर अधिकारियों से विचार विमर्श किया और यदि किया है, तो उसमें किस स्तर के अधिकारी उपस्थित थे ?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कब-कब विचार हुआ और उसमें किस स्तर के अधिकारी उपस्थित थे ।

श्री अशोक बाजपेयी---प्रश्न में इन चीजों की अपेक्षा नहीं की गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष---आप यह बता दें कि किस स्तर के अधिकारी थे ।

श्री अशोक बाजपेयी---निदेशक, सचिव और सारे अधिकारी विचार कर रहे हैं ।

श्री अमर नाथ यादव---मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो आपने बिन्दु 41 पर उत्तर दिया है प्रधानाचार्यों के लिये ग्रीष्मावकाश देना संभव नहीं है जब लिपिक वर्ग को अर्जित अवकाश दिया जाता है तो प्रधानाचार्य को क्यों नहीं दिया जाता है क्योंकि प्रधानाचार्य के बिना लिपिक वर्ग कैसे काम कर सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---आप प्रश्न करिये ।

श्री अमर नाथ यादव---ग्रीष्मावकाश में प्रधानाचार्य विद्यालय में रहते हैं तभी लिपिक वर्ग काम कर सकता है जब लिपिक वर्ग को अर्जित अवकाश दिया जाता है तो उसी आधार पर प्रधानाचार्य को भी अर्जित अवकाश देने पर विचार करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी---मान्यवर, अगर कोई ऐसा बिन्दु देगें तो दिखवा लेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस सम्मेलन में गये थे और उनका मांग-पत्र स्वीकार किया था तो जिन मांग-पत्र के बिन्दुओं पर निर्णय कर लिया है वह कौन-कौन हैं, कितनों पर आपन विचार कर लिया है और शेष पर कितना समय और लेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी--जिन बिन्दुओं पर निर्णय ले लिया है उनकी राजाज्ञा जारी कर दी गयी है । बहुत लम्बा मांग-पत्र है एक-एक पर बताने में बहुत समय लग जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---उसमें काफी समय लगेगा ।

श्री अशोक बाजपेयी--कुछ बिन्दुओं पर विचार कर लिया है आप कक्ष में आ जांय मैं बता दूंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---कब तक निर्णय कर लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--आप उनके कक्ष में चले जांय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--कब तक निर्णय कर लेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी—यथाशीघ्र

कुआनों नदी पर सिकरीगंज के पास निर्माणाधीन सेतु को अविलम्ब पूरा कराने की मांग

*3--**श्री मिठाई लाल शास्त्री**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर एवं बस्ती को विभाजित करने वाली कुआनों नदी पर सिकरीगंज स्थान पर सेतु का निर्माण जिसका तीन-चौथाई कार्य पूरा हो चुका है और एक-चौथाई कार्य शेष है, इस आधार पर रोक दिया गया है कि सरकार के पास धन नहीं है ? इस पुल के निर्माण हेतु कितना धन स्वीकृत था, कितना आवंटित किया गया तथा कितना धन खर्च हुआ ? क्या सेतु के शेष निर्माण कार्य को पूरा करना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदानन्द अंचल—सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत पुल के निर्माण कार्य की प्रगति में अवरोध आया है।

प्रश्नगत सेतु का निर्माण कार्य शासनादेश दिनांक 17-4-86 द्वारा कुल रु0 86.80 लाख की लागत पर स्वीकृत हुआ था जिसमें से पहुंच मार्ग की लागत छोड़कर सेतु की लागत 76.97 लाख रु0 है। मुख्य सेतु के निर्माण पर माह सितम्बर, 1990 तक कुल रु0 83.12 लाख व्यय किया जा चुका है। सेतु के निर्माण कार्य को पूरा करना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री मिठाई लाल शास्त्री—मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कहा सीमित संसाधनों के कारण कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो क्या नये कार्यों को रोक कर पहले लम्बित कार्यों को क्या पूरा नहीं किया जा सकता है।

श्री शारदा नन्द अंचल--तीन-चौथाई भाग खर्च हो गया है एक-चौथाई के लिये पैसे की व्यवस्था की जा रही है जल्दी कार्य पूरा करा दिया जायेगा।

श्री पंचानन राय--मैं जानना चाहता हूं कि तीन-चौथाई कार्य किस तारीख तक पूरा हो गया था और किस तारीख से काम बंद है।

श्री शारदा नन्द अंचल--मान्यवर, पुल के निर्माण के लिये सरकार की मंशा ठीक है बहुत जल्द काम पूरा किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--उनका प्रश्न है कि किस तारीख से काम बंद पड़ा है मंशा की कोई बात नहीं होती है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---कार्य प्रगति पर है, बंद नहीं है। कार्य जल्दी पूरा करा दिया जायेगा।

श्री मिठाई लाल शास्त्री--- मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वित्तीय संसाधनों की कमी को आने वाले बजट में पूरा करके अवशेष निर्माण कार्य को कब तक पूरा कर लेंगे ?

श्री शारदा नन्द अंचल---कमी के बावजूद मान्यवर, व्यवस्था करने की बात हो रही है, बजट पेश हो रहा है, इसलिये अब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश शासन द्वारा जवाहर रोजगार योजना के वर्तमान स्वरूप में संशोधन का प्रस्ताव

*4---**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त** --- (अनुपस्थित) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जवाहर रोजगार योजना के वर्तमान स्वरूप तथा कार्यविधि के बारे में कुछ परिवर्तन किए जाने का मामला शासन के विचाराधीन हैं यदि हां, तो उसका संशोधित स्वरूप क्या होगा ?

श्री गोरी शंकर भइया---जी नहीं। जवाहर रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशों के आधार पर संचालित की जा रही है उसके स्वरूप एवं कार्यविधि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

*5---**श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य**---[दिनांक 23-1-91 को ता0 प्र0 सं0 11 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के मान्टेसरी, कान्वेन्ट एवं पालिटेक्निक शिक्षण संस्थाओं को उद्योग का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव

*6---**सुरेश कुमार खन्ना**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के मान्टेसरी एवं कान्वेन्ट स्कूलों तथा पालीटेक्निक संस्थाओं को उद्योग का दर्जा दिया जायेगा ? यदि हां तो इसका क्या स्वरूप होगा तथा सरकार इसके सबंन्ध में अंतिम निर्णय कब तक ले लेगी ?

श्री अशोक बाजपेयी---सूचना एकत्रित की जा रही है।

मान्यवर, इसमें विशेष सूचना की आवश्यकता है चूंकि विषद प्रश्न है, इसलिए सभी विभागों से प्रयास किया जा रहा है सूचना एकत्र करने का।

श्री सुरेश कुमार खन्ना---मान्यवर, 10-8-90 का यह प्रश्न है, 7 महीने हो रहे हैं और अभी तक सूचना एकत्र नहीं हो पायी है, इसलिए क्या सूचना इंग्लैंड से आनी है ?

श्री उपाध्यक्ष---मंत्री जी इसमें शीघ्र निर्णय कराकर सूचना शीघ्र एकत्र करा लें।

श्री अशोक बाजपेयी---मान्यवर, यह प्रश्न प्रदेश के मान्टेसरी, कान्वेन्ट स्कूलों और पालीटेक्निक संस्थाओं को उद्योग का दर्जा दिये जाने से सम्बन्धित है, इसलिए इसकी व्यापकता से आप अवगत हैं, इसलिये सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका प्रश्न स्थगित करते हैं और जल्दी ही उत्तर दिलाने के लिये हम सुनिश्चित करेंगे ।

*7---**रामरती बिन्द**---[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद खीरी के बिलरायां कस्बे में स्थानीय लोगों द्वारा लकड़ी एवं जंगल की भूमि खेती हेतु देने की कथित घोषणा का क्रियान्वयन

*8---**श्री निरवेन्द्र कुमार**---क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 6 फरवरी, 1990 को जनपद लखीमपुर खीरी के बिलरायां कस्बे में क्षेत्रीय विधायक सहित हजारों क्षेत्रीय आमरण अनशनकारियों के बीच वफर जोन से गिरी पड़ी जलौनी लकड़ी व झोपड़ियों के बनाने हेतु कोरो, थान-थुनी पूर्व की भांति दिये जाने तथा भूमि-हीन खेतिहर मजदूरों को पूर्व की भांति तीन-तीन एकड़ वन भूमि टांगिया (ठेका) पर पांच-पांच वर्ष के लिए खेती के लिए दिए जाने की घोषणा उनके द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त घोषणा कार्यान्वित हुई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)---बिलरायां रेलवे स्टेशन पर कुछ मांगों को लेकर अनशन कर रहे लोगों के बीच दिनांक 6 फरवरी, 1990 को तत्कालीन वन मन्त्री जी गये थे । उनके द्वारा वहां पर जलौनी लकड़ी व वन-भूमि का पट्टा किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में घोषणा की जानकारी विभाग को नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री निरवेन्द्र कुमार---मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि निधासन तहसील जनपद लखीमपुर खीरी मे वन विभाग की भूमि को बड़े जोत वाले किसान जोतते चले आ रहे हैं, यदि हां, तो क्या वन विभाग की भूमि पर अवैध खेती करनें वाले और अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्यवाही करके वन विभाग की भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिये गरीबी रेखा से नीचे खेतिहर मजदूरों को निर्धारित अवधि के लिये सामाजिक वानिकी कराये जाने के लिये भूमि आवंटन करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि मा0 सदस्य ने मूल प्रश्न मे हटकर प्रश्न किया है और यह पूछ रहे हैं कि जो हजारों एकड़ भूमि बड़े किसानों ने जोत रखी है उसका दूसरे लोगों गरीबों को क्या पट्टा दिया जायेगा ? मूल प्रश्न है की तत्कालीन मंत्री वहां गये थे और कुछ घोषणा किया था, तो हमने पूरे विभाग में छानबीन किया, यदि कोई घोषणा किया था तो वह क्या है, लेकिन विभाग को छानबीन के बावजूद घोषणा की जानकारी नहीं मिली, इसलिये यह उत्तर दिया ।

श्री निरवेन्द्र कुमार---मंत्री जी ने सदन से यह बात छिपाई है कि घोषणा की जानकारी नहीं मिली बल्कि मै जानना चाहता हूं..... ।

श्री उपाध्यक्ष—वन मंत्री जी कह रहे हैं कि इस तरह की घोषणा रेकार्ड में उपलब्ध नहीं हुई है, कि कहा था कि नहीं। और जब रिकार्ड (व्यवधान) नहीं मिला तो आगे का प्रश्न उठता ही नहीं है।

श्री निरवेन्द्र कुमार —श्रीमन्, सदन से यह बात उनके द्वारा छिपाई जा रही है। हमारे जनपद के निघासन क्षेत्र में बड़े-बड़े जोत वाले लोग वन विभाग की हजारों एकड़ भूमि वर्षों से अपने पास गलत तरीके से हथियाये हुए हैं, वर्षों से उसे जोते हुए हैं और जोतते चले जा रहे है, तो क्या वर्तमान मंत्री जी उनसे यह वन विभाग की भूमि निकाल कर उसे बचाने के लिए सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत देंगे ? इसे मंत्री जी इसलिए घुमा रहे हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी —वैसे इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत जो सन् 1980 के फोरेन्ट प्रिजर्वेशन ऐक्ट के अन्दर नियम बनाए गए हैं, उसके अन्तर्गत वन भूमि किसी को नहीं दी जा सकती है, और देना भी हो तो भारत सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी। फिर भी अगर पहले के मंत्री द्वारा कोई आश्वासन देने की बात है कि बड़ी जोतवालों से उनकी भूमि सरकार उपलब्ध करा ले और छोटी जोत वाले ऐसे लोगों को दे तो इसकी छानबीन करवा लूंगा।

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी अभियन्ताओं को विनियमित करने की मांग

*9—**श्री रमापति शास्त्री** · क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि माह जून, 1990 में उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में दैनिक वेतन पर कई वर्षों से कुशलता पूर्वक कार्य कर रहे लगभग 100 सिविल विद्युत यांत्रिक एवं वास्तविक इंजीनियर डिप्लोमा धारकों के नियमितीकरण करने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—जी हां।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में दैनिक वेतन (मस्टरोल) के आधार पर जो डिग्री/डिप्लोमा धारक कार्यरत है उन्हें नियमित अधिष्ठान में पदों के उपलब्ध होने पर, निर्दिष्ट चयन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, खपाये जाने की नीति अपनाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न 8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

आगरा के जजी कम्पाउण्ड में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों की छतों के अल्प समय में ही गिरने की शिकायत

*10—**श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट**—क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जजी कम्पाउण्ड आगरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों की छतें अल्प समय में जीर्ण शीर्ण हो गई है और अनेकों अधिकारियों को छत गिरने से चोटें आयी है ? यदि हां, तो शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—जी हां।

जी हां।

इन भवनों की विशेष मरम्मत हेतु मुख्य अभियंता, (आगरा क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, आगरा से शासन को आगणन प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है।

प्रदेश के माध्यमिक स्तर तक के शिक्षा प्राप्त छात्र/छात्राओं को अग्रिम कक्षा में प्रवेश न मिलने की शिकायत

*11—**श्री रघुबर दयाल वर्मा**—शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कक्षा-8 हाई स्कूल एवं इण्टर उत्तीर्ण करने पर प्रदेश के हजारों छात्रों को स्कूल और कालिजों में वर्ष 1990-91 में प्रवेश नहीं मिल सका, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ गया ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे छात्रों को प्रवेश दिलाने और कक्षाओं की सख्या बढ़ाने के संबंध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ;

श्री अशोक बाजपेयी—औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप में माध्यमिक/उच्च शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। सभी इण्टर उत्तीर्ण छात्रों को स्नातक स्तर पर प्रवेश उपलब्ध कराया जाना अभिप्रेत नहीं है माध्यमिक स्तर पर कहीं-कहीं प्रवेश की समस्या के समाधान हेतु इण्टर स्तर पर पत्राचार शिक्षा/सतत् सम्पर्क योजना की व्यवस्था है तथा नये राजकीय विद्यालय खोले गये है। अशासकीय विद्यालयों को नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता दी गयी है। इसके साथ ही अतिरिक्त अनुभाग खोलने हेतु अनुमति देने के संबंध में आवश्यक निर्देश भी विभाग द्वारा जारी किये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण हेतु नीति का निर्धारण

*12—**श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों को संरक्षण देने के लिए प्रदेश सरकार ने किसी नीति का निर्धारण किया है ? यदि हां, तो पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन योजनायें क्या हैं ?

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री भगवती सिंह)—सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्टेडियम निर्माण की योजना

*13—श्री दया शंकर—क्या युवा कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन जनपदों के ग्रामीण अंचलों में स्टेडियम बनाये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह—जी हां, सम्प्रति जनपद आगरा के किरावली कस्बे में ग्रामीण स्टेडियम के बनाये जाने की योजना है ।

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को अन्य विद्यालयों के शिक्षकों की भांति वेतनमान एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

*14—**श्री अतीक अहमद** – क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं को मान्यता एवं सहायता प्राप्त अन्य विद्यालयों की भांति वेतन समिति द्वारा अनुमोदित वेतनमान एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य नहीं किये गये है ? यदि हां, तो लुप्त प्राय संस्कृत भाषा के उत्थान के लिये क्या सरकार समस्त संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अध्यापकों/प्रवक्ताओं को वेतन समिति द्वारा अनुमोदित वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक वाजपेयी—वेतन पुनरीक्षण समिति के अनुसार संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं को वेतनमान अनुमन्य हैं । अन्य सुविधाओं के विषय में अध्ययन किया जा रहा है ।

प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत एवं बाद में शासकीय सेवा में कार्य करते हुए 10 जनवरी, 86 से पूर्व सेवानिवृत्त सेवकों की भांति बाद में सेवा निवृत्त हुए सेवकों को पेंशन लाभ दिये जाने की मांग

*15—**श्री राम प्रसाद सिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत और बाद में शासकीय सेवा में कार्य करते हुए दिनांक 13-6-79 से 10-1-86 तक सेवानिवृत्त होने वाले सेवकों को पेंशन में पूर्व सेवा अवधि का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के बाद के अवकाश प्राप्त सेवकों को भी यह लाभ दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों और न देने का क्या कारण है ?

श्री अशोक बाजपेयी—जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय साधनों की सीमितता के कारण प्रकरण अस्वीकृत किया जा चुका है ।

प्रदेश के सरकारी एवं सहायता प्राप्त पुस्तकालयों में डा0 भीमराव अम्बेडकर से संबंधित पुस्तकें अनिवार्य रूप से रखने सम्बन्धी सरकार का प्रस्ताव

*16--**श्री राम लखन वर्मा**--क्या सरकार प्रदेश के सभी सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त पुस्तकालयों में डा0 भीमराव अम्बेडकर से संबंधित पुस्तकें अनिवार्य रूप से रखने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक लागू हो जायेगी ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती, कस्बा बभनान में बालिका इण्टर कालेज खोलने की मांग

*17--**श्री कृष्ण किंकर सिंह**--क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि कस्बा बभनान जो जनपद बस्ती के पश्चिमी तथा जनपद गोण्डा के पूर्वी सीमा को जोड़ता है के आस-पास बीस किलोमीटर तक कोई बालिका इण्टर कालेज न होने के कारण वहां की बालिकायें उच्च शिक्षा से वंचित रह रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर शीघ्र ही कोई बालिका इण्टर कालेज खुलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां, किन्तु कस्बा बभनान के दक्षिण 17 कि0 मी0 पर हरैया में महादेव प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद कन्या हाई स्कूल संचालित है।

जी नहीं।

क्योंकि सीधे राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोले जाने की कोई योजना नहीं है।

जनपद वाराणसी में वरुण नदी पर राजघाट या कोनियाघाट पर पुल बनवाये जाने की मांग

*18--**श्री शिव करन सिंह**--क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी शहर के राजघाट के निकट बसे गांव सराय मोहाल आदि के लगभग 4,000 ग्राम वासियों को प्रतिदिन अपनी रोजी रोटी की तलाश में वरुणा नदी को पार करने के लिए नावों/बांस की खपच्चियों से प्रतिवर्ष बनने वाले जर्जर एवं खतरनाक पुल का सहारा लेना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नदी पर कोनिया घाट या राजघाट चुंगी से झुलापुल (सस्पेंशन ब्रिज) अथवा पक्का पुल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामवासियों द्वारा आने जाने के लिए नाव आदि का पुल लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बनाया जाता है एवं इन साईटों पर जिला परिषद् द्वारा टैक्स लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

*19--**श्री रविन्द्र नाथ तिवारी**--[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

*20--**श्री श्यामदेव राय चौधरी**--[9वें शुक्रवार में तारा0 प्र0 सं0 19 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न—

जनपद बस्ती के विकास खण्ड मेंहदावल के अन्तर्गत टाड़वरिया, समोगर निर्माणाधीन मार्ग पर किये गये कार्य के भुगतान की कार्यवाही

1—**श्री चन्द्रशेखर सिंह (बस्ती)**—क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खण्ड मेंहदावल के अन्तर्गत टांड़वरिया समोगर मार्ग निर्माण हेतु सन् 1984–85 में क्षेत्र समिति द्वारा प्रस्ताव पास किया गया तथा अपर जिलाधिकारी (परियोजना) बस्ती के पत्रांक–2710 एन0 आर0 ई0 पी0 85–86, दिनांक 27–12–85 द्वारा उक्त कार्य हेतु एक लाख 12 हजार धन आवंटित किया गया ? क्या धन आवंटन के पश्चात् उक्त मार्ग पर तीन कि0मी0 कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् अपर जिलाधिकारी (परियोजना) बस्ती के पत्रांक–836/एन0 आर0 ई0 पी0, दिनांक 11–2 86 द्वारा उक्त मार्ग का भुगतान तथा एक कि0मी0 अवशेष कार्य इसलिए रोक दिया गया कि आर0 ई0 एस0 विभाग द्वारा उक्त 4 कि0मी0 पर फर्जी कार्य दिखाकर फर्जी भुगतान पहले ही किया जा चुका था ? क्या बाद में परियोजना निदेशक बस्ती एवं अधिशासी अभियन्ता (आर0 ई0 एस0) बस्ती द्वारा उक्त कार्य को रिपयेरिंग का कार्य दिखाकर मात्र 28,980रु0 का भुगतान का आदेश दिया गया जबकि क्षेत्र समिति द्वारा उक्त मार्ग पर 3 कि0मी0 पर 84 हजार का कार्य किया गया ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त तीन कि0मी0 कार्य का तथा 28 हजार चौथे कि0मी0 कार्य का कुल मिलाकर लगभग 88 हजार रु0 का भुगतान क्यों नहीं किया गया ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया—जी हां। क्षेत्र समिति द्वारा उक्त मार्ग पर केवल 2,703 मीटर मिट्टी का कार्य मु0 25,753 रु0 का कराया गया है। जिलाधिकारी (परियोजना) बस्ती के पत्र दिनांक 11–2–86 द्वारा उक्त मार्ग का भुगतान तथा अवशेष एक किलो-मीटर का कार्य रोक दिया गया था। यह सही नहीं है कि आर0 ई0 एस0 विभाग द्वारा 4 किलोमीटर पर फर्जी कार्य दिखाकर फर्जी भुगतान पहले ही किया जा चुका था।

जी नहीं। बल्कि क्षेत्र समिति द्वारा उक्त मार्ग पर 2703 मीटर पर मिट्टी का कार्य मु0 25,753 रु0 का किया गया।

कथित मार्ग पर केवल 2703 मीटर कार्य का मूल्यांकन 25,753 रु0 का आया है, जिसमें से मु0 9,108 रु0 भुगतान हो चुका है शेष 16,645 रु0 भुगतान किया जाना था। जांच रिपोर्ट के अभाव में भुगतान नहीं किया गया था।

अवशेष का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

2—**श्री सरदार सिंह**—[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बांदा के विकास खण्ड नरैनी अन्तर्गत नव घोषित ग्राम सभा बरियार के ग्राम प्रधान का चुनाव

3—**श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा**—क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक के नव घोषित ग्राम सभा बरियार में प्रधान का चुनाव कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव—बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक में नव गठित गांव सभा बरियारपुर के प्रधान का निर्वाचन कराया गया, कतिपय अपरिहार्य कारणोवश मतगणना सम्बन्धी कार्य स्थगित कर दिया गया है। दुबारा चुनाव कराने के बारे में यथोचित निर्णय समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये शीघ्र लिया जायेगा।

जिला परिषद् मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत एवं उसकी जांच की मांग

4—श्री **अनुग्रह नारायण सिंह**—क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व विधायक मांट श्री कुशलपाल सिंह ने दिनांक 11 जनवरी, 1990 को जिला परिषद् मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार, कर्मचारियों की अवैध पदोन्नति व नियुक्तियों के बारे में कोई शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा कौन-कौन सी शिकायतें सही पायी गयीं ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव—जी हां ।

उक्त पत्र दिनांक 11 जनवरी, 1990 में उल्लिखित शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, मथुरा के माध्यम से जिला विकास अधिकारी द्वारा की गयी । जांच में कोई शिकायत सही नहीं पायी गयी अतः किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के गांव कोरारी खुर्द एवं पार्श्ववर्ती गांव कोरारी कलां में शासन द्वारा समान दिवसों में बाजार लगाने की स्वीकृति

5—**श्री धर्मज्ञ मिश्र**—क्या पंचायती राज मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम कोरारी खुर्द जनपद हरदोई में शासन द्वारा सोमवार, शुक्रवार तथा शनिवार को बाजार लगाने की स्वीकृति दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसी गांव से दो फर्लांग की दूरी पर ग्राम कोरारी कलां में भी बाजार लगाने की स्वीकृति शासन द्वारा उक्त दिनों में ही दी गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री बलराम यादव—ग्राम कोरारी खुर्द एवं कोरारी कलां जनपद हरदोई में नहीं है। प्रश्न नहीं उठता ।

भू-स्खलन से प्रभावित कतिपय गांवों के निवासियों को वन विभाग द्वारा बदलाव में भूमि उपलब्ध कराये जाने की योजना

6--**श्री भारत सिंह रावत**--क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1970 में गढ़वाल जनपद के चूना मयाडा आदि गांवों की भूमि भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी और उसमें बहुत से लोग व मवेशी मर गये थे ? भू-स्खलन की स्थिति को देखते हुये, क्या उस समय के प्रशासन ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वन विभाग से भूमि बदलाव के लिए वन भूमि पांपी डांडा को प्रस्तावित किया था ? यदि हां, तो ग्रामीणों की दयनीय स्थिति को देखते हुए वन विभाग बदलाव में भूमि देगा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--जी हां ।

जी हां । उस समय 12 ग्रामों की 1164.16 हेक्टेयर भूमि के बदले में 400 हे0 वन भूमि को, प्रभावित ग्रामीणों को बसाने हेतु हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव प्रदेश शासन के वन विभाग द्वारा संस्तुति सहित भारत सरकार को भेजा गया था ।

भारत सरकार ने कतिपय अन्य सूचना मांगते हुए यह भी सुझाव दिया था कि इन ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाये जाने हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाये । तदनुसार जिलाधिकारी , गढ़वाल को अवगत करा दिया गया था। जिलाधिकारी, गढ़वाल द्वारा प्रभावित ग्रामों का परीक्षण भू-वैज्ञानिक इन्जीनियरिंग सेल, श्रीनगर गढ़वाल से करवाये जाने पर दस ग्रामों को भविष्य में भू-स्खलन का कोई खतरा नहीं पाया गया। केवल ग्राम खण्डपानी तोक व गडकोट को भूगर्भीय दृष्टि से अस्थिर बताया गया। इन ग्रामों को अन्यत्र बसाये जाने के संबंध में जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा तहसीलदार कोटद्वार के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

चूंकि जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में 10 ग्रामों के बारे में वन भूमि हस्तान्तरण का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा गया है, अतः वन विभाग द्वारा इस संबंध में अब कोई कार्यवाही नहीं की जानी है ।

7--8--**श्री महावीर सिंह राणा**--[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद बांदा के क्षेत्र समिति नरैनी के कार्यालय में दिनांक 22 दिसम्बर, 1989 को पारित प्रस्ताव की जानकारी

9--**श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा**--क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की क्षेत्र समिति नरैनी के कार्यालय में दिनांक 22-12-89 को क्षेत्र समिति की बैठक हुयी ? यदि हां, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों ने क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा कितने सदस्य उपस्थित थे एवं क्या-क्या प्रस्ताव पारित हुए ?

श्री बलराम यादव--जी हां। बैठक में 118 सदस्यों में से कुल 53 सदस्यों ने भाग लिया तथा कुल 10 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तथा सभी प्रस्ताव स्वीकृत हुये, जो निम्न हैं :--

(1) जवाहर रोजगार योजना की प्रगति समीक्षा ।

(2) निर्बल वर्ग आवास वर्ष 88-89 तथा हरिजन एवं निर्बल आवास वर्ष 89-90 की प्रगति समीक्षा।

(3) निःशुल्क बोरिंग, रिंग मशीन बोरिंग, ब्लास्टिंग एवं पौलीथिन बोरिंग के संबंध में जानकारी देना तथा इस कार्य को प्रोत्साहित करना।

(4) बायोगैस के बारे में जानकारी देना।

(5) परिवार कल्याण को सफल बनाये जाने के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करना।

(6) अल्प बचत कार्यक्रम को सभी से अपनाये जाने का अनुरोध करना।

(7) डी0 डब्लू0 सी0 आर0 ए0 योजना की समीक्षा एवं प्रभावी ढंग से लागू किया जाना।

(8) **हैन्ड पम्प**--इसके अन्तर्गत पुराने हैन्ड पम्पों की मरम्मत कराना एव नये हैन्ड पम्प लगाया जाना।

(9) **लिफ्ट पम्प कैनाल**--गुढ़ा पम्प कैनाल में सुधार तथा उसकी क्षमता का अधिकतम उपयोग करना।

(10) **इन्दिरा आवास निर्माण 89-90**--सुलभ शोचालय एवं खड़ण्जा निर्माण, खरीफ के प्रदर्शन, मछली पालन, मृत पशुओं की हड्डी चमड़ा उतारना प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण, वनीकरण, सिचाई की प्रगति समीक्षा ।

जनपद अलीगढ़ के ब्लाक हसायन अन्तर्गत ग्राम गिनौली किशनपुर के वर्तमान प्रधान को पूर्व ग्राम प्रधान से चार्ज दिलाया जाना

10--**रमेश करन**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जनपद अलीगढ़ में ग्राम गिनौली किशनपुर ब्लाक हसायन के वर्तमान प्रधान को भू0पू0 प्रधान से ग्राम समाज व पंचायत का पूरा चार्ज दिलाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए पूर्व प्रधान के विरूद्ध आज तक क्या कानूनी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--जी हां ।

वर्तमान प्रधान वर्ष 1988 के सामान्य निर्वाचन में विधिवत् निर्वाचित प्रधान है। वर्तमान प्रधान को भूतपूर्व प्रधान से कार्यभार दिलाया जाना नियमित है। पूर्व प्रधान के प्रति कानूनी कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

जिला परिषद् बांदा द्वारा अवैध वसूली की शिकायत

11---**श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा**--क्या पंचायती राज मंत्री कृपया **बतायेंगे कि प्रश्न**-कर्ता का दिनांक 16 नवम्बर, 1987 का पत्रांक घ0 नं0-037277 **श्री ओम प्रकाश गुप्ता**, नई बाजार ग्राम बदौसा **ब्लाक** नरैनी जनपद बांदा के संलग्न पत्र के साथ जिला परिषद् बांदा द्वारा अवैधानिक वसूली के सम्बन्ध में जिलाधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री बलराम यादव--जी हां । जिला परिषद् बांदा द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा-239 (2) के अन्तर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुकान करने के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधि के अन्तर्गत जिला परिषद् बांदा द्वारा दुकानदारों से निर्धारित लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है ।

श्री गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय माल्टारी, आजमगढ़ के प्रबन्धक के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत

12--**श्री पंचानन राय**--विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के **प्रथम** सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-56 के उत्तर के सन्दर्भ में **क्या शिक्षा मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि जांच करवाने के निर्देश कब दिये गये ? **क्या जांच आख्या प्राप्त** हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? **यदि नहीं, तो जांच** आख्या शीघ्र प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उच्च शिक्षा मंत्री--- (श्री रमा शंकर कौशिक)--शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0 इलाहाबाद को जांच के निर्देश दिनांक 21 जून, 1989 को दिये गये ।

जी हां । श्री गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, माल्टारी, आजमगढ़ के प्रबंधक को उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-57 के अन्तर्गत शासन द्वारा नोटिस दिनांक 24-10-90 निर्गत की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के कतिपय सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि की रकम उनके खाते में जमा न कराने संबंधी शिकायत

13---**श्री पंचानन राय**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के किन-किन सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी भविष्य निधि की धनराशि 31 मार्च, 1990 तक खातों में जमा नहीं की गयी है ? उसे जमा न करने के कारण क्या है तथा इसे कब तक जमा करा दिया जायेगा और इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ? **यदि** नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी––नवसृजित जनपद मऊ के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि की धन-राशि जमा कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

14––**श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी**––[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी अन्तर्गत ग्राम जोकहरा को ग्राम सभा के गठन सम्बन्धी कार्यवाही

15––**श्री पंचानन राय**––क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा जोकहरा परगना व तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के सदस्यों का पत्र ग्राम सभा के गठन के संबंध में जिला अधिकारी आजमगढ़ को जनवरी, 90 में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम यादव––जी हां । जोकहरा गांव सभा के गठन की सूचना दिनांक 8–8–1989 को निर्गत की जा चुकी है। जनपद की अन्य गांव सभाओं के प्रधान/उपप्रधान एवं सदस्यों के रिक्त पदों के उपचुनाव के साथ ग्राम सभा जोकहरा के प्रधान/उपप्रधान एवं सदस्यों का चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा। गांव सभा का चुनाव सम्पन्न होने तथा गांव पंचायत के गठन की घोषणा के उपरान्त नयी गांव सभा को जवाहर रोजगार योजना तथा गांव सभा कोष की धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी ।

वाराणसी एवं सिधौरा के बीच के मार्गों को पक्का कराये जाने की मांग

16––**श्री ऊदल**––क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिधौरा बाजार जिला वाराणसी के बीच के मार्गों हेतु अनुदान देकर उसे पक्का या ईंटों के खडंजा से बनवाये जाने हेतु जिला परिषद् वाराणसी को धन देकर उसे पक्का करा देगी ?

श्री बलराम यादव––धनाभाव के कारण रोड को पक्का कराया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

17––**श्री शारदा नन्द अंचल**––[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

सीमेंट निगम के चुर्क इकाई अन्तर्गत कालेज के अध्यापकों के वेतन में कटौती की शिकायत

18––**श्री तीरथ राज**––क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट निगम की चुर्क इकाई अपने कालेज के अध्यापकों को वेतन का भुगतान 3,850 रु0 के बदले मात्र 2600 रु0 ही करती है जबकि राज्य सरकार से अनुदान उपरोक्त इकाई को 3850/– के हिसाब से प्राप्त होता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त फैक्ट्री के प्रशासक को दण्डित करते हुए वेतन का पूरा भुगतान करायेंगें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी:--सीमेन्ट फैक्ट्री इण्टर कालेज, चुर्क सोनभद्र को अनुरक्षण अनुदान के रूप में एक मुश्त धनराशि प्रत्येक वर्ष विभाग से स्वीकृत की जाती है । सीमेन्ट निगम द्वारा सीमेन्ट वेज बोर्ड के वेतनमान में अध्यापकों को रु0 2692/- प्रतिमाह वेतन भुगतान किया जाता है । उक्त विद्यालय वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 13 के अन्तर्गत है जिसे वेतन भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया से छूट प्रदान की गयी है । अत: सीमेन्ट वेज बोर्ड के वेतनमान के अनुसार वेतन भुगतान किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के विकास खण्ड माधोगढ़ के अन्तर्गत ग्राम गढ़िया के पूर्व ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों एवं पास बुक में जमा धनराशि का विवरण

19--**श्री शिव राम सिंह कुशवाहा**--क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जालौन के माधोगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम-गढ़िया के पूर्व प्रधान श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा अपने कार्यकाल वर्ष 1983 से 1988 के मध्य कराये गये निर्माण कार्यों का पासबुक में जमा धनराशि का विवरण अब तक प्रस्तुत न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उनके इस कृत्य के लिए उन्हें दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--जनपद जालौन के माधोगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम गढ़िया के पूर्व प्रधान श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा अपने कार्यकाल वर्ष 1983 से 1988 के मध्य कराये गये निर्माण कार्यों व पास बुक में जमा धनराशि का विवरण वर्तमान प्रधान श्री धर्मसिंह कुशवाहा को चार्ज में दे दिया गया है किन्तु रु0 9,465/- पूर्व प्रधान द्वारा चार्ज में नहीं दिये गये जिसकी वसूली हेतु वर्तमान प्रधान द्वारा मा0 परगना अधिकारी, जालौन के न्यायालय में वाद दायर कर दिया है जो अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर स्थित आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज में छात्रों से प्राप्त निर्धारित धनराशि, अध्यापकों आदि की भविष्य निधि की धनराशि खातों में जमा न करने तथा वेतन भुगतान समय से न करने की शिकायत

20--**श्री सुरेन्द्र विक्रम**--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर जनपद शाहजहांपुर के वेतन वितरण खाते में छात्रों से प्राप्त शुल्क का 80 प्रतिशत प्रतिमाह नियमित जमा हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इसके लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी नहीं ।

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

21--**श्री सुरेन्द्र विक्रम**--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज तिलहर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान शिक्षक वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अनुरूप हो रहा है ? क्या वहां निर्धारित समय में वेतन भुगतान हो जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इस परिपेक्ष्य में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अशोक बाजपेयी--वेतन वितरण अधिनियम, 1971 की प्रक्रिया के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संबंधित विद्यालय के स्टाफ का वेतन वितरण किया जाता रहा किन्तु मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 26-10-88 द्वारा एकल संचालन पर रोक लगा देने के कारण विद्यालय के स्टाफ को उनके वेतन हेतु प्राप्त अनुदान की धनराशि में से ही जिला विद्यालय निरीक्षक के चालू खाते में धन स्थानान्तरित किया जाता है । इस स्थानान्तरित धन से ही कर्मचारियों के नाम बैंक ड्राफ्ट बनवाकर ही वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

वेतन के बराबर अग्रिम धनराशि का भुगतान समय से कर दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

22--**श्री सुरेन्द्र विक्रम**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर नगर तिलहर में स्थित आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि माह अक्टूबर, 1988 से काटी जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह राशि नियमित रूप से जमा हो रही है ? धनराशि जमा न होने पर शिक्षकों व कर्मचारियों को इस पर मिलने वाले अर्जित ब्याज की क्षति हेतु कौन उत्तरदायी हैं तथा सरकार दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां ।

आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज का अनुदान शिक्षा निदेशालय के आदेश दिनांक 31 मार्च, 1970 द्वारा निलम्बित चल रहा है । उक्त आदेश के कारण विद्यालय के स्टाफ का वेतन भुगतान विद्यालय के वेतन संदाय हेतु खुले खाते से एकल परिचालन द्वारा किया जाता रहा। विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा मा0 मुंसिफ के न्यायालय में वाद दायर कर एकल परिचालन के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया जिसके फलस्वरूप धनाभाव के कारण अक्टूबर, 1988 से जुलाई, 1989 तक की भविष्य निधि की धनराशि अध्यापकों/कर्मचारियों के खातों से स्थानान्तरित नहीं की जा सकी । विभाग से अनुदान प्राप्त होने पर उसे अक्टूबर, 1989 में संबंधित अध्यापकों/कर्मचारियों के खातों में जमा करा दिया गया है । इसके उपरान्त भविष्य निधि की धनराशि नियमित रूप से जमा की जा रही है ।

मामल की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए एवं प्रकरण माननीय न्यायालय के अधीन विचाराधीन होने के कारण कोई कार्यवाही इस समय अपेक्षित नहीं है ।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड बिजौली स्थित ग्राम सभा पीपली के ग्राम प्रधान के विरूद्ध 'जवाहर रोजगार योजना' के धन के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायत एवं उसके जांच की मांग

23—**श्री कल्याण सिंह**—क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान ग्राम प्रधान, ग्राम सभा–पीपली, विकास खण्ड–बिजौली, जिला–अलीगढ़ के विरूद्ध "जवाहर योजना" में किये गए भ्रष्टाचार के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, जिला–अलीगढ़ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 21–3–90 के पत्र के साथ उक्त ग्राम के नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित कोई शिकायती–पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपर्युक्त ग्राम प्रधान के विरूद्ध क्या–क्या आरोप है ? इन आरोपों की जांच किस अधिकारी ने की है और जांच का निष्कर्ष क्या है ? सरकार ने इस संबंध में उक्त ग्राम प्रधान के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया—जी हां । उक्त शिकायती–पत्र में ग्राम प्रधान के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप हैं :—

(1) पुराने राशन कार्डों को निरस्त करके नये राशन कार्ड बनाने में चार–चार रु0 लिये गये हैं।

(2) पेयजल योजना के तहत जिन मुहल्लों में हैन्ड पम्प लगवाये गये हैं उनसे एक-एक हजार रुपया लिया गया है।

(3) ग्राम सभा की बचत की पड़ी हुई जमीन का निजी प्रयोग प्रधान द्वारा किया जा रहा है ।

(4) परिवार कल्याण हेतु मिले ग्राम विकास हेतु मिले धन का दुरुपयोग ।

(5) घटिया किस्म की ईंटों का प्रयोग किया गया है ।

(6) जवाहर रोजगार योजना के धन को प्रधान द्वारा निजी मकान बनवाकर सरकारी धन का गोलमाल किया है ।

(7) हरिजनों में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है ।

(8) ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा जवाहर रोजगार योजना एवं परिवार कल्याण के धन का हिसाब मांगने पर प्रधान द्वारा हिसाब नहीं दिया गया ।

प्रधान के विरुद्ध उक्त आरोपों की जांच अपर जिला विकास अधिकारी (ह0 क0) द्वारा की गयी जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में प्रधान को उपरोक्त आरोप संख्या –4 व 6 में दोषी पाया है, जिसका सूक्ष्म विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप संख्या–4––प्रधान को परिवार कल्याण योजना में रु0 20,000 मिले थे जिसमें से उन्होंने खडण्जा हेतु 22,000 ईट क्रय करना दर्शाया है जबकि, स्थलीय सत्यापन एवं माप के आधार पर सत्रह से साढ़े-सत्रह हजार ईटें ही खडण्जा में प्रयोग हुई हैं ।

आरोप संख्या-6--प्रधान को जवाहर रोजगार योजना में अंकन 52,00 में से मजदूरी अंश के व्यय को अनियमित एवं फर्जी तरीके से व्यय करने हेतु दोषी पाया है ।

अतः पंचायती राज अधिनियम की धारा-95 के अन्तर्गत प्रधान के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसकी सुनवाई परगना अधिकारी अतरौली के न्यायालय में विचाराधीन है ।

लखनऊ स्थित बादशाहनगर नई सचिवालय कालोनी एवं फैजाबाद रोड के मध्य लगाये गये वनों एवं तत्सम्बन्धी भूमि के स्वामित्व की जानकारी

24--**श्री रवीन्द्र कुमार सिंह**-क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद रोड और सचिवालय नई कालोनी, बादशाह नगर, लखनऊ के ब्लाक नं0-1 के सामने से कालोनी जाने वाली पुलिया तक किस विभाग की भूमि है और वृक्षारोपण के अन्तर्गत कितनी लागत से किस किस्म के कितने वृक्षों को, कितनी भूमि में लगाया गया था ? कंटीलेतार और माली एवं चौकीदार आदि पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई थी तथा अब कितनी भूमि और उस पर कितने पेड़ शेष रह गए हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--प्रश्नगत विषय से वन विभाग संबंधित नहीं है ।

प्रश्नगत भूमि राज्य सम्पत्ति तथा नजूल विभाग की है तथा नजूल विभाग के अनुसार भूमि न्यायालय में विवादित है ।

प्रश्नगत भूमि एवं उस पर कराए गए वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यों से वन विभाग संबंधित नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के विगत वर्ष के भविष्य निधि रकम को उनके खाते में जमा न किया जाना

25--**श्री पंचानन राय**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थ-नगर के किन-किन सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी भविष्य निधि उनके 31 मार्च; 90 तक खातों में जमा नहीं की गयी है ? जमा न करने के क्या कारण है तथा इसे कब तक जमा करा दिया जायेगा ? इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अशोक बाजपेयी--जनपद सिद्धार्थनगर में स्थित 9 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (**सूची संलग्न**) द्वारा 31 मार्च, 1990 तक अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि की धनराशि अध्यापकों/कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं की गयी ।

इस मामले की जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृ0 सं0 127 पर) ।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड नौतनवां, लक्ष्मीपुर एवं बृजमनगंज में नलकूप की, की गयी फ्री बोरिंग का विवरण

26--**श्री अमर मणि**--क्या पंचायती राज एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड नौतनवां लक्ष्मीपुर, बृजमनगंज में नलकूप की फ्री बोरिंग का क्या लक्ष्य रखा गया है, कितनी बोरिंग हो चुकी है तथा कितनी शेष है ? फ्री बोरिंग में प्रति किसान कितना खर्च आता है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त क्षेत्र में किसानों को मात्र बोरिंग पाईप ही दिया गया है, बोरिंग नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया--वर्ष 1990-91 में जनपद महराजगंज के विकास खण्ड नौतनवां, लक्ष्मीपुर एवं बृजमनगंज में दिनांक 31-12-90 तक की बोरिंग की प्रगति निम्नवत् है :--

विकास खण्ड का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	शेष
(1) नौतनवां	600	241	359
(2) लक्ष्मीपुर	400	157	243
(3) बृजमनगंज	270	60	210
योग--	1,270	458	812

जनपद में प्रति बोरिंग औसत व्यय रु0 3,500 -- का आता है ।

जी नहीं । कृषकों को बोरिंग पूर्ण कराकर हस्तांतरित किया जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद चमोली के जिलास्तरीय योजनाओं का निरीक्षण

27--**श्री कुंवर सिंह नेगी**--क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को ग्राम्य विकास अनुभाग-2 के पत्रांक 1122/38-2-1979, दिनांक 16 मार्च, 1979 के अनुपालन में जिला स्तरीय योजनाओं के निरीक्षण हेतु वर्ष 1990 में 1 मई तक जनपद चमोली के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आमंत्रित किया गया है ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश देंगे ?

श्री गौरी शंकर भइया--ग्राम्य विकास अनुभाग-2 के पत्रांक 1122/38-2-1979 दिनांक 16-3-1979 के अनुपालन में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को माननीय विधायकों से विभागीय योजनाओं के निरीक्षण करवाने एवं तद्विषयक सूचना भेजने हेतु जिला स्तर से समय समय पर निर्देश दिए गए हैं । वर्तमान समय में जिन विभागों के अधिकारियों से उक्त सूचना प्राप्त हुई है वह **यह संलग्न है** । पुनः समस्त अधिकारियों को उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 128 पर) ।

जनपद आजमगढ़ में रौनापार से नैनीजोर तक जिला परिषद् द्वारा निर्मित सड़क में अनियमितता की शिकायत

28—**श्री पंचानन राय**—क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में रोजगार से नैनी जोर तक जिला परिषद् द्वारा निर्मित सड़क का कार्य निम्न स्तर का होने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 फरवरी, 90 मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम यादव—जी हां। पत्र दिनांक 6 फरवरी, 1990 का नहीं, वरन् 8 फरवरी, 1990 का है।

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, आजमगढ़ को प्रकरण की जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, लखनऊ श्री जेतली द्वारा अपने सम्पत्ति का ब्योरा न प्रस्तुत करने सम्बन्धी शिकायत

29—**श्री अतीक अहमद**—क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि अतिरिक्त मुख्य आधिकारी जिला परिषद् लखनऊ के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री जेटली द्वारा अपनी अस्तियों एवं दायित्वों का कोई विवरण विभाग में प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो कब और वह क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के रूप में अपने विगत 17 वर्षों से भी अधिक के कार्यकाल में श्री जेटली द्वारा अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई घोषणा प्रस्तुत की गयी है ? यदि हां, तो क्या और कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति की जांच करायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव—जी हां। श्री जेटली द्वारा अपने विवाह में एक सोफा तथा फ्रिज उपहार स्वरूप प्राप्त होने की सूचना दी गई थी। वर्ष 1975 में श्री जेटली द्वारा दिये गये अस्तित्वों एवं दायित्वों के बारे में यह सूचित किया गया था कि पैतृक सम्पत्ति के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। वर्ष 1981 में श्री जेटली द्वारा अपनी बचत व पैतृक सम्पत्ति से अर्जित धनराशि से एक पुराना स्कूटर क्रय करने की सूचना दी गयी थी। अपर मुख्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति के उपरान्त श्री जेटली को परिवार कल्याण पुरुस्कार के रूप में वर्ष 1986 में एक टु-इन-बन प्राप्त हुआ था तदोपरान्त श्री जेटली ने एक सेकेन्ड हैंड टी0 वी0 व एक नई अलमारी क्रय करने की घोषणा क्रमशः वर्ष 1987 व 1989 में प्रस्तुत की थी। इसके अतिरिक्त श्री जेटली ने अचल सम्पत्ति के संबंध में भूमि एवं भवन के क्रय हेतु सरकार से वर्ष 1989 में रु0 50,000/- का ऋण लिया है जो आवास एवं विकास परिषद् में जमा किया जा चुका है।

शहीद इण्टर कालेज मधुवन, जनपद मऊ के प्रधानाचार्य पर लगाये गये आरोपों की जांच

30—**श्री केदार नाथ सिंह**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहीद इण्टर कालेज मधुवन जनपद मऊ के प्रधानाचार्य को प्रबन्धतन्त्र ने उनके अवैधानिक कार्यों के कारण निलम्बित और सेवामुक्त कर उनका मामला शिक्षा सेवा आयोग को आगे कार्यवाही के लिए भेज दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में आयोग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अशोक बाजपेयी—प्रकरण शिक्षा सेवा आयोग को सन्दर्भित नहीं किया गया। नई प्रबन्ध समिति ने प्रधानाचार्य की सेवाओं को बहाल कर विद्यालय में दिनांक 25-6-90 से कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर स्थित ग्राम सभा अमृत पुर के पूर्व प्रधान द्वारा कैश-बुक उपलब्ध न कराये जाने पर कार्यवाही

31—**श्री विमल प्रसाद तिवारी**—क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अमृतपुर विकास खण्ड राजेपुर जनपद-फर्रुखाबाद की नई कैशबुक दिनांक 1-3-1988 से प्रारम्भ की गई है क्योंकि पूर्व प्रधान ने कैशबुक नहीं दी ? यदि हां, तो क्या उक्त तिथि से पूर्व किये गये आय एवं व्यय तथा अवशेष राशि की वस्तुस्थिति जानने हेतु कोई जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव—जी हां। दिनांक 1-3-1988 से पूर्व की कैशबुक पूर्व प्रधान द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण उनके विरुद्ध थाना राजेपुर में दिनांक 12-7-1990 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी। पुलिस द्वारा जांच करने के पश्चात् दिनांक 24-8-1990 को प्रश्नगत प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुलाब राय मान्टेसरी स्कूल बरेली की अध्यापिकाओं को मान्यता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला अध्यापिकाओं की भांति वेतन देने की व्यवस्था

32—**डा० दिनेश जौहरी**—क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि गुलाब राय मान्टेसरी स्कूल बरेली की अध्यापिकाओं को मान्यता प्राप्त प्राइमरी अध्यापिकाओं के समान वेतन नहीं दिया जा रहा है ? इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी इस स्कूल की अध्यापिकाओं को मान्यता प्राप्त प्राइमरी अध्यापकों के समान वेतन दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी—जी हां।

ऐसे नर्सरी एवं मान्टेसरी विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा भुवना बुजुर्ग के प्रधान के विरूद्ध अनियमितता की शिकायत एवं कृत कार्यवाही

33- **श्री पंचानन राय**--क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा भुवना बुजुर्ग के प्रधान के विरूद्ध सदस्यों एवं नागरिकों के कौन-कौन से शिकायती पत्र अप्रैल, 1989 से अक्टूबर 89 के मध्य जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुए हैं ? पत्र में प्रमुख शिकायतें क्या है ? इनके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम यादव--गांव सभा भुवना बुजुर्ग के प्रधान के विरुद्ध पचास व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक शिकायती पत्र दिनांक 9 अगस्त, 1989 को जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित मुख्य आरोप निम्नवत् हैं :--

(1) महिला सदस्यों के आमेलन में प्रधान द्वारा दिनांक 16-8-88 को अपने दरवाजे (डीह के स्थान पर) पर बिना सभी सदस्यों को सूचित किए हुये बैठक बुलाना ।

(2) दिनांक 29-8-1988 को बैठक बुलाकर फर्जी तरीकों से उपप्रधान को चुनाव कराने का प्रयास करना ।

(3) दिनांक 5-5-1989 को तीन व्यक्तियों का चयन फर्जी बैठक बुलाकर किया जाना ।

(4) ग्राम पंचायत का विधिवत् गठन न होना, महिला सदस्यों का आमेलन न होना, उप प्रधान का चुनाव न होना और ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक न कराये जाना ।

(5) दिनांक 7-8-89 को जवाहर योजना की बैठक निर्धारित स्थान पर न कराने के सम्बन्ध में यह आशंका व्यक्त की गई कि कहीं फर्जी बैठक की कार्यवाही पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर योजना के आवंटित धन के दुरूपयोग का प्रयास न किया जाय । जांच के उपरान्त किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के कतिपय बड़े ग्रामों की सभा का दर्जा दिये जाने की मांग

34--**श्री नजमउद्दीन**--क्या पंचायती राज मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कितनी आबादी पर एक गांव सभा बनायी जाती है ? क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, इलाहाबाद के वि0 खं0 वडिहार, होलागढ़, सौरांव एवं मऊ आईमा के कई नम्बरी गांवों को दूसरी गांव सभा में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां,तो वे कौन से गांव हैं ? क्या मंत्री जी उन्हें आबादी के आधार पर अलग गांव का दर्जा प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव— गांव की आबादी 250 या उससे अधिक होने और उसके माल का गांव होने पर गांव सभा बनायी जाती है।

जी हां।

सूची संलग्न है।

वर्तमान समय में जनगणना का कार्य प्रारम्भ हो जाने के कारण गांव सभा पुनर्गठन पर जून, 1991 तक रोक लगा दी गयी है।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर में निर्मित निर्बल एवं इन्दिरा उपवासों में प्रयुक्त भवन सामग्री की आपूर्ति के ठेके की जानकारी

35—**श्री विजय सिंह**—क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड म्योरपुर में निर्बल आवास व इन्दिरा आवास निर्माण हेतु एसबेस्टर्स शीट, चौखट, दरवाजे खिड़की आदि की सप्लाई किसने की थी? क्या सप्लाई कार्य के लिए समाचार पत्रों में निविदा दी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर भइया—जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर में निर्बल वर्ग आवास व इन्दिरा आवास निर्माण हेतु एसबेस्टर्स शीट, चौखट, दरवाजे व खिड़की आदि की सामग्री निर्माण हेतु गठित निर्माण समिति द्वारा क्रय की गयी थी। समाचार पत्रों में निविदा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के बाजपुर नगर स्थित जिला परिषद् की भूमि को अवैध रूप से लीज पर दिये जाने की शिकायत

36—**डा० दिनेश जोहरी**—क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि नैनीताल जनपद की जिला परिषद् की भूमि बहुत कम धन लेकर लीज पर दी गई है जिसमें सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है? इसी जनपद के बाजपुर नगर में खोड़ की बहुमूल्य भूमि इस वर्ष एक स्कूल को चलाने के लिए जिला परिषद् द्वारा लीज पर दे दी गई और इसका विरोध करने पर नगरपालिका बाजपुर के चेयरमैन श्री योगराज पासी व अन्य लोगों को झूठे मुकदमों में जेल भेज दिया गया? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विवादास्पद भूमि कितनी थी, जिला परिषद् ने कितने में लीज पर दी तथा इस भूमि के बाजार भाव क्या है?

श्री बलराम यादव—सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के कतिपय जिलों में पी० आर० डी० जवानों को दी जाने वाली ड्यूटी भत्ते भुगतान न किये जाने की शिकायत

37—**श्री अनिल कुमार सिंह यादव**—क्या कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में पी० आर० डी० जवानों के

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 131 पर)।

ड्यूटी भत्ता हेतु जनपद--देवरिया गोरखपुर, बदायूं, अलीगढ़ एवं बहराइच को कितनी--कितनी धनराशि कितनी--कितनी बार आवंटित की गई है ? कितनी धनराशि उक्त अवधि की एटा जनपद के पी0 आर0 डी0 जवानों को देने हेतु बकाया है ? उक्त अवधि का डयूटी भत्ता न दिये जाने का क्या कारण है ? उन्हें ड्यूटी भत्ते का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री भगवती सिंह --वित्तीय वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 पी0 आर0डी0 जवानों के डयूटी भत्ता हेतु प्रश्नांकित जनपदों को निदेशालय द्वारा निम्न प्रकार आवंटन किया गया है :--

जनपद	1988-89	1989-90
	रु0	रु0
1--देवरिया	1,92,525	1,91,349
		1,23,639
		80,500
2--गोरखपुर	52,500	...
	4,20,000	...
3--बदायूं	1,66,265	8,45,100
4--अलीगढ़	...	50,539
5--बहराइच	2,40,930	5,00,170
	6,00,000	5,00,800

वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में एटा जनपद के जवानों की क्रमशः 1,51,005 रु0 तथा 9,48,995 रु0 की धनराशि देय थी जिसमें से वर्ष 1988-89 की सम्पूर्ण धनराशि तथा वर्ष 1989-90 की 9,48,974 रु0 का भुगतान किया जा चुका है। एटा जिले के पी0 आर0 डी0 जवानों को वर्ष 1989-90 में वितरण हेतु मात्र 21 रु0 की धनराशि अवशेष है जिसका वितरण न होने के कारण अवत है।

जनपद फैजाबाद में ब्लाक सोहावल के पंचायत सचिव के विरुद्ध जन्म-मृत्यु रजिस्टर में असत्य प्रविष्टि करने सम्बन्धी शिकायत

38--श्री गजराज सिंह--क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत ब्लाक सोहावल के पंचायत सचिव द्वारा परिवार/जन्म-मृत्यु रजिस्टर में असत्य प्रविष्टि करने विषयक श्री सोहन पाल निवासी ग्राम बड़ा गांव (मुस्तफाबाद) ब्लाक सोहावल जनपद फैदाबाद का पत्र दिनांक 20-10-89 खण्ड विकास अधिकारी सोहावल फैजाबाद को तथा समापति आश्वासन समिति विधान सभा का उक्त विषयक पत्र (संलग्नक सहित) दिनांक 21-7-90 पंजीकृत डाक द्वारा जिला अधिकारी, फैजाबाद एवं ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या परिवार रजिस्टर को संशोधित कर श्री सोहन लाल को उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दी गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इस संबंध में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव---जी हां ।

ग्राम बड़ः गांव (मुस्तकाबाद) के स्थानीय परिवार/जन्म–मृत्यु रजिस्टर में अपेक्षित अंकन किये जाने के उपरान्त श्री सोहनलाल को प्रतिलिपि दिनांक 17–1–91 को उपलब्ध करा दी गई है । प्रकरण में की गई जांच के फलस्वरूप किसी व्यक्ति के दोषी न पाये जाने के कारण आगे किसी कार्यवाही की अवश्यकता नहीं समझी गई ।

जनपद कानपुर देहात के परगना भोगनीपुर में वर्ष 1988 में हुए ग्राम पंचायतों के चुनाव में हुई अनियमितताओं के विरुद्ध दायर याचिकाओं का निस्तारण एवं विवरण

39-–**श्री राम स्वरूप वर्मा**---क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में सन् 1988 में हुये ग्राम पंचायतों के चुनाव में कितनी चुनाव याचिकायें एम० डी० एम० भोगनीपुर की अदालत में चुने गये प्रधानों के खिलाफ दाखिल हुयी थी और उनमें से कितनी चुनाव याचिकायें विधिवत निस्तारित हो चुकी हैं और कितनी निस्तारण के लिये शेष है ? उनका निस्तारण कब तक हो जाने की उम्मीद है ?

श्री बलराम यादव---वर्ष 1988 में चुने गये प्रधानों के खिलाफ 22 चुनाव याचिकायें दाखिल हुई ।

17 चुनाव याचिकायें विधिवत निस्तारित हो चुकी हैं ।

5 चुनाव याचिकायें निस्तारण के लिए शेष हैं ।

शेष चुनाव याचिकाओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में विकास खण्ड भीटी के कतिपय ग्रामों के प्रधानों द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत की गयी वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत

40—**श्री दया शंकर**---क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी में स्थित गांव सभा सोनावा तथा गांव सभा तकिया कानूनगो और कटेहरी में स्थित गांव सभा गोपालपुर में विगत वित्तीय वर्ष में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितायें करके सरकारी धन का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी गांव सभाओं में 31 मार्च, 90 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर दोषी लोगों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया---सम्बन्धित प्रकरण में जांच कार्यवाही की जा रही है तथा जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायगी ।

जनपद फैजाबाद के एम0 एल0 एम0 एल0 इण्टर कालेज के कतिपय शिक्षकों द्वारा अनुपस्थिति के दिनों का पूर्ण वेतन लेने की शिकायत एवं उसके जांच की मांग

41--श्री दया शंकर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री कवीन्द्र साहनी नगर मंत्री, जनता पार्टी, फैजाबाद का शिक्षा मंत्री उ0 प्र0 को सम्बोधित और शिक्षा सचिव, उ0 प्र0 शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0 प्र0 उप शिक्षा निदेशक मण्डल फैजाबाद तथा जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद को पृष्ठांकित दिनांक 8-6-90 का रजिस्टर्ड पत्र जिसमें एम0 एल0 एम0 एल0 इण्टर कालेज, फैजाबाद में कार्यरत अध्यापकों द्वारा अक्सर गैर हाजिर रहकर पूर्ण वेतन लेने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक कृत कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री अशोक वाजपेयी--जी हां।

मामले में जांच करायी गयी। जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

दस्यु प्रभावित जनपदों मे मार्गों के निर्माण हेतु केन्द्र एवं प्रदेशीय सरकार के योगदान की जानकारी

42--**श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा तथा श्री राम प्रसाद सिंह**--क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने दस्यु प्रभावित जनपद है तथा इन जनपदों में सबसे अधिक दस्यु समस्या किस जनपद में है, इन दस्यु प्रभावित जनपदों के लिये पक्के सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिये कितनी धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 90-91 के बजट में किया गया है तथा कितनी धनराशि केन्द्र सरकार से इन जनपदों के लिये उक्त कार्य के लिये मिलने की सम्भावना है? क्या सबसे अधिक दस्यु प्रभावित जनपद के आवागमन की कमियों को देखते हुये सबसे अधिक धनराशि प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--प्रदेश के तेरह जनपद दस्यु प्रभावित हैं। इसमें से जनपद बांदा में दस्यु समस्या सबसे अधिक है।

दस्यु प्रभावित जनपदों में पक्के सम्पर्क मार्गो के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 1990-91 के बजट में 457.62 लाख रुपये का प्राविधान है तथा केन्द्र सरकार से 692 लाख रुपये मिलने की सम्भावना है।

दस्यु पीड़ित क्षेत्रों में सड़कों के विकास की योजना के अन्तर्गत जनपद बांदा का कोई कार्य भारत सरकार ने अभी अनुमोदित नहीं किया है अतः इस जनपद में आवागमन के कार्यों के लिए धन प्रदान किया जाना भारत सरकार के अनुमोदन पर निर्भर है।

43--श्री ऊदल--[दिनांक 24-1-91 को अता प्र0 सं0 194 द्वारा उत्तरित]

श्री राजकुमार त्रिपाठी, रेंजर, बिल्हौर कानपुर के विरुद्ध आरोपित शिकायतों की जांच

44--**श्री राज किशोर सिंह** - क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे की राज कुमार त्रिपाठी, रेंजर, बिल्हौर कानपुर के विरुद्ध दिनांक 26-6-89 को श्री सरजू पाण्डेय तत्कालीन एम0 एल0 सी0 द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र तत्कालीन राज्य मंत्री वन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें वर्णित तथ्य क्या थें ? क्या मंत्री जी उक्त रेंजर को निलम्बित कर उसके कृत्यों की जांच तथा उस पर कार्यवाही सुनिश्चित कराकर सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--जी हां ।

उक्त शिकायत पत्र में प्रश्नगत रेंजर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे । जांचोपरान्त शिकायती पत्र निराधार पाया गया ।

जनपद गोरखपुर के प्रत्येक ग्रामों में शौचालय निर्माण की योजना

45--**श्री मिठाई लाल शास्त्री**--क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में प्रत्येक गांव में शौचालय बनवायें जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता ।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक चयनित ग्रामों में कम से कम 20 लाभार्थियों के यहां शौचालयों के निर्माण कराने की योजना है। जनपद गोरखपुर में कुल चयनित ग्रामों की संख्या 195 है ।

जनपद लखीमपुर-खीरी के तहसील मोहम्मदी स्थित ग्राम जंगबहादुर गंज से गुजरने वाला 24 नं0 राष्ट्रीय मार्ग के ऊंचाई के फलस्वरूप नीचे बने दुकानों एवं मकानों के जल निकासी की व्यवस्था

46--**श्री छोटे लाल**-- क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जंग-बहादुर गंज परगना व तहसील मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर-खीरी में 24 राष्ट्रीय मार्ग 4, 5 फुट ऊंचा करके बनवाया गया है जिसके दोनों तरफ दुकानें एवं मकानें हैं ? क्या मंत्री जी पानी के बहाव हेतु सड़क के दोनों तरफ नालियां बनवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--जी हां ।

मार्ग के दोनों ओर पानी के बहाव हेतु नालियों का निर्माण परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर है जिसके लिए लगभग 8.18 लाख रु0 की लागत का आगणन उन्हें जा भेजा चुका है ।

जनपद लखीमपुर-खीरी में मार्ग संख्या 24 की ओर से क्षतिग्रस्त लखीमपुर-खीरी मैगलगंज मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

47-- **श्री छोटे लाल**--क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैंगलगंज जनपद लखीमपुर-खीरी में राष्ट्रीय मार्ग- 24 से मैंगलगंज लखीमपुर मार्ग लगभग 1 किलो मीटर काफी खराब है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उसकी मरम्मत करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--जी हां । वर्ष 90 की अभूतपूर्व वर्षा में राष्ट्रीय मार्ग संख्या--24 की ओर से लखीमपुर--मैंगलगंज मार्ग का लगभग 1.00 कि0 मी0 भाग जगह--जगह क्षतिग्रस्त हो गया था । उक्त भाग की मरम्मत का कार्य प्रगति में है, जिसे शीघ्र पूर्ण किये जाने की आशा है ।

दुधवा नेशनल पार्क के विलुप्त होने वाले जानवरों के संरक्षण की व्यवस्था

48---**श्री सुरेन्द्र विक्रम**--विधान सभा तृतीय सत्र 90 के 4थे सोम0 के अता0 प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 17 किलो मीटर एरिया में राम गंगा और बहगुल नदी के किनारे की झाड़ियों आदि में भी दुधवा नेशनल पार्क से विलुप्त हो रहे जानवरों की जांच करायेंगे तथा उनकी सुरक्षा हेतु तत्काल व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--जनपद शाहजहांपुर की तिलहर तहसील में रामगंगा व बगुल नदियों के मध्य इंगित 17 किमी0 क्षेत्र में जांच कराने पर ऐसा कोई भी वन्य पशु उक्त क्षेत्र में नहीं पाया गया जो कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क में पाई जाने वाली विलुप्त हो रही प्रजातियों में से हो । उक्त क्षेत्र में नीलगाय व काले हिरन ही पाए जाते हैं, जिनकी सुरक्षा सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, शाहजहांपुर के फील्ड कर्मचारियों द्वारा की जाती है ।

जनपद हरदोई के नगर क्षेत्र साण्डी एवं विलग्राम के बेसिक शिक्षा परिषद् के भवनहीन विद्यालयों से सम्बन्धित भूमि एवं भवन का प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा मंगाये जाने की जानकारी

49---**श्री फौजदार प्रसाद**--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा-परिषद् नगर क्षेत्र साण्डी एवं विलग्राम जनपद हरदोई के भवनहीन विद्यालयों से संबंधित भूमि एवं भवन हेतु प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गये हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव विभाग में कब प्राप्त हुये तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार वर्ष 1990 में उक्त नगर क्षेत्रों के विद्यालयों के भवन बनवाने हेतु धन का आवंटन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां । प्रदेश के नगर क्षेत्रों में स्थित बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों हेतु भूमि/भवन क्रय हेतु प्रस्ताव मांगा गया था ।

[श्री अशोक बाजपेयी---]

जनपद हरदोई नगर क्षेत्र साण्डी के दो विद्यालयों का प्रस्ताव शासन को जुलाई. 1989 में प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर भूमि के स्वामित्व आदि की पुष्टि किये जाने की शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

धन का आवंटन पहले ही किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी दोहरी नीति को समाप्त करने की मांग

50---**श्री फौजदार प्रसाद**---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में दो श्रेणी (रनिंग स्केल व नियत वेतन) बनायी गयी है ? क्या यह सत्य है कि नियत वेतन में कार्यरत कर्मचारी सन् 1972 में निर्धारित वेतन रिपोर्ट के पूर्व रनिंग स्केल 20-1/2-25 एवं 22-1-90 के रनिंग स्केल में कार्यरत थे तथा यह दोनों स्केल वर्ष 1967 में 30-1-40 में परिवर्तित हो गये थे ? यदि हां, तो विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को 30-1-40 का वेतनमान न दिये जाने का क्या कारण था ? क्या सरकार उक्त दोहरी नीति को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी---जी हां । नियत वेतन के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण नियत वेतन में ही किया गया था तथा रु0 20-1/2-25 के रनिंग स्केल का पुनरीक्षण वर्ष 1967 में रनिंग स्केल रु0 30-1-40 में परिवर्तित किया गया था । रु0 22-1-90 का कोई स्केल नहीं था ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

नियत वेतन के पदों को रनिंग स्केल में परिवर्तन करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सकता है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत रनिंग स्केल के रिक्त पदों पर नियत स्केल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नति

51---**श्री फौजदार प्रसाद**---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 4869/15-5-89-423/89 दिनांक 16-9-89 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 11668 पद रनिंग स्केल में तथा 6789 पद नियत वेतन में स्थायी रूप में दिखाये गये हैं ? यदि हां तो वर्तमान समय में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रनिंग स्केल में कार्यरत हैं तथा कितने कर्मचारी नियत वेतन में कार्यरत है ? क्या सरकार रनिंग स्केल में रिक्त पड़े हुये पदों पर नियत वेतन के कर्मचारियों की प्रोन्नति कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी---जी हां । सूचना एकत्र की जा रही है।

जी हां । नियत वेतन में कार्यरत कर्मचारियों को रनिंग स्केल में रिक्त पदों पर समायोजित किये जाने हेतु निर्देश बेसिक शिक्षा परिषद् के पत्र दिनांक 26 मई, 1981 द्वारा पूर्व में ही दिये जा चुके है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के तहसील केराकत स्थित ग्राम सभा कछवन के ग्राम प्रधान के विरूद्ध जवाहर रोजगार योजना के धन का कथित दुरुपयोग

52---**श्री राम लक्ष्मी नारायण सिंह**---विधान सभा तृतीय सत्र 90 के प्रथम सोम0 के अतारां0 प्रश्न सं0 20 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम प्रधान के विरूद्ध कौन-कौन सी शिकायतें की गयी है और उनकी जांच किस अधिकारी ने कब की ? क्या शिकायतों की जांच शिकायत कर्ताओं के समक्ष की गयी थी और उनके बयान लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? और उक्त शिकायतों को निराधार पाये जाने के क्या प्रमाण उपलब्ध कराये गये ? क्या यह सही है कि जांच कर्ता ने शिकायत कर्ताओं को सुनवायी का अवसर नहीं दिया था ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया---उप प्रधान ग्राम सभा कछबन आदि निवासी ग्राम सभा कछबन का ग्राम सभा प्रधान कछबन के विरूद्ध जवाहर रोजगार के अन्तर्गत फर्जी बिल और आंकड़े प्रस्तुत करने और जवाहर रोजगार योजना के प्राविधानों के विपरीत कार्य पद्धति अपना कर 46,200/- रु0 गबन कर लेने आदि सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-2-90 को प्राप्त हुआ है ।

उक्त ग्राम प्रधान कछबन के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच सम्बन्धित परगनाधिकारी केराकत तथा खण्ड विकास अधिकारी डोभी के स्तर से करायी गयी है । जांच नायब तहसीलदार डोभी तहसील-केराकत द्वारा दिनांक 30-5-90 को की गयी है । दूसरी जांच सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खण्ड, डोभी द्वारा दिनांक 4-6-90 को की गयी है । जांचकर्ता की रिपोर्ट से विदित है कि ग्राम प्रधान के द्वारा किये गये कार्यों का स्थल निरीक्षण विशाल जनसमूह की उपस्थिति में किया गया है । प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से एक-दो एवं उप प्रधान को छोड़कर सभी सदस्य अनुपस्थित रहे। जांचकर्ता द्वारा शिकायतों के निराधार होने के प्रमाण में प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों तथा उसके व्यय विवरण मौके पर सही पायें गये।

गोविन्द बल्लभ पंत उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, बरेली को अनुदान सूची में सम्मिलित करने की मांग

53---**डा0 दिनेश जौहरी**---क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बहेड़ी जनपद बरेली में कन्याओं के एक हाईस्कूल गोविन्द बल्लभ पन्त उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय में वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी अनुदान न मिल पाने के कारण अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री इस विद्यालय को अनुदान सूची में शामिल कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक वाजपेयी---जी हां। प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

बरेली कालेज के भूतपूर्व शिक्षकों के पेंशन विसंगतियों का निवारण

54---**डा0 दिनेश जौहरी**---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली कालेज के शिक्षकों (भू0 पू0) की पेंशन में हो रही विसंगतियों के विषय में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मुख्य मंत्री को 28-4-90 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक---प्रश्न में उल्लिखित पत्र सम्बन्धित अनुभाग में प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु बरेली कालेज, बरेली के दो भूतपूर्व शिक्षकों के पेंशन संशोधन के पत्र शिक्षा निदेशालय (उ0शि0) उ0 प्र0, इलाहाबाद में प्राप्त हुये थे और उनके द्वारा पेंशन संशोधन संबंधी आदेश दिनांक 19-1-91 को निर्गत किये जा चुके है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर अन्तर्गत ग्राम सभा बिनोरा, बिनोरिया के ग्राम बाहनापुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत काम न कराये जाने की शिकायत

55---**श्री सुरेन्द्र विक्रम**---क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की ग्राम सभा बिनोरा बिनोरिया के ग्राम बाहनपुर में जवाहर योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्य नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि इस संबंध में दिनांक 9-8-90 को ग्रामीणों ने प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ शिकायती प्रार्थना-पत्र मंत्री जी को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गौरी शंकर भइया---जी नहीं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की ग्राम सभा बिनौरा-बिनौरिया को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 रुपया 26,940/ का आवंटन किया गया था। उक्त ग्राम सभा में निम्नांकित कार्य सम्पन्न कराये गये हैं:---

ग्राम का नाम	कार्य का नाम	माप
1	2	3
बिनौरा-बिनौरिया	1---जल निकास नाला	325 मीटर
	2---वृक्षारोपण	750 वृक्ष
बाहनपुर	3---मिट्टी एवं खडंजा निर्माण	100 मीटर

प्रश्न में उल्लिखित तत्कालीन मंत्री जी को दिया गया शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनसेवा इण्टर कालेज, कर्बी जनपद बांदा में मान्यता प्राप्त विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति

56--**श्री राम प्रसाद सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के जनसेवा इण्टर कालेज कर्बी को वर्ष 1984 से विज्ञान, गणित, इतिहास एवं राजनीति शास्त्र विषयों में इण्टर में मान्यता प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो क्या इन विषयो से संबंधित अध्यापकों के पदों का सृजन कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? कब तक प्रश्नगत पदों को सृजित कराकर उन पर नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां, राजनीति शास्त्र विषय को छोड़कर शेष उल्लिखित विषयों में मान्यता प्राप्त है।

भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान विषय के अध्यापकों के पद सृजित कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

मानकानुसार देय उपरोक्त पद दिनांक 19-1-1991 को सृजित कर दिये गये हैं। नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, बुन्देलखण्ड के विरूद्ध आरोपित अनियमितताओं की जांच

57--**श्री राम प्रसाद सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के तत्कालीन विधायक श्री राम संजीवन ने दिनांक 16 सितम्बर, 87 को कोई पत्र तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 वि0 लखनऊ तथा मंत्री सा0 नि0 वि0, मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 को मुख्य अभियन्ता बुन्देलखण्ड सा0 नि0 वि0 झांसी की अनियमितताओं के संबंध में दिया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--प्रत्येक सम्बन्धित स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों तथा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त सूचना से प्रश्नगत पत्र की प्राप्ति की पुष्टि नहीं होती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम विलास शुक्ल भू0 पू0 सहायक उपस्थिति अधिकारी को पेंशन का लाभ जनपद फर्रुखाबाद, दिये जाने तथा देय भत्तों का भुगतान करने की मांग

58--**श्री विमल प्रसाद तिवारी**--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम विलास शुक्ल, सहायक उपस्थिति अधिकारी, नगरपालिका क्षेत्र, फर्रुखाबाद की सेवायें 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद् में स्थानान्तरित कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या सेवा निवृत्ति के उपरान्त इन्हें नियमानुसार पेंशन लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी---जी हां ।

जी नहीं ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के ऐसे नगर क्षेत्रों से आये शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिन्हें पेंशन की सुविधा देय नहीं थी को शासनादेश दिनांक 6-11-1980 के अन्तर्गत दिनांक 1-4-1980 को अथवा उसके पश्चात् सेवा निवृत्त शिक्षणत्तर कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा अनुमन्य की गयी है । श्री शुक्ल सहायक उपस्थिति अधिकारी नगर क्षेत्र फर्रुखाबाद 1976 में सेवा निवृत्त हुए थे ।

59---**श्री विमल प्रसाद तिवारी**---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम विलास शुक्ला सहायक उपस्थिति अधिकारी, नगरपालिका फर्रुखाबाद ने अपने पद के दायित्वों के साथ दिनांक 5-10-70 से दिनांक 15-3-74 तक शिक्षा अधीक्षक नगरपालिका फर्रुखाबाद का भी कार्य किया ? यदि हां, तो क्या इस अवधि का नियमानुसार देय भत्ता इन्हें दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी---जी हां

जी नहीं । सहायक उपस्थिति अधिकारी श्री राम विलास शुक्ला द्वारा शिक्षा अधीक्षक के पद पर कार्य करने से सम्बन्धित तत्कालीन सक्षम अधिकारी के औपचारिक आदेश न होने के कारण ।

बृजेश इण्टरमीडिएट कालेज, गुलालपुर, जौनपुर की प्रतिभूति एवं विद्यालय के जमीन के मुआवजे में की गयी अनियमितता की जांच

60---**श्री रवीन्द्र कुमार सिंह**---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रजेश इण्टरमीडिएट कालेज, गुलालपुर, जौनपुर के पूर्व प्रबन्धक द्वारा प्रतिभूति तथा उक्त विद्यालय की जमीन के मुआवजे का धन विभागीय जांच में 40,000/- (चालीस हजार) का गबन किया जाना पाया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी---विभागीय जांच में बृजेश इण्टरमीडिएट कालेज, गुलालपुर, जौनपुर के पूर्व प्रबन्धक श्री महेन्द्र नाथ सिंह द्वारा प्रभूत भूमि के मुआवजे से प्राप्त धन-राशि 40,000/- रुपये नहीं बल्कि 83,830/- रुपये का गबन किया जाना पाया गया ।

अपर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 18-7-1990 को विद्यालय के वर्तमान प्रबन्धक को उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय निवारण) अधिनियम 1974 की धारा 6 (ङ) के अन्तर्गत पूर्व प्रबन्धक से धनराशि वसूल कर विद्यालय के कोष में जमा करने हेतु नोटिस दी जा चुकी है । जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर द्वारा भी वर्तमान प्रबन्धक को पूर्व प्रबन्धक के विरूद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट अंकित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं । जिलाधिकारी, जौनपूर से भी धनराशि को बसूल कराये जाने के लिए लिखा गया है ।

61--श्री रामरती बिन्द--[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी अन्तर्गत ग्राम बंवा में निर्बल वर्ग आवासों के निर्माण में निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना

62--**श्री राम चन्द्र बख्श सिंह**--क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बंवा विकास खण्ड बंकी जनपद बाराबंकी में वर्ष 88-89 व 89-90 में कितने लोगों के निर्बल वर्ग आवास बनाये गये हैं ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि विकास खण्ड अधिकारी ने कुछ निर्बल वर्ग आवास गांव सभा व गांव पंचायत के प्रस्ताव के बगैर बनवाया है तथा एक ऐसे व्यक्ति का आवास अब तक नहीं बनवाया गया है जिसमें गांव सभा का प्रस्ताव था ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के कितने पत्र जिलाधिकारी बाराबंकी को 1 जनवरी, 1990 से जून, 1990 तक प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करेंगे ।

श्री गौरी शंकर भइया--वर्ष 1988-89 में 22 अनुसूचित जाति के आवास बनवाये गये हैं तथा वर्ष 89-90 की योजना के अन्तर्गत 2 अनुसूचित जाति के तथा 1 गैर अनुसूचित जाति का आवास बनाये जाने का प्रस्ताव है।

सभी आवास गांव सभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही बनाये गये हैं । ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित अवशेष श्री खुशीराम पुत्र श्री महाबीर का आवास निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष निर्मित कराया जा रहा है ।

दो पत्र दिनांक 26-3-90 एवं 23-4-90 को प्राप्त हुए ।

शिकायती पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं की जांच कराने के बाद श्री राम सिंह का आवास निर्मित कराया जा चुका है तथा खुशीराम का आवास निर्मित कराया जा रहा है ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड निन्दुरा में राजकीय हाई स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव

63--**श्री राम चन्द्र बख्श सिंह**--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी विकास खण्ड निन्दुरा में शासन द्वारा कई वर्षों से राजकीय हाई स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो वह स्कूल कब तक तथा किस स्थान पर बनाया जाना प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री अशोक बाजपेयी--छठीं पंचवर्षीय योजनाकाल में उपर्युक्त भवन/भूमि की उपलब्धता के अभाव में विकास खण्ड निन्दुरा (बाराबंकी) मे राजकीय हाई स्कूल की स्थापना नहीं की जा सकी । सातवीं/आठवीं पंचवर्षीय योजना में बालकों के लिये राजकीय हाई स्कूल खोलने की योजना के अभाव में वहां राजकीय हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी में निघासन बिलरांया मार्ग पर जोरहा और सुहेली नदी पर बने पुल से टोल टैक्स समाप्त करने का प्रस्ताव

64--**श्री निरवेन्द्र कुमार**--क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निघासन-बिलरांया मार्ग पर जोरहा व सुहेली नदी पर बने पुल के निर्माण में कितनी लागत आयी थी? इस पुल से टोल टैक्स के रूप में कुल कितना धन वसूला जा चुका है ? क्या यह सही है कि सहकारी चीनी मिल, बिलरांया जनपद लखीमपुर खीरी से लगभग 7 लाख रुपये प्रति वर्ष "टोल टैक्स" के रूप में प्राप्त होते है ? क्या यह भी सही है कि पुल की निर्माण लागत टैक्स के रूप में वसूल हो चुकी है ? यदि हां, तो पुल को कब तक टैक्स फ्री किया जा रहा है ? यदि निर्माण लागत अवशेष है, तो अवशेष धनराशि क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--जोरहा सेतु व सुहेली सेतु की कुल निर्माण लागत क्रमशः रु0 22.63 लाख व रु0 21.48 लाख आयी थी।

उक्त पुलों से मार्च, 1990 तक कुल वसूली क्रमशः रु0 24,88,882.00 व रु0 27,90,432.00 की हुई है।

जी नहीं।

जी हां।

मूल लागत पर 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष मे रख-रखाव की धनराशि को जोड़कर उसके कुल योग की सम्पूर्ण वसूली हो जाने अथवा वसूली प्रारम्भ होने के दिनांक से 50 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर (जो भी पहले हो) सेतु को पथकर से मुक्त कर दिया जायेगा। मार्च, 1990 के अन्त तक उक्त सेतुओं पर क्रमशः रु0 28,49,920.00 व रु0 27,46,522.00 वसूली हेतु अवशेष है।

जनपद खीरी के विकास खण्ड निघासन अन्तर्गत ग्राम सभा छेदुई पलिया में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना

65--**श्री निरवेन्द्र कुमार**--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा छेदुई पलिया, विकास खण्ड-निघासन, जनपद लखीमपुर-खीरी जो हरिजन बाहुल्य ग्राम सभा क्षेत्र है, में जूनियर हाई स्कूल स्थापित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां, वित्तीय परिव्यय उपलब्ध होने तक जनपदीय शिक्षा सहकार समिति/जिला बेसिक शिक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त होने पर ग्राम सभा छेदुई पलिया विकास खण्ड निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में जू0 हा0 स्कूल स्थापित किया जा सकेगा।

जनपद बाराबंकी के ग्राम सभा मानपुराह में चकरोड सं0-66 पर खड़ंजा लगवाने की मांग

66--**मोहम्मद हयात**--विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-27 के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी प्रश्नगत ग्राम के चकरोड सं0-66 जो विवादित नहीं है, पर खड़ंजा लगवाने की व्यवस्था करेंगे, ताकि जनता को आवागमन की सुविधा मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया--जनपद बाराबंकी, परगना देवां, ग्राम सभा मानपुराह के अन्तर्गत चकरोड भूखण्ड संख्या--66 मौके पर अनाधिकृत कब्जे में है जिसका वाद विचाराधीन है। अतः विवादित होने के कारण उक्त भूखण्ड पर खंड़ंजा लगवाने की कार्यवाही सम्भव नहीं है।

जनपद फैजाबाद के खण्डासा --घोड़वल मार्ग पर ग्राम गूजर का पुरवा से घोड़वल तक के अधूरे मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

67. **डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी**--विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या--134 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि खण्डासा घोड़वल मार्ग पर ग्राम गूजर का पुरवा से ग्राम घोडवल तक लगभग 5 किलोमीटर तक केवल कंकड़ डाल दिया गया है और ठीक से कुटाई न होने के कारण एवं बड़े-बड़े कंकड़ होने के कारण उक्त मार्ग पर चलना अत्यन्त कठिन है ? क्या सरकार मौके पर जांच करवाकर गलत रिपोर्ट देने के लिए संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी और उक्त मांग की सोलिंग तत्काल करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--खण्डासा घोड़वल मार्ग पर ग्राम गूजर का पुरवा से घोड़वल तक विगत लगभग 5 वर्ष पूर्व 3 कि0मी0 की लम्बाई में सोलिंग स्तर तक पत्थर की कुटाई की गयी थी न कि कंकड़ की। प्रश्नगत मार्ग पर लगभग वर्ष 5 वर्ष पूर्व की कुटाई होने के कारण लेपित सतह की तुलना में चलने में कठिनाई होती है। पूर्व में कोई गलत सूचना नहीं दी गयी। अतः किसी के विरूद्ध कायवाही का प्रश्न नहीं है। उक्त भाग में मार्ग सोलिंग स्तर तक पूर्व में ही निर्मित है जिसके पुनः सोलिंग कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के आदिलपुर में पाराबाजपुर सम्पर्क मार्ग को पक्का कराया जाना

68--**डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी**--क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला --ग्राम विकास अभिकरण फैजाबाद द्वारा वर्ष 1989 में अधिशासी अभियन्ता प्रथम लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद को आदिलपुर में पाराबाजपुर सम्पर्क मार्ग को पक्का कराने हेतु धन दिया गया है और विभाग की लापरवाही के कारण अभी तक कार्य नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 1.10 कि0मी0 में से केवल 1.00 कि0मी0 लम्बाई में खडण्जा के कार्य हेतु धन मिला। प्राप्त धनराशि में से 500 मीटर लम्बाई में पत्थर का एकत्रीकरण/कुटाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 300 मीटर लम्बाई में आंशिक धन बचने के कारण कार्य नहीं हो पाया है। शेष 200 मीटर में भूमि विवाद/न्यायालय का स्थगनादेश होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका। उक्त मार्ग के शेष भाग को पूर्ण किया जाना भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता श्री मिता राम दुबे द्वारा 80 ड्रम तारकोल को बाजार में बेचे जाने की शिकायत

69---**डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी**--क्या लोक निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि फैजाबाद जनपद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री मिता राम दुबे द्वारा 80 ड्रम तारकोल बाजार में बेच दिया गया है ? क्या इसकी जांच अधिशासी अभियन्ता प्रथम द्वारा कराई जा रही है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी और दोषी अवर अभियन्ता उसमें शामिल सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--फैजाबाद जनपद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता श्री मिता राम दुबे नहीं. बल्कि श्री सीता राम दुबे के विरुद्ध फैजाबाद स्थित भण्डार से 80 ड्रम मैक्सफाल्ट की हेरा-फेरी का एक मामला प्रकाश में आया है ।

मामले में श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव. सहायक अभियन्ता, अस्थायी खण्ड-नं0-1 लो0नि0वि0, फैजाबाद द्वारा जांच कराई गई। इस संबंध में पुलिस कोतवाली फैजाबाद में दिनांक 10-7-90 को प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है, जिसके परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुये हैं ।

सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या अधीक्षण अभियन्ता, 23वां वृत्त. लोक निर्माण विभाग. फैजाबाद के स्तर पर परीक्षणाधीन है ।

जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद के देव इण्टर कालेज बरेली के अध्यापकों के विगत माहों के रुके वेतन का भुगतान

70--**डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देव विद्यालय इण्टर कालेज, बरेली, जनपद-फैजाबाद में गत 5 माह से अध्यापकों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां. तो इस बारे में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक वाजपेयी--प्रबन्धतन्त्र के आपसी विवाद तथा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च के विभिन्न आदेशों के कारण माह फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, 1990 का वेतन भुगतान होने में विलम्ब हुआ। विचारोपरान्त विभागीय आदेशों के अन्तर्गत दिनांक 1-5-90 को अध्यापकों का वेतन भुगतान कर दिया गया। अब वेतन का भुगतान नियमित रूप से हो रहा है ।

फैजाबाद मण्डल में प्राइमरी विद्यालयों की संख्या एवं उन पर व्यय का आकलन

71 · **श्री चन्द्र शेखर सिंह** (वाराणसी) —क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल के अन्तर्गत वर्तमान समय में कुल कितने प्राइमरी विद्यालय चल रहे है तथा उक्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्तों आदि पर प्रतिमाह कितने रुपये व्यय किया जाता है ?

श्री अशोक वाजपेयी—फैजाबाद मण्डल के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 7996 प्राइमरी विद्यालय चल रहे है तथा उक्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्तों पर प्रतिमाह रु0 4,74,90,000/- व्यय हो रहा है ।

जनपद जौनपुर के तहसील बदलापुर में धनश्यामपुर जोखापुर (गजेन्द्रपुर) मार्ग को पिच कराये जाने का प्रस्ताव

72—**श्री लालता प्रसाद यादव**—विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—65 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रकरण पर किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गई ? क्या मंत्री जी सड़क के आसपास रहने वाले ग्रामवासियों के सुलभ आवागमन हेतु सड़क को अविलम्ब पिच रोड बनाने हेतु अतिरिक्त धन देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—जनपद जौनपुर के तहसील बदलापुर में धनश्यामपुर जोखापुर (गजेन्द्रपुर) मार्ग का निरीक्षण संबंधित सहायक अभियन्ता के साथ अधिशासी अभियंता द्वारा किया गया ।

जैसा कि पूर्व अता0 प्रश्न संख्या—65 के उत्तर में बताया जा चुका है, प्रश्नगत मार्ग जिला सेक्टर का कार्य है जिसकी स्वीकृति धन की उपलब्धता एवं जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति की संस्तुति पर निर्भर है और जिसके बिना अतिरिक्त धन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी मण्डल में वन विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले कतिपय वनराजिकों, वनविदों एवं प्रसारकर्ताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

73—**श्री अकबाल हुसैन**—विधान सभा के तृतीय सत्र 90 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—149 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन कनिष्ठ वनराजिक, वनविदों एवं वन प्रसारकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है, उनके नाम क्या ह तथा विभागीय कार्यवाही का विवरण क्या है ? क्या सरकार इनसे गड़बड़ी की गई रकम ग्यारह लाख की वसूली करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––संदर्भगत प्रश्न संख्या–149 के उत्तर के क्रम में, जिन कनिष्ट वनराजिक, वनविदों एवं वन प्रसारकर्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है उनके नाम निम्न प्रकार है :––

(1) श्री एन0 के0 श्रीवास्तव, कनिष्ठ वनराजिक,
(2) श्री गोपेश्वर मिश्रा, वनविद
(3) श्री उमा शंकर द्विवेदी, वनविद्,
(4) श्री सीताराम, वनविद्,
(5) श्री रामकेर मिश्रा, वन प्रसारकर्ता

श्री एन0 के0 श्रीवास्तव, कनिष्ठ वनराजिक को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। आरोप पत्र इनको हस्तगत कराया जा चुका है।

श्री गोपेश्वर मिश्रा एवं श्री सीताराम वनविद् को प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप निलम्बित किया गया था परन्तु उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है।

श्री उमाशंकर द्विवेदी, वनविद् को वन संरक्षक, वाराणसी–एक के पत्र दिनांक 8–11–90 द्वारा प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर (जांच अधिकारी) के माध्यम से आरोप पत्र भेजा जा चुका है।

श्री रामकेर, वन प्रसारकर्ता को प्रभागीय निदेशक, वाराणसी द्वारा निलम्बित कर अरोप–पत्र दिया जा चुका है।

विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर, निर्णयानुसार, सम्बन्धित कर्मचारियों से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर कुलश्रेष्ठ सेवानिवृत्त लिपिक अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग अलीगढ़ के अवशेष देयों का भुगतान

74––**श्री अकबाल हुसैन**––क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अस्थाई खण्ड सा0नि0वि0 अलीगढ़ से 30–11–87 को सेवानिवृत्त उमाशंकर कुलश्रेष्ठ लिपिक को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर लेने के उपरान्त भी अब तक पेंशन/जी0पी0एफ0 न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या इस संबंध में श्री कुल श्रेष्ठ का पृष्ठांकित पत्र दिनांक 12–7–90 प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 वि0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का विवरण क्या है ? श्री कुल श्रेष्ठ के देयों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा और भुगतान में विलम्ब हेतु दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा––श्री उमा शंकर कुल श्रेष्ठ, सेवानिवत्त लिपिक को जी0पी0एफ0 का भुगतान दिनांक 15–10–90 को कर दिया गया है, परन्तु उनके पेंशन का भुगतान इस कारण नहीं हो पाया है कि उन्होंने अपनी सेवा पुस्तिका में स्वयं फर्जी सेवा को सत्यापित कर दिया है, जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

उक्त पत्र प्रमुख अभियन्ता को नहीं, वरन अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0 नि0 वि0, अलीगढ़ को प्राप्त हुआ है ।

उक्त पत्र में श्री कुल श्रेष्ठ के पेंशन तथा भविष्य निधि के भुगतान के लिये निवेदन किया गया है ।

सेवा पुस्तिका में श्री कुलश्रेष्ठ द्वारा की गयी फर्जी प्रविष्टियों के निस्तारण के पश्चात भुगतान हो सकेगा ।

जांच की जा रही है ।

75––श्री रमापति शास्त्री––[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेल नगर भटहट जनपद गोरखपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रामकरन की प्रोन्नति में हेराफेरी का आरोप

76––श्री केदार नाथ सिंह––क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेल नगर भटहट–जनपद–गोरखपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रामकरन से उक्त कालेज के प्रधानाचार्य श्री रामनरेश सिंह के लिखित आदेश द्वारा मूत्रालय और शौचालय की सफाई आदि कार्य लिया जा रहा है और इस कर्मचारी के प्रोन्नति के मामले में प्रधानाचार्य द्वारा अभिलेखों में हेरफेर कर जालसाजी भी की गयी है ? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने इस प्रकरण पर आख्या अपने पत्रांक–मा0 4/15633–35 89–90, दिनांक 29–12–89 द्वारा शिक्षा निदेशक सामन्य–1 (2) इलाहाबाद को भेजी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी आख्या के साथ पूरी स्थिति का विवरण देने का कष्ट करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी––सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड भटहट एवं पिपराईच के कतिपय ग्राम्य विकास अधिकारियों की तैनाती अवधि, समय का विवरण एवं उनके स्थानान्तरण

77––श्री केदार नाथ सिंह––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड भटहट व पिपराईच जनपद गोरखपुर में कार्यरत कौन–कौन से ग्राम्य विकास अधिकारी कितने–कितने समय से अपने स्थान पर तथा गोरखपुर जिले में कार्यरत हैं ?

श्री गौरी शंकर भइया––जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड भटहट व पिपराईच मे कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों की सूची संलग्न है जिसमें इनके जनपद/विकास खण्ड में तैनाती की सूचना प्रदर्शित की गई है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 132 पर)

भारतीय विद्यालय इण्टर कालेज, उतरौला जनपद गोण्डा में संस्कृत प्रवक्ता पद पर तदर्थ नियुक्ति में की गयी धांधली की शिकायत

78—**श्री राम स्वरूप वर्मा**—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय विद्यालय इण्टर कालेज अतरौला जि0 गोण्डा में संस्कृत प्रवक्ता पद पर तदर्थ नियुक्ति में हुई धांधली के बारे में श्रीमती उर्मिला देवी उतरौला गोण्डा के शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 29-3-90 को अग्रसारित होकर उनके कार्यालय के पत्रांक 3772/ई0एम0/90/वी0 आई0 पी0 दिनांक 2-4-90 द्वारा शिक्षा सचिव को भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र के सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों

श्री अशोक बाजपेयी—जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विस्तृत जांच की गई । परीक्षणाधीन कार्यवाही में जांचोपरान्त अनियमितता नहीं पाई गई ।

79—**श्री मूल चन्द**—[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

देहरादून नगर में सहारनपुर रोड से हरिद्वार रोड तक बाई पास बनाये जाने का प्रस्ताव एवं उसकी प्रगति

80—**श्री हरिवंश कपूर**—क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून नगर में सहारनपुर रोड से हरिद्वार रोड तक कोई बाईपास बन रहा है ? यदि हां, तो कब से और वह कब तक पूरा होगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—जी हां ।

देहरादून नगर में अम्बाला, सहारनपुर, मसूरी, मार्ग से मुरादाबाद, देहरादून मार्ग तक बाईपास मार्ग बन रहा है ।

उक्त बाईपास मार्ग का निर्माण अक्टूबर, 1984 में प्रारम्भ हुआ था । मार्ग के किमी0 3 से आगे की भूमि विभाग को उपलब्ध नहीं हो पायी है । मार्ग निर्माण का कार्य पूरा किया जाना भूमि एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद इटावा में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के बैंक की कैन्सीकेशन आख्या के सम्बन्ध में उठायी गयी आपत्तियों पर कार्यवाही

81—**श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जनपद में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का बैंक की केन्सीकेशन आख्या तैयार करने का दायित्व सन् 1989 में मेसर्स कांतीचरण अग्रवाल एवं एशोसिएट्स चार्टर्स एकाउन्टस आगरा को सौंपा गया था ? यदि हां, तो उन्होंने क्या-क्या अपत्ति लगाई तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गौरी शंकर भइया--जी हां।

मै0 संजय कालीचरन अग्रवाल एण्ड एसोसियेट आगरा द्वारा निम्न आपत्तियां लगाई गई है।

1- - जनपद में विभिन्न शाखाओं में मु0 2,95,950.00 रु0 तथा ग्रामीण बैंक अटस् शाखा में सन्ड्री धनराशि का विवरण अज्ञात था, उसकी जानकारी करके संबंधित डी0 आर0 डी0ए0 खाता में जमा करने की आपत्ति ।

2- -क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा इटावा के खाता सं0 666 में रु0 80,713.00 कम क्रेडिट करना।

3--इटावा जिला सहकारी बैंक खाता नं0 5745 में 4 लाख रु0 के स्थान पर एक लाख रु0 का अंकन करना।

4--न्यू बैंक आफ इण्डिया खाता नं0 3608 में दिनांक 25-6-86 को मु0 22,166.00 चैक नं0 223650 के विरुद्ध धनराशि को कम करना दिखाया गया जबकि उक्त नम्बर की कार्यालय से कोई चैक निर्गत नहीं की गई।

5--न्यू बैंक आफ इण्डिया के डी0 आर0 डी0 ए0 खाता नं0 3608 में जून, 87 से मार्च 89 तक का ब्याज का धन जमा करना।

6--पोस्ट आफिस खाता सं0 192354 में दिनांक 3-8-88 को मु0 2 लाख रु0 बगैर चैक निर्गत किये लेजर से धन राशि कम करने के संबंध में ।

7--आई0 आर0 डी0 लाभार्थियों के नम्बर को बिना ध्यान में रखे अथवा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पूरक आई0 आर0 डी0 लाभार्थियों की सूची तैयार करके ऋण वितरण कराना ।

8--एस0 एम0 एफ0 योजना से अनुदान की चेक जो बैंक शाखाओं को निर्गत की गई हैं उसका धन पहले डी0 आर0 डी0 ए0 खाता में जमा न करके बैंक शाखाओं द्वारा सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान धनराशि समायोजन कर दिया गया।

उक्त समस्त आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है।

वाराणसी मण्डल में स्थापित प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन भत्ते पर प्रतिमाह व्यय धनराशि की जानकारी

82--**श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत वर्तमान समय में कुल कितन प्राइमरी विद्यालय चल रहे हैं तथा उक्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्तों आदि पर प्रति माह कितने रुपये व्यय किया जाता है ?

श्री अशोक बाजपेयी--वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत वर्तमान समय में कुल 6,565 प्राइमरी विद्यालय चल रहे हैं तथा उक्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्तों आदि पर प्रतिमाह रु0 4,77,95,000 व्यय हो रहा है।

श्री राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय. तरावां, राबर्टसगंज, जनपद सोनभद्र के अध्यापकों छात्रों एवं सम्पत्ति की सुरक्षा की. मांग

83--**श्री अतीक अहमद**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी ने अपने पत्रांक 89/90 दि0 14 मार्च, 1990 द्वारा श्री राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय, तरांवा, राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र की सम्पत्ति की रक्षा तथा अध्यापकों एवं छात्रों की सुरक्षा हेतु पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र से अनुरोध किया था ? यदि हां, तो इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां।

मामले में पुलिस द्वारा धारा 107/116 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दिनांक 13-4-90 को निरोधात्मक कार्यवाही की गई। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर शहर के लखनऊ नाका पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज को पूर्ण कराया जाना

84--**श्री हरिचरन यादव**--क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर सुल्तानपुर के लखनऊ नाका पर सेतु निगम द्वारा ओवर ब्रिज निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है ? उस पर कितना व्यय हो चुका है तथा उसे किस वर्ष तक पूर्ण हो जाना चाहिये था ? क्या यह सही है कि निर्माण कार्य 6 माह से पूर्ण बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--जी हां।

इस सेतु की स्वीकृति लागत 159.42 लाख रुपये है। इस पर दिसम्बर, 90 तक 57.50 लाख रुपये का कुल व्यय हो चुका है इस सेतु को सितम्बर, 90 में पूर्ण हो जाना चाहिए था।

जी नहीं।

लोक निर्माण विभाग में चयनित अवर अभियन्ता (विद्युत) में से एक अवर अभियन्ता के पदोन्नति में अनियमितता की शिकायत

85--**श्री सुन्दर लाल**--क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4652 ई बी/ई0 डी0 ए0-81, दिनांक 21-4-81 के साथ अवर अभियन्ताओं (विद्युत) की सूची पदोन्नति हेतु शासन को भेजी थी और उनमें से क्र0 सं0 101 व 102 पर अंकित अवर अभियन्ताओं को माह मई/जून, 1981 को चयन

समिति ने पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया था ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ? क्या यह सही है कि अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची के क्र0 सं0 101 व 102 पर अंकित व्यक्तियों का स्थाईकरण 25·1··80 से किया गया है ? यदि हां, तो क्या क्र0 सं0 102 पर अंकित व्यक्ति का स्थायीकरण आदेश वर्ष 1981 में जारी किया गया और क्र0 सं0 101 पर अंकित व्यक्ति का स्थाईकरण आदेश वर्ष 1982 में जारी किया गया, जिसके कारण क्र0 सं0 102 पर अंकित व्यक्ति की पदोन्नति वर्ष 81 में कर दी गई और क्रम संख्या 101 को छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? क्या सरकार क्रम संख्या 101 पर अंकित व्यक्ति की पदोन्नति वर्ष 1981 से करने की कृपा करेगी '? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--जी हां ।

क्र0 सं0 102 पर अंकित अवर अभियन्ता श्री रामचन्द्र को जून, 1981 को तथा क्र0 सं0 101 पर अंकित अवर अभियन्ता श्री अरविन्द कुमार को दिनांक 8··12··81 को चयन समिति ने सहायक अभियन्ता के पदों पर तदर्थ प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया था ।

जी हां । अवर अभियन्ताओं (विद्युत) की तत्कालीन वरिष्ठता सूची के क्रम सं0 102 पर अंकित व्यक्ति (श्री राम चन्द्र) का स्थायीकरण आदेश दिनांक 25·1·80 को और क्र0 सं0 101 पर अंकित व्यक्ति (श्री अरविन्द कुमार) का स्थाईकरण आदेश दिनांक 7·1·82 को जारी किया गया। सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ पदोन्नति हेतु अवर अभियन्ता के पद पर स्थायी होने की शर्त आवश्यक थी । क्र0 सं0 102 का स्थायीकरण आदेश वर्ष 1980 में ही जारी हो गया था । अतः उनकी तदर्थ पदोन्नति वर्ष 1981 में कर दी गई थी । चूंकि क्र0 सं0 101 पर अंकित व्यक्ति श्री अरविन्द कुमार के स्थायीकरण के आदेश तत्समय जारी नहीं हुए थे, इसलिए उनकी पदोन्नति वर्ष 1981 में सम्भव नहीं हो सकी ।

श्री कुमार की पदोन्नति में हुए विलम्ब के लिये जांचोपरान्त सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

शासन (कार्मिक विभाग) के वर्तमान आदेशों और सिविल अपील 3868 आफ 1985-गोविन्द प्रसाद बनाम आर0 जी0 प्रसाद तथा उससे सम्बद्ध मामलों में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों को ध्यान में रखते हुए क्र0 सं0 101 पर अंकित व्यक्ति श्री अरविन्द कुमार अवर अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ पदोन्नति के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बांदा, बदौंसा फतेहगंज मार्ग पर बानगंगा नाले पर पुल के निर्माण हेतु दिये गये ठेके में धांधली का आरोप एवं उक्त पुल को पूरा 'कराने की मां ।

86 **श्री राम प्रसाद सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के श्री राजबहादुर सिंह ठेकेदार ने दिनांक 23··5··87 को मुख्य अभियन्ता द0 म0 क्षेत्र

[श्री राम प्रसाद सिंह––]

लोक नि0 वि0, झांसी मुख्यालय लखनऊ एवं मंत्री, लोक नि0 वि0 लखनऊ, प्रमुख अभियन्ता लोक नि0 वि0, लखनऊ आदि को बदौसा फतेहगंज मार्ग एक कि0 मी0 में बानगंगा नाले पर पुल निर्माण निविदा दि0 27–12-86 में हुयी अनियमितता के बाबत पत्र दिया है ? यदि हां, तो शिकायत क्या है ? उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या संबंधित पुल का ठेका कम निविदा वाले को न देकर अधिक निविदा वाले व्यक्ति को दिया गया है ? यदि हां, तो अधिक निविदा वाले व्यक्ति से पूर्व वार्तालाप (निगोसियेशन) का क्या औचित्य रहा है ? क्या इस कार्य के लिये अधिक पैसा दिया गया है और कार्य नहीं हुआ है ? पुल निर्माण पूरा न होने का क्या कारण है ? कब तक पुल निर्मित हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसमें कोई दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा––श्री राज बहादुर सिंह, ठेकेदार का शिकायती-पत्र दिनांक 23-5-87 को विभाग में प्राप्त नहीं हुआ। उनका दिनांक 31-3-87 का पत्र अवश्य प्राप्त हुआ है।

उक्त शिकायती पत्र में शिकायत कर्ता ने मुख्यतः उसके द्वारा दिये गये टेण्डर की अस्वीकृति के बारे में तथा कतिपय अन्य बिन्दुओं जैसे कि राजापुर कमसिन मार्ग के एप्रोच मार्ग के लिये मिट्टी व पिचिंग कार्य के सम्बन्ध में, अनुबन्ध संख्या-1/एस0 ओ0 डब्ल्यू0, दिनांक 1-5-86 के विरूद्ध पत्थर की सप्लाई के संबंध में, और ह्यूम पाइप की सप्लाई आदि के सम्बन्ध में शिकायत की थी। उक्त शिकायतों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, 19 वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झांसी द्वारा कराई गयी थी। शिकायत कर्ता ठेकेदार की निविदा टेण्डर शर्तों के अनुरूप न होने पर भी तुलनात्मक चार्ट में लिये जाने की अनियमितता के लिये दोषी स्थानिक अभियन्ता को कड़ी चेतावनी दे दी गयी है जिसकी प्रविष्टि उनकी वार्षिक गोपनीय आख्या में किये जाने का भी उल्लेख है।

कम लागत वाले व्यक्ति की निविदा, मांगी गई निविदा की शर्तों के अनुरूप नहीं थी, अतः विचार करने योग्य नहीं थी। वैध निविदा दाता के टेण्डर पर निगोशियेशन करना औचित्य पूर्ण था। इस कार्य के लिये अधिक पैसा नहीं दिया गया। कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

पुल निर्माण का कार्य ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ने के कारण पूर्ण नहीं हुआ है, जिसको पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्रश्नगत कार्य को पूरा कराने में विलम्ब के लिये जांच करायी जा रही है, एवं जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत अरिया, लोदीपुर, सुल्तानपुर के सम्पर्क मार्गों को पूर्ण कराये जाने की मांग

87––**श्री राम लखन वर्मा**---- क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि अरया, लोदीपुर सुल्तानपुर विकास खण्ड अकबरपुर जनपद फैजाबाद के सम्पर्क मार्ग

कितने किलोमीटर लम्बे हैं तथा उसके निर्माण हेतु कितना धन स्वीकृत किया गया था ? उसके विपरीत अब तक कुल कितने किलोमीटर सम्पर्क मार्ग बनाया गया एवं उस पर कितना पैसा खर्च किया जा चुका है ? क्या मंत्री जी अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग को शीघ्र पूरा कराने का कष्ट करेंगे?

श्री गौरी शंकर भइया- –अरिया, लोदीपुर, सुल्तानपुर सम्पर्क मार्ग 2.920 कि0 मी0 लम्बा है। इसके निर्माण हेतु रु0 1,10,879.00 धनराशि की परियोजना स्वीकृत है, जिसके विपरीत 2.606 कि0मी0 लम्बाई में मिट्टी एवं 6 पुलियों के निर्माण का कार्य किया गया है। उक्त कार्य पर रु0 50,816,.65 नगद तथा रु0 24,556.29 मूल्य के खाद्यान्न अर्थात् कुल रु0 75,072.94 की धनराशि व्यय हो चुकी है। प्रशासक मण्डल द्वारा धन आवंटन किये जाने की दशा में शेष 314 मीटर मार्ग का कार्य कराना सम्भव हो पायेगा।

88––**श्री क़ासिम अली**–– [दिनांक 21–2–91 को अता0 प्र0 सं0 191 द्वारा उत्तरित।]

जनपद लखीमपुर के तहसील निघासन स्थित 1500 की आबादी वाले ग्राम सभाओं को सम्पर्क मार्गों द्वारा मुख्य मार्गों से जोड़े जाने की कार्यवाही

89––**श्री निरवेन्द्र कुमार**––क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील-निघासन के उन ग्राम सभाओं की जानकारी है जिनकी आबादी 1500(डेढ़ हजार) है ? यदि हां, तो वे कौन–कौन डेढ़ हजार की आबादी की ग्राम सभाएं हैं जिनको लिंक मार्ग के द्वारा अभी तक मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा जा सका है ? क्या सरकार ऐसी ग्राम सभाओं को शीघ्र ही मुख्य मार्ग से जुड़वाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया––जी हां––

निघासन में मुख्य मार्ग से अभी जोड़ी न जा सकने वाली 1500 आबादी वाली अग्रांकित 17 ग्राम सभायें हैं :–गौरिया, खम्हरिया, कोइलार, बरसोलाकला, ढसेरवाखलता, गुलरियापत्थर शाह, कडिया, बेलापरसुआ, मकनपुर, निबुआबोश, पटिहन, गजरौरा, मंहगापुर, विशेनपुर, कालोनी, इब्राहीमपुर, घोला, सुमेरनगर कालोनी एवं मजरा पश्चिम ग्राम सभाओं को मुख्य मार्ग से सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़ने की ग्राम्य विकास विभाग में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित भू–गर्भजल विभाग के कतिपय खण्डों में विगत पांच वर्षों से कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण की कार्यवाही

90–**श्रीमती सियादुलारी**––क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल विभाग के जनपद लखनऊ में स्थित खण्ड 6–7 तथा 8 में विगत 5 वर्ष से अधिक समय से कौन–कौन से अधिकारी तथा कर्मचारी जिसमें कार्य प्रभारित अधिष्ठान के भी कर्मचारी हैं, कार्यरत है ? उनमें से जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को लखनऊ जनपद में 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है क्या उन्हें लखनऊ से बाहर अन्य खण्डों में स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया--जी हां। लखनऊ स्थित भूगर्भ जल विभाग खण्ड-6, 7 तथा 8 में विगत 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की तथा कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की सूची अलग-अलग संलग्न है।

भूगर्भ जल विभाग खण्ड-6, 7 तथा 8 विशिष्ट कार्यों हेतु तकनीकी खण्ड हैं, अनुभवी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। फिर भी ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण इस प्रकार किया जाता है, जिससे सम्पन्न कराये जाने वाले विशिष्ट तकनीकी कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

भूगर्भ जल विभाग खण्ड -6 लखनऊ में निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

91--**श्रीमती सियादुलारी**--क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक भूगर्भ जल विभाग द्वारा दिनांक 19-6-1990 को खण्ड-6 लखनऊ के कार्यालय (लखनऊ डिवीजन) का निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो कितने अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये तथा अनुपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया--जी हां।

निदेशक, भूगर्भ जल विभाग द्वारा दिनांक 19-6-1990 को खण्ड-षष्टम के कार्यालय (लखनऊ डिवीजन) का निरीक्षण किया गया था। जिसमें कुल 35 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गये थे। जिन्हें लिखित कठोर चेतावनी दी गई।

भूगर्भ जल विभाग में निदेशक के वैयक्तिक सहायकों में प्रत्येक सम्वर्गों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था

92--**श्रीमती सियादुलारी**-- क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में निदेशक के दोनों वैयक्तिक सहायक एक ही संवर्ग ज्योलोजी के ही हैं तथा वह दोनों ज्योलोजी फोरम के पदाधिकारी भी ह ? विभाग में कितने इंजीनियरिंग संवर्ग के अधिकारी हैं ? क्या मंत्री जी प्रत्येक संवर्ग से एक वैयक्तिक सहायक प्रथम श्रेणी का बनाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया--जी नहीं।

भूगर्भ जल विभाग में निदेशक के वैयक्तिक सहायक का एक पद लिपिकीय अधिष्ठान का है जिस पर लिपिकीय अधिष्ठान का एक वैयक्तिक सहायक कार्यरत है।

विभाग में इंजीनियरिंग संवर्ग के 32 अधिकारी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में धोबहाघाट, जरलहीघाट, भैंसारानी, बनकटा एवं पिड़ियाघाट पर पीपे के पुल के निर्माण का प्रस्ताव

93--**श्री मिठाई लाल शास्त्री**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी, कि जनपद गोरखपुर में धोबहाघाट, जरलहीघाट, भैंसारानी, बनकटा, एवं पिड़ियाघाट पर पीपे का पुल विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बाराबंकी में तहसील नवाबगंज के कोनागांव रेंज में वृक्षारोपण करन वाले मजदूरों को मजदूरी का भुगतान

94--**श्री प्रदीप कुमार यादव**---क्या वन मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण बाराबंकी जनपद की तहसील फतेहपुर और नवाबगंज में गम्भीर तबाही हुई थी जिसमें तहसील नवाबगंज के कोना गांव रेंज जहां इसके पूर्व इस इलाके में वृक्षारोपण हुआ था वह भी नष्ट हो गया था ? यदि हां, तो उक्त रेंज में वृक्षारोपण करन वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान अब तक न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या सम्पूर्ण मामले की जांच किसी वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---वर्ष 1985 में बराबंकी जनपद की तहसील फतेहपुर एवं नबाबगंज में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण हुई गम्भीर क्षति की सूचना वन विभाग में नहीं है । कोना गांव में वृक्षारोपण बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण असफल नहीं हुआ था ।

वृक्षारोपण क्षेत्र में मजदूरी का वितरण न किये जाने सम्बन्धी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है । कृत वृक्षारोपण कार्य के अनुसार मजदूरी का वितरण कर दिया गया था । अतः इस मामले की जांच कराये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऋषिकेश दुबे वनरक्षक बाराबंकी रेंज को दण्डित किये जाने उपरान्त भी पदोन्नति किये जाने की जांच

95--**श्री प्रदीप कुमार यादव**---क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1985-86 में बाराबंकी रेंज में कार्यरत वन रक्षक श्री ऋषिकेश दुबे के विरूध अपराध संख्या-66/86, थाना कोतवाली बाराबंकी में अंतर्गत धारा 409/467 का मुकदमा कायम हुआ था ? यदि हां, तो उसके विरूद्ध आरोप क्या थे ? क्या यह भी सही है कि जेल जाने के बाद भी विभाग द्वारा श्री दुबे को निलम्बित न कर उन्हें प्रोन्नति देकर जिला जौनपुर का फारेस्टर बना दिया गया ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––जी हां।

शासकीय अभिलेखों में हेराफेरी तथा शासकीय धन का गबन। श्री त्रिकेश दुबे, वन रक्षक की पदोन्नति दिनांक 17-4-89 को विभागीय चयन समिति के माध्यम से करके जौनपुर प्रभाग में तैनात कर दिया गया था। प्रोन्नति से पूर्व अथवा चयन तक यह ज्ञात नहीं हुआ कि श्री दुबे के विरूद्ध कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है, यह तथ्य संज्ञान में आते ही श्री दुबे के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत बाधित सड़कों हेतु भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही

96––**श्रीमती सरस्वती तिवारी**––क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में सड़कों का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 से बाधित होने के कारण रुका हुआ है? यदि हां, तो राज्य स्तर पर कितनी सड़कों के निर्माण के मामले लम्बित हैं? क्या सरकार उक्त सड़कों के निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 से बाधित होने के कारण जनपद अल्मोड़ा में किसी भी सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव वन विभाग के अन्तर्गत लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड देवा अन्तर्गत ग्राम सभा खेवली के ग्राम प्रधान की अनियमितता की जानकारी पर दण्डात्मक कार्यवाही

97––**श्री रामचन्द्र बक्श सिंह**––क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड देवा ग्राम खेवली के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना व अन्य मामलों में वित्तीय अनियमिततायें किये जाने का मामला ए0डी0एम0 (पी) बाराबंकी द्वारा जांच करने पर प्रकाश में आया है? यदि हां, तो जांच के मुख्य निष्कर्ष क्या है और प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

श्री गौरी शंकर भइया––उक्त शिकायत प्राप्त होने पर अपर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बाराबंकी द्वारा जांच कराई गई। जांच हेतु पर्याप्त अवधि दिये जाने के उपरान्त भी सम्बन्धित प्रधान द्वारा सत्यापन हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण प्रधान की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः इस संबध में उनके विरुद्ध नियमानुसार पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु परगनाधिकारी, नवाबगंज को निर्देशित किया जा चुका है।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड बड़हलगज स्थित धोबौली प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण

98––**श्री केदार नाथ सिंह**––क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा धोबौली व कुन्दवाबारी विकास खण्ड बड़हलगंज जिला–गोरखपुर की प्राइमरी पाठशाला का भवन ध्वस्त हो गया है परन्तु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर

ने केवल कुन्दबाबारी के लिए ही प्राइमरी पाठशाला भवन की स्वीकृति दी है और ग्राम धोबौली में प्राइमरी पाठशाला भवन नहीं स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो इसमें कौन से अधिकारी दोषी है और स्थिति क्या है ? क्या सरकार इस मामले की जांच करायेंगी ? क्या यह सत्य है कि दिनांक 1-6-90 को ग्राम धोबौली के प्रधान की तरफ से भवन निर्माण हेतु कोई आवेदन प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अशोक बाजपेयी---जी हां ।

ग्राम धोबौली में प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव ऐसे अन्य छूटे हुये भवनहीन प्राइमरी पाठशाला भवनों के निर्माण के संकलित प्रस्ताव के साथ प्राप्त हो गया है जो विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम प्रधान का संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

99---श्री केदारनाथ सिंह---[दिनांक 22-1-91 को अता0 प्र0 सं0 167 द्वारा हस्ताक्षरित ।]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर स्थित ग्राम सभा गौरी दायमपुर के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग की शिकायत एवं उसके जांच की मांग

100---**श्री खुरशीद तथा श्री मिठाई लाल शास्त्री**---विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के 1 ले सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या-105 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान ग्राम सभा गौरी दायमपुर विकास खण्ड बेंहदर जनपद हरदोई द्वारा जवाहर रोजगार योजना में 20,000 रु0 सरकारी धन की हानि पहुचाने के जिम्मेदार प्रधान को तत्काल निलम्बित करके शासकीय क्षति की वसूली के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया---जनपद हरदोई विकास खण्ड बेहदर ग्राम सभा गौरी दायमपुर के प्रधान के विरुद्ध परगना अधिकारी संडीला द्वारा की गई जांच एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा की गई तकनीकी जांच के आधार पर उक्त प्रधान द्वारा रु0 675.50 की धनराशि कुओं के निर्माण में निर्धारित धनराशि से अधिक व्यय की गई पाई गई। इस सम्बन्ध में प्रधान से प्राप्त स्पष्टीकरण में उनके पास उक्त मुल्य की सामग्री उपलब्ध होना बताया गया है। विकास खण्ड बेंहदर के अवर अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) ने उक्त सामग्री का मूल्य रु0 709.00 सत्यापित किया है। अतः उक्त प्रधान के विरुद्ध शासकीय क्षति पहुंचाने का कोई प्रकरण नहीं बनता। फलस्वरूप प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खंड माधोगंज स्थित आर0 ई0 एस0 विभाग द्वारा तुलसी पूरवा से न्यौली सरैया तक निर्माणाधीन मार्ग को पूरा करने की मांग

101—श्री धर्मज्ञ मिश्र—क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 ई0 एस0 विभाग हरदोई द्वारा विकास खण्ड माधोगंज जनपद हरदोई में तुलसी पूरवा से न्यौली सरैया तक एक किलोमीटर तक सड़क बनाने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गयी थी और उसके उपरान्त भी यह एक कि0मी0 सड़क न बनाकर केवल 800 मीटर ही बनायी गयी है और शेष सड़क अधुरी पड़ी है ? क्या उक्त सड़क के लिये 50 हजार रुपया आवंटित था और इसके विपरीत अब तक 150 हजार रुपयों का ही कार्य किया गया है ? क्या इसके लिये 50 हजार रुपया निकाला जा चुका है ? क्या इस अनियमितता की जांच सरकार करवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गौरी शंकर भइया—जी हां। सड़क एक किलोमीटर बनायी गयी है इस एक कि0मी0 में कोई भाग अधुरा नहीं है।

जी हां 150 हजार रुपये के विरुद्ध एक कि0 मी0 मिट्टी के कार्य हेतु मु0 46,728.00 रु0 का कार्य कराया गया है।

सड़क के 1 कि0मी0 मिट्टी के निर्माण कार्य के लिये मु0 46,728.00 रु0 निकालकर मजदूरी का भुगतान किया गया है।

चूकि इस निर्माण कार्य में कोई अनियमितता नहीं की गयी है अतः जांच का कोई औचित्य नहीं हैं।

जिला विकास कार्यालय, हरदोई की मरम्मत हेतु भेजी गयी दो जीपों का कार्यालय में अब तक वापस न लाने की शिकायत

102—श्री धर्मज्ञ मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिला विकास कार्यालय हरदोई की दो जीपें लखनऊ स्थित रतन आटोमेटिक गैराज में मरम्मत हेतु सन् 1972 में भेजी गयी थी और बाद में उनको वापस लाने हेतु श्री रूप सिंह नाजिर को 1983 में अधिकृत कर भेजा गया था ? क्या उक्त दोनों जीपें गैराज से श्री रूप सिंह वापस ले ए ? क्या उक्त जीपें वापस नहीं आयी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गौरी शंकर भइया—जी हां। जीप संख्या-यू0 एस0 क्यू0-5073 व यू0 एस0 क्यू0-5925 प्रश्नगत गैराज में मरम्मत हेतु भेजी गई थीं। गाड़िया वापस लाने के लिए नामित व्यक्ति को भेजा गया था, परन्तु जीपें वापस नहीं हुई। मामले की जांच की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के तहसील बीकापुर स्थित गांव सभा मेवापुर मुताल देवगांव में जवाहर रोजगार योजना के धनराशि का दुरुपयोग

103—श्री मिठाई लाल भारती—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा मेवापुर मुताल के देवगांव, तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद में जवाहर रोजगार योजना में ग्राम प्रधान को दी गयी धनराशि के दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में ब्लाक खण्डासा के बी0डी0 ओ0 द्वारा माह जून/जुलाई, 1990 में जांच की गयी है ? यदि हां, तो उस जांच रिपोर्ट का विस्तृत विवरण क्या है ? क्या उक्त जांच में ग्राम प्रधान को दोषी पाया गया है ? यदि

हां, तो क्या सरकार दोषी प्रधान को निलम्बित करके ग्राम सभा के वरिष्ठ सदस्य को चार्ज दिलायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया—सूचना एकत्रित की जा रही है।

104—श्री बिठाई लाल शास्त्री—क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा मेवापुर मुताल के देवगांव, तहसील बीकापुर जिला-फैजाबाद में जवाहर रोजगार योजना में कराये गये कार्यों हेतु मजदूरों को निर्धारित मानक के कम दर पर रु0 10.00 प्रति मजदूर, प्रतिदिन की ही मजदूरी ग्राम प्रधान द्वारा दी गई है जबकि अभिलेखों में रु0 18.00 प्रतिदिन प्रति मजदूर का भुगतान मजदूरी के रूप में दिखाया गया है? उक्त के संदर्भ में क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इसी विषय में माह जून/जुलाई, 1990 में ब्लाक खण्डासा के बी0डी0ओ0 द्वारा जांच करायी गयी है परन्तु बी0डी0ओ0 द्वारा सम्बन्धित मजदूरों का कोई बयान नहीं लिया गया है? क्या सरकार इसकी जांच स्वयं सी0डी0ओ0 फैजाबाद द्वारा किये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया—सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश के सामाजिक वानिकी के प्रत्येक डिवीजन में छटनी शुदा दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुनः काम पर लेने की कार्यवाही

105—श्री असगर अली—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक वानिकी के प्रदेश में कितने डिवीजन हैं और प्रत्येक डिवीजन में दैनिक वेतन भोगी मालियों, कैटिल गार्डों और वाउचरों की कुल संख्या कितनी है ? इसमें से कितने लोगों की छटनी 9 मार्च, 1990 से कर दी गई है ? इनके छटनी के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इन छटनीशुदा कर्मचारियों को कार्य में लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

बुन्देलखण्ड वन वृत्त, झांसी सम्भाग में वर्ष 1980 में वन दरोगा से डिप्टी रेंजर पद पर प्रोन्नति में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

106—श्री चैनसुख भारती—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड वन वृत्त झांसी सम्भाग में वर्ष 1980 में वन दरोगा से डिप्टी रेंजर पद पर जो छः प्रोन्नातियों की गई हैं ? क्या उक्त प्रोन्नतियों में आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो प्रोन्नति में अनियमितता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—बुन्देलखण्ड वन वृत्त, झांसी सम्भाग में वर्ष 1980 में वन दरोगा से डिप्टी रेंजर के पद पर 10 प्रोन्नतियां की गई थी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सेक्टर अन्तर्गत महेशभारी भेसहवा सी0 सी0 टी0 गोण्डा सड़क के निर्माण का प्रस्ताव

107---**श्री हनुमन्त सिंह**---क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2 मई, 1990 जो राज्य सेक्टर में महेशभारी भेसहवा सी0 सी0 टी0 गोण्डा सड़क के निर्माण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृति देना फिलहाल सम्भव नही है ।

राजकीय खु0 कन्या इन्टर कालेज रामपुर की कतिपय अध्यापिकाओं को निर्धारित अवधि पूर्ण करने के उपरान्त भी चयन वेतन मान न दिये जाने की शिकायत

108---**श्री धनी राम वर्मा**---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय खु0 कन्या इन्टर कालेज रामपुर की कितनी शिक्षिकाओं को जिनकी 16 वर्ष की निरन्तर सेवा हो गयी है, चयन वेतनमान दिया गया है ? क्या राजकीय खु0 कन्या इन्टर कालेज रामपुर की किसी हिन्दी प्रवक्ता का चयन वेतनमान जो कि उन्हें 16 वर्ष की निरन्तर सेवा में दिया गया था, बिना कारण बताये निरस्त किया गया है जबकि उन्हीं के विद्यालय तथा उनके मण्डल की उनसे कनिष्ठ प्रवक्ताओं को 16 वर्ष की निरन्तर सेवा में चयन वेतनमान दिया गया है ? क्या उक्त के सम्बन्ध में हिन्दी प्रवक्ता द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 10-1-90 तथा दिनांक 16-2-90 में उक्त तथ्यों से मण्डलीय बालिका निरीक्षिका 12वां मण्डल मुरादाबाद को अवगत कराया है ? यदि हां, तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी---विनियमितीकरण की तिथि से 16 वर्ष की निरन्तर सेवा के उपरान्त प्रवक्ता वेतनक्रम की 6 अध्यापिकाओं को चयन वेतनमान दिया गया है ।

श्रीमती दीपा तिवारी, प्रवक्ता (हिन्दी) का चयन वेतनमान 16 वर्ष की नियमित सेवा (विनियमितीकरण की तिथि से) पूर्ण न होने के कारण निरस्त किया गया है ।

हिन्दी प्रवक्ता श्रीमती दीपा तिवारी को दिया गया चयन वेतनमान निरस्त किये जाने तथा उनसे प्राप्त प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में जांच कर रिपोर्ट भेजने के लिये शिक्षा निदेशक को आदेश दे दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापिकाओं एवं स्नातक वेतन क्रम में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं का निर्धारित अवधि पूरा कर लेने के उपरान्त भी स्थानान्तरित न करने की शिकायत

109---**श्री धनीराम वर्मा**---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापिकों एवं स्नातक वेतन-क्रम में कार्यरत अध्यापिकाओं के लिए क्या स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गयी है ? जिला वाराणसी में कितनी ऐसी

प्रधानाध्यापिकाएं एवं स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत सहायक अध्यापिकाएं हैं जो विगत 10 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि से जनपद वाराणसी में कार्यरत हैं ? ऐसी प्रधानाध्यापिकाओं एवं स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं को निर्धारित अवधि के बाद भी उसी जिले में बनाये रखने का क्या औचित्य है ? इन समस्त प्रधानाध्यापिकाओं/स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं को जनपद वाराणसी से कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री अशोक बाजपेयी—जी हां ।

7 अध्यापिकाएं ।

कतिपय प्रशासनिक कठिनाई के कारण स्थानान्तरण सम्भव नहीं हो सका ।

आगामी वार्षिक प्रबन्ध में नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

जनपद उन्नाव के ग्राम दयालपुर, पो0 न्योतनी में आर0 योजना के धन के दुरुपयोग की शिकायत एवं उसकी जांच

110 —**श्री चेतराम**— क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-दयालपुर, पोस्ट-न्योतनी, जिला-उन्नाव में आर0 योजना के अन्तर्गत धनराशि की अनियमितता के सम्बन्ध में श्री जगराम सिंह स0 वि0 स0 मुरादाबाद का पत्र जुलाई, 1990 के प्रथम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरीशंकर भइया—जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र में जवाहर रोजगार योजना से सम्बन्धित उल्लिखित बिन्दुओं की तकनीकी जांच सहायक अभियन्ता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से कराई गई । जांच आख्या के आधार पर ग्राम प्रधान दयालपुर द्वारा मु0 26747.00 रु0 का दुरुपयोग किया जाना पाया गया । उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा परगनाधिकारी हसनगंज को प्रधान के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस देकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है । शिकायती पत्र के अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार मोहान तहसील हसनगंज से जांच कराई गई जो जांचोपरान्त तथ्यहीन पाये गये हैं ।

जनपद उन्नाव के ग्राम दयालपुर में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन प्राइमरी विद्यालय भवन का धन ग्राम प्रधान द्वारा अपने भवन निर्माण में प्रयुक्त करने की शिकायत

111—**श्री बदन सिंह**— क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-दयालपुर, पोस्ट-न्योतनी, जिला-उन्नाव में आई0 ई0 एस0 की प्राइमरी स्कूल के भवन बनवाने हेतु वर्ष 88–89 तथा 89–90 में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई थी? क्या उक्त धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त धनराशि से भवन की मात्र नींव ही भरवायी गयी है और समस्त धनराशि का उपयोग उक्त ग्राम के ग्राम प्रधान ने अपने भवन बनवाने में कर लिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं तो, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया—प्राइमरी पाठशाला भवन दयालपुर के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को वर्ष 88-89 में रु0 66,200 उपलब्ध कराये गये तथा वर्ष 1989-90 में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी।

जी नहीं। अब तक कुल रु0 11,231 व्यय किये जा चुके हैं। कार्य विभागीय पद्धति द्वारा कराया जा रहा है।

कार्य स्थल पर फसल खड़ी होने तथा नहर की पटरी कटी होने के कारण निर्माण सामग्री वहां नहीं पहुंच सकती थी। इस प्रकार उक्त कार्य अप्रैल, 1990 से प्रारम्भ किया जा सका। कार्य प्लिंथ स्तर तक हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में जिला योजना में स्वीकृत मार्गों को अब तक पूरा न किया जाना

112—**श्री पंचानन राय**—क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कौन-कौन से मार्ग है जिनका निर्माण पूरा नहीं हुआ है? यह मार्ग अलग-अलग किस स्तर तक स्वीकृत थे तथा इनकी लागत कितनी थी? निर्माण पूरा न होने के क्या कारण है? क्या इनके निर्माण के लिए स्वीकृत धन व्यय हो चुका है? इन्हें पूरा करने पर कितना धन और व्यय होगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री राम करन सिंह यादव अवकाश प्राप्त प्रवक्ता जनता इण्टर कालेज, अहिरौला, जनपद आजमगढ़ के अवशेष देय धनराशि का भुगतान

113—**श्री पंचानन राय**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम करन सिंह यादव अवकाश प्राप्त प्रवक्ता, जनता इण्टर कालेज, अहिरौला, जनपद आजमगढ़ के पेंशन तथा नवीन वेतनमान निर्धारण से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र 1 मई, 1990 शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अशोक बाजपेयी—जी नहीं, परन्तु श्री राम करन सिंह यादव से 12·5·90 का एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। श्री यादव को 1·7·89 से नवीन वेतनमान में वेतन निर्धारण के आधार पर रु0 1635/- प्रति माह की पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश में लागू जवाहर रोजगार योजना की रूपरेखा

114—**श्री राज किशोर सिंह**—क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना उत्तर प्रदेश में भी लागू है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

श्री गौरी शंकर भइया--जी हां ।

योजना की रूपरेखा काफी विस्तृत है । योजना की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत् है:--

योजना के प्राथमिक उद्देश्य--ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन करना है।

गौण उद्देश्य--निर्धन समूहों के प्रत्यक्ष और निरन्तर लाभ के लिए तथा ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक ढांचा सुदृढ़ बनाने के लिए उत्पादन स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना जिससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में तेजी से वृद्धि होगी और ग्रामीण गरीबों के आय-स्तरों में निरन्तर वृद्धि होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र जीवन-स्तर में सुधार होगा ।

योजना की मुख्य विशेषतायें निम्नवत् हैं :--

1--अनुसूचित जाति/जनजातियों को रोजगार दिलाने में प्राथमिकता दी जायेगी। 30 प्रतिशत रोजगार के अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे किन्तु यदि यथेष्ठ संख्या में महिलायें उपलब्ध न हों तो रोजगार सृजन की गति को रोका नहीं जायेगा।

2--योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि 80--20 के अनुपात में वहन की जायेगी ।

3--श्रमांश 60 प्रतिशत तथा सामग्री अंश 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है ।

4--वार्षिक परिव्यय का लगभग 5 प्रतिशत संसाधन इन्दिरा आवास योजना हेतु मात्राकृत किया गया है ।

5--जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/खण्ड/ग्राम पंचायत स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में लगे अधिकारियों/गैर सरकारी व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर अधिकतम रु0 50,000 तक खर्च कर सकती है । बशर्ते कि इसका कम से कम 50 प्रतिशत भाग गैर सरकारी लोगों के प्रशिक्षण पर अवश्य खर्च किया जाये ।

6--योजना के अन्तर्गत आवंटित वार्षिक परिव्यय में से प्रशासनिक व्यय, प्रशिक्षण के लिए मात्राकृत धन इन्दिरा आवास योजना हेतु मात्राकृत धनराशि निकालने के उपरान्त शेष बची धनराशि का न्यूनतम 30 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के मध्य वितरित की जायेगी एवं अधिकतम 20 प्रतिशत धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर पर रोजगार योजनाओं के गत वर्षों के अधूरे कार्यों को पूरा करने तथा अन्तर ग्रामीण/अन्तर विकास खण्डीय कार्यों हेतु रक्खी जायेगी ।

7--राज्य वार्षिक आवंटनों का अधिकतम 2 प्रतिशत प्रशासन/आपातकालीन खर्चों पर व्यय कर सकते हैं । ग्राम पंचायतें जवाहर रोजगार योजना की निधियों में से प्रति वर्ष अधिकतम रुपया 250 की राशि लेखन सामग्री रजिस्टर आदि की खरीद पर व्यय कर सकती है ।

8--भारत सरकार ने इस योजना के कुल परिव्यय में से 20 प्रतिशत धनराशि दस लाख कुंओं की योजना हेतु मात्राकृत की है ।

भूगर्भ जल विभाग खण्ड–2 में कार्यरत सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) द्वारा स्टाक रजिस्टर में की गयी हेराफेरी के संबंध में में शिकायत

115––**श्रीमती सिया दुलारी**– क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल विभाग खंड-2 में कार्यरत सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के विरुद्ध श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा–फैजाबाद का शिकायती पत्र दिनांक 10–1–90 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त सहायक अभियन्ता द्वारा जो कार्यादेश किए गए हैं उनकी सामग्री को माह के स्टाक एकाउन्ट में लिया गया है तथा उसको समायोजित कर खण्डीय अधिकारी द्वारा माह के एकाउन्ट में महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद को भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया – श्री बृज भूषणमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा–फैजाबाद का एक शिकायती पत्र दिनांक 16–1–90 प्राप्त हुआ है। जिस पर जांच की कार्यवाही चल रही है।

संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा किये गये कार्यादेशों की सामग्री को अवर अभियन्ता द्वारा अपने स्टाक रजिस्टर में ले लिया गया है। लेकिन सहायक अभियन्ता द्वारा मासिक लेखा खण्डीय कार्यालय को न भेजने के कारण उसको समायोजित कर खण्डीय अधिकारी द्वारा महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद को नहीं भेजा जा सका है। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

भूगर्भ जल विभाग में जो जे0 वी0 एम0 2000 फिट डीप रिंग मशीन के संचालन की ट्रेनिंग प्राप्त अवर अभियन्ता से अन्यत्र काम लिया जाना।

116––**श्रीमती सिया दुलारी**––क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में वर्ष 1988 में क्रय की गई जे0 वी0 एम0 2000 फिट डीप रिंग मशीन के ट्रायल तथा ट्रेनिंग हेतु किस अवर अभियन्ता को अहमदाबाद, गुजरात भेजा गया था और उक्त अवर अभियन्ता द्वारा जे0 वी0 एम0 2000 रिंग से कितने नलकूप मार्च, 1990 तक बनवाये गये हैं ? क्या उसके अलावा पूर्ण विभाग में किसी अन्य अवर अभियन्ता को 32 लाख रुपये की क्रय की गई रिंग मशीन को चलाने का अनुभव प्राप्त है ? यदि नहीं, तो उससे वर्तमान समय में किस रिंग मशीन पर कार्य करवाया जा रहा है ?

श्री गोरी शंकर भइया–भूगर्भ जल विभाग में वर्ष 1988 में क्रय की गई जे0 वी0 एम0 2000 फिट डीप रिंग के ट्रायल हेतु अवर अभियन्ता श्री प्रमोद गंगवार को मेहसाना, गुजरात भेजा गया था और उक्त अवर अभियन्ता द्वारा मार्च, 1990 तक उस जे0 वी0 एम0 2000 फिट रिंग मशीन से चार नलकूपों का निर्माण करवाया गया है।

जो हां।

उक्त अवर अभियन्ता के अलावा इस रिंग मशीन को चलाने का अनुभव विभाग में कार्यरत अनेक अवर अभियन्ताओं को भी है।

प्रश्न नहीं उठता।

भूगर्भ जल विभाग मे यांत्रिक संवर्ग के निर्धारित द्वितीय श्रेणी अधिकारी के पदों पर पद से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति

117--**श्रीमती सिया दुलारी**--क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में यांत्रिक संवर्ग के कितने द्वितीय श्रेणी अधिकारी के पद हैं ? क्या प्रोन्नति कोटा में पद से अधिक अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किस नियम के अनुसार वह कार्य कर रहे हैं ? क्या पद न होने के कारण उनको प्रत्यावर्तित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया--भूगर्भ जल विभाग में (यांत्रिक संवर्ग) द्वितीय श्रेणी के 13 पद हैं। पूर्व में इस विभाग की अपनी कोई सेवा नियमावली न होने के फलस्वरूप अन्य विभाग में लागू 30 प्रतिशत कोटे के आधार पर प्रोन्नतियां प्रदान की गई थी । परन्तु वर्तमान में निर्धारित 25 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा के परिपेक्ष्य में एक अधिकारी अधिक प्रोन्नति प्राप्त करके कार्यरत है । उपरोक्त कारणों से प्रत्यावर्तन करना प्रस्तावित नहीं है ।

आल इन्डिया तालीम घर उर्दू द्वारा संचालित यू0 टी0 सी0 प्रशिक्षण (दो वर्षीय) को बी0 टी0 सी0 की मान्यता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव की जानकारी

118--**श्री असगर अली**-- क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगें कि शासन ने सिटी मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ द्वारा प्रदत्त की जा रही टीचर ट्रेनिंग को बी0 टी0 सी0 के समकक्ष मान्यता प्रदान की है ? यदि हां, तो क्या आल इण्डिया तालीम घर उर्दू द्वारा संचालित यू0 टी0 सी0 प्रशिक्षण (दो वर्षीय) को उसी प्रकार मान्यता प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी नहीं ।

जी नही ।

प्रश्न नही उठता ।

शिक्षा विभाग के महिला संवर्ग में क्लास-2 राजपत्रित अधिकारियों में अनुसूचित जाति का प्रतिशत

119--**श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य**--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग में महिला संवर्ग में क्लास-2 (राजकीय कन्या इण्टर की प्रधानाचार्य एवं अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी) के कितने राजपत्रित पद हैं ? इनमें अनुसूचित जाति की कितनी महिलायें कार्यरत हैं ?

श्री अशोक बाजपेयी--उ0 प्र0 शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनक्रम (महिला) के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज की प्रधानाचार्याओं के कुल 134 पद स्वीकृत हैं ।

जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी के कुल 60 पद स्वीकृत हैं । किन्तु ये पद पुरुष शाखा के हैं ।

वर्तमान में प्रधानाचार्यों एवं अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी के क्रमशः पदों पर अनुसूचित जाति की चार-चार अर्थात कुल 8 महिला अधिकारी कार्यरत हैं।

प्रदेश के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति भत्तों की स्वीकृति

120--**श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति नगर प्रतिकर भत्ता, अर्जित अवकाश, नकदीकरण, चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही है जबकि 29-11-86 को मंत्रि परिषद् एवं कर्मचारी नेताओं के मध्य हुये समझौते में इन कर्मचारियों को उक्त सुविधायें देने का आश्वासन दिया गया था ? क्या सरकार इन सुविधाओं को इन कर्मचारियों को देने हेतु विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि दिनांक 1-7-88 से नगर प्रतिकर भत्ता सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को देने की राजाज्ञा प्रसारित कर दी गई है किन्तु शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने से वंचित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता 1-7-88 से देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी नही ।

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजाज्ञा संख्या-7530/15-5-89-480(357)/84, दिनांक 29-3-90 द्वारा दिनांक 1-7-88 से नगर प्रतिकर भत्ता स्वीकृत किया गया है। अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा दिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है । वित्तीय संसाधनों के परिपेक्ष्य में चिकित्सा सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं पाया गया ।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी नगर प्रतिकर भत्ता दिनांक 1-7-88 से स्वीकृत कर दिया गया है ।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों की भांति वहां के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी वेतन सुविधा प्रदान करने की मांग

121--**श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों को वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-2-4 के मूल नियम 22 बी के अन्तर्गत वेतन की सुविधा दे दी गई है जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उक्त सुविधा से वंचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को भी उक्त लाभ देने पर विचार कर रही ह ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी नहीं, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी प्रश्नगत सुविधा देने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

122--**श्री दीप चन्द्र सोनकर**--[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड उरुवा स्थित ग्राम महदेवा बाजार के सड़क के किनारे पक्की नाली बनाये जाने का प्रस्ताव

123--**श्री मिठाई लाल शास्त्री**--क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि जनपद गोरखपुर ब्लाक उरुवा ग्राम महदेवा बाजार में सड़क पर जल जमाव हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क के दोनों तरफ पक्की नाली बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक खजनी ग्राम अहमदपुर में तरैना नाले पर क्षतिग्रस्त पुलिया के पुनर्निर्माण की मांग

124--**श्री मिठाई लाल शास्त्री**--क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद गोरखपुर ब्लाक खजनी ग्राम अहमदपुर तरैना नाले पर विगत दस वर्ष पूर्व बनाई गयी पुलिया इस वर्ष बाढ़ के पानी से ध्वस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण पुनः करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--जनपद गोरखपुर में ब्लाक-खजनी, ग्राम-अहमदपुर के पास तरैना नाला नहीं पड़ता है । बल्कि उक्त ब्लाक में रिकौली बनकटा मार्ग के कि0मी0-2 को तरैना नाला काटता है और इस स्थान पर नटनी ग्रामवासियों द्वारा 8/10 वर्ष पूर्व निर्मित्त की गयी पुलिया स्थित है, जो ध्वस्त नहीं हुई है । अतः इसके पुनः निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर में कतिपय ग्राम सभाओं में प्राइमरी पाठशाओं की स्थापना

125--**श्री प्रागीलाल अहिरवार**--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर जनपद झांसी में ब्लाक मऊरानीपुर में ग्राम कैमारी व ग्राम सभा मैलानी का सृक लकेसर व ग्राम सभा खखौरा का खुक कुंवरपुरा व ब्लाक बंगरा में सेंमरी अरीरान व संभरी कल्लीयान में आज भी कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या सरकार उक्त ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोलकर बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां ।

[श्री अशोक बाजपेयी–]

निर्धारित मानक के आधार पर ग्राम कैमाई व लखेश्वर में विद्यालय खोले जान की पात्रता है ।

जिला योजना में वित्तीय परिव्यय उपलब्ध होने तथा जिला बेसिक शिक्षा समिति एवं शिक्षा सलाहकार समिति के अनुमोदन के पश्चात् विद्यालय खोले जा सकेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी के विकास खण्ड मऊरानीपुर स्थित ग्राम शेरा के जूनियर हाई स्कूल के भवन का निर्माण

126––**श्री प्रागों लाल अहिरवार**––क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रोरा ब्लाक मऊरानीपुर जनपद झांसी में भवन हीन जूनियर हाई स्कूल कब से चल रहा है ? क्या सरकार उस भवनहीन विद्यालय को शीघ्र बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी––भवनहीन जूनियर हाई स्कूल रौरा वर्ष 1969 से चल रहा है ।

जिला योजना में वित्तीय परिव्यय उपलब्ध होने तथा जिला सलाहकार समिति/जिला बेसिक शिक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त होने पर भवन निर्माण कराया जा सकेगा ।

127––**श्री अमरमणि**––[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

श्री आर0 के0 सिंह अधिशासी अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक) 39वां वृत्त लखनऊ को एक ही वृत्त में अनियमित रूप से नियुक्ति की जांच की मांग

128––**श्री ओम प्रकाश गुप्त**––क्या लोक निर्माण मत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आर0 के0 सिंह अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) जब सहायक अभियन्ता थे और 39वां वृत्त लखनऊ के अधीन अनुरक्षण खण्ड (विद्युत) में नियुक्त थे उस समय उन्हें श्री एस0 पी0 मालवीया तत्कालीन मंत्री के घर की गीजर फटने के कारण निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या श्री आर0 के0 सिंह अधिशासी अभियन्ता 39वां वृत्त के अधीन अनुरक्षण खण्ड (विद्युत)–1 में 1983 से 1986 तक रहे है ? यदि हां, तो 1990 में पुनः इसी वृत्त के अधीन अनुरक्षण खण्ड में उनकी तैनाती का क्या औचित्य है ?

श्री ओम प्रकाश गुप्त––सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के असहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की वरीयता क्रम से सहायता प्रदान किये जाने तथा सदन के पटल पर रखने की मांग

129––**श्री ओम प्रकाश गुप्त**–क्या शिक्षा मंत्री कृपया असहायता प्राप्त जू0हाई स्कूलों (पूर्व माध्यमिक विद्यालयों) की सूची वरीयता-क्रम के आधार पर सदन के पटल पर रखने

का कष्ट करेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालयों को सहायता दिये जाने पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अशोक बाजपेयी--सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के मैदानी जनपदों के 300 अशासकीय असहायिक स्थाई मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रकरण शासन के सक्रिय विचाराधीन है ।

लोक निर्माण विभाग (विद्युत) अनुरक्षण खण्ड-2 लखनऊ में कार्यरत अनुसूचित जाति के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर किये जाने की मांग

130--**श्री ओम प्रकाश गुप्त**--क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग (विद्युत) अनुरक्षण खण्ड-2 लखनऊ में कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत है ? कितने कर्मचारी ऐसे है जो लगभग पांच वर्षों से लगातार सेवारत है किन्तु उन्हें वर्कचार्ज अथवा रेगुलर नहीं किया गया है ? इन कर्मचारियों को कब तक रेगुलर कर दिया जायेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--निर्माण विभाग के विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2 लखनऊ में कुल 47 कर्मचारी अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं ।

ऐसे अनुसूचित जाति के कुल 29 कर्मचारी हैं, जिसमें कार्य प्रभारित में 3, स्थायी मस्टररोल में 4 तथा अस्थायी मस्टररोल में 22 हैं ।

कार्य प्रभारित कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को फ्रीज कर दिये जाने के कारण मस्टर-रोल कर्मचारियों को वर्कचार्ज में किया जाना सम्भव नहीं है। कार्य प्रभारित कर्मचारियों का विनियमितीकरण पदों के सृजन तथा संसाधन ही उपलब्धता पर निर्भर है।

अस्थाई खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग फैजाबाद में विगत दो वित्तीय वर्षों में अल्पकालीन निविदाओं के कतिपय मामलों का समयानुसार निस्तारण

131--**डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी**-क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थाई खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग फैजाबाद में वर्ष 1988, 1989 व 1989-90 में अल्पकालीन लोक निविदा सूचना की जरूरत थी ? यदि हां, तो क्या उन निविदाओं का निस्तारण कई महीनों व सालों बाद किया गया ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--जी हां ।

अल्पकालीन निविदाओं के अधिकांश मामलों का निस्तारण वैधता अवधि के अन्दर ही किया गया । केवल पांच मामले, जिनमें प्राप्त दरें अनुमानित दरों से अधिक थी, उनमें

निगोसिएशन के कारण तथा दो मामले, जिनमें अनुदान में घटत-बढ़त के फलस्वरूप धन आवंटन की स्थिति अस्पष्ट हो गयी थी, उनके निस्तारण में कुछ माह का अपरिहार्य विलम्ब अवश्य हुआ।

निविदाओं के निस्तारण में विलम्ब के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अखिलेश चन्द्र निष्कासित लिपिक भरत उ. माध्यमिक विद्यालय भरत कुण्ड जनपद फैजाबाद की पुनः सेवा में लेने की बात

132—डा. बृज भूषण पति त्रिपाठी—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भरत उ. माध्यमिक विद्यालय, भरत कुण्ड, जनपद-फैजाबाद में श्री अखिलेश चन्द्र पुत्र सुरेन्द्र नाथ ग्राम भरुई गनेशपुर जनपद फैजाबाद की नियुक्ति लिपिक पद पर दिनांक 2-8-84 से हुई थी और उन्होंने 8 वर्ष कार्य भी किया था ? यदि हां, तो उक्त लिपिक को बगैर पूर्व किसी सूचना के किन कारणों से हटा दिया गया ? क्या सरकार उपरोक्त श्री अखिलेश को पुनः सेवा में लिए जाने का निर्देश देगी तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक वाजपेयी—जी हां।

जी नहीं। श्री अखिलेश को नियुक्ति पत्र देकर दिनांक 2.8.84 से कार्य करने को कहा गया था किन्तु उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

133-134—श्री [illegible]—

[दिनांक 22-2-91 को अता. प्र. सं. 168-169 द्वारा उत्तरित]

लोक निर्माण विभाग (विद्युत) अनुरक्षण खंड-2, लखनऊ में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का विनियमितीकरण

135—श्री जयराज गौतम—क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग (विद्युत) अनुरक्षण खण्ड-2 लखनऊ में कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी कितने समय से कार्यरत हैं ? क्या उन्हें वर्कचार्ज या रेगुलर किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब तक वर्कचार्ज या रेगुलर कर दिया जाएगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—विद्युत अनुरक्षण खंड-2 लखनऊ में कुल 47 अनुसूचित जाति के कर्मचारी विभिन्न तिथियों से कार्यरत हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 133 पर)

उपर्युक्त कर्मचारियों में से 15 कर्मचारी नियमित सेवा में हैं तथा 8 कर्मचारियों को स्थाई मास्टर रोल/कार्य प्रभारित अभिष्ठान में किया जा चुका है । शासनादेश संख्या 12-2-90 द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या को फ्रीज कर दिए जाने के कारण शेष कर्मचारी वर्क चार्ज में नहीं किए जा सके हैं । वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या पर लगी फ्रीज को समाप्त करने के पश्चात तथा संसाधन उपलब्ध होने पर इन्हें वर्कचार्ज में लेना संभव होगा । वर्कचार्ज कर्मचारियों का नियमितीकरण पदों के सृजन पर निर्भर है ।

शिक्षा विभाग में मृतक के आश्रित श्री दिनेश कुमार मिश्र को सेवा में लिए जाने की मांग

136—श्री लालता प्रसाद पाण्डेय—विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले सोमवार के आता. प्र. संख्या 8 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश कुमार मिश्र ने इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है ? यदि हां, तो क्या उन्हें तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी पद की रिक्तता में विलंब होने एवं श्री मिश्र की बढ़ती उम्र को देखते हुए तत्काल एक चतुर्थ श्रेणी का नया पद सृजित करने एवं उस पर उनकी नियुक्ति करने का आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अशोक बाजपेयी— जी हां ।

पद के उपलब्ध होने पर ही मृतक कर्मचारी के आश्रित होने के कारण नियुक्ति की जानी संभव होगी । नया पद सृजित कराए जाने की नीति नहीं है ।

बनपर जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर में अधूरे संपर्क मार्गों के पूर्ण कराए जाने की मांग

137—श्री लालता प्रसाद पाण्डेय—विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले सोमवार हेतु निर्धारित आता. प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि विकास खण्ड बदलापुर में अभी कितने ऐसे कार्य हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं और उनको कब तक पूर्ण कर दिए जाने का प्राविधान है ? क्या मंत्री जी उक्त सभी अधूरे कार्यों के पूर्ण कर दिए जाने के पश्चात् उक्त संपर्क मार्गों की स्वीकृति हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को निर्देश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गौरी शंकर अग्रवाल—बनपर जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर में 24 कार्य अधूरे हैं । उनके पूर्ण कराए जाने का स्पष्टतया कोई प्राविधान नहीं है । इन की उपलब्धता एवं प्रश्नगत अधूरे कार्यों को जिला विकास अभिकरण के शासी निकाय की बैठक में मा. सदस्यों की स्वीकृति के पश्चात ही निर्मित कराया जाना संभव है ।

[श्री गौरी शंकर भइया]

20-10-90 की संपन्न शासी निकाय की बैठक में गौरा संपर्क मार्ग की योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था परन्तु शासी निकाय की उस पर स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका । शासन स्तर से उक्त संपर्क मार्ग की स्वीकृति के निर्देश जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को देना संभव नहीं हुआ क्योंकि स्थानीय प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में इस प्रकार के निर्णय अभिकरण स्तर पर शासी निकाय की बैठक में लिए जाते हैं ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड खुटहन स्थित ग्राम रसूलपुर में पौधों के आरोपण में की गई अनियमितता

श्री लालता प्रसाद यादव---क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के वि. खं. खुटहन के गांव रसूलपुर क एवं ख में हजारों पौधे, फर्जी रूप से सरकारी खाते पर वर्ष 1989 में लगाए गए दर्शाए गए हैं जबकि वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं लगवाए गए हैं और उसका भुगतान भी फर्जी रूप से प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर के साहगंज रेंज के अन्तर्गत विकास खण्ड खुटहन में वर्षाकाल 1989 वृक्षारोपण में गांव रसूलपुर नाला ग्राम समाज के 10 हे. क्षेत्रफल में इन्दिरा प्रजनन योजना के अन्तर्गत 15,000 पौधे रोपित किए गए थे, जिसमें से वितरित पौधों की अद्यावधिक जानकारी हेतु मुख्यालय से टीम भेजकर जांच कराई जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के नगर क्षेत्र समिति बीकापुर की बाजार में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर कतिपय स्थानीय व्यक्तियों द्वारा किए गए कब्जे की शिकायत

139--श्री राम लखन वर्मा---क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बताएंगे कि नगर क्षेत्र समिति बीकापुर जनपद फैजाबाद की बाजार में तहसील गेट के बगल व सामने एवं पोस्ट आफिस के सामने लोक निर्माण विभाग की भूमि पर श्रीमती यशोदा देवी, नजर मोहम्मद, धर्मपाल, रामपाल आदि व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर लिया है ? यदि हां, तो उस भूमि पर से उक्त अवैध कब्जा हटवाने हेतु क्या कार्यवाही की गई तथा वह कब तक हटा दिया जाएगा ? क्या कब्जा कराने में दोषी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---जी हां ।

अतिक्रमणकर्ताओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नोटिस दी जा चुकी है तथा अवैध कब्जा हटाने हेतु विहित अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में वाद दायर करने की कार्यवाही की जा रही है । न्यायालय के निर्णय के अनुसार, आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । उक्त अवधि में श्री एस. एम. जैन अधिशासी अभियन्ता,

श्री इन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, तथा श्री सदन राम, अवर अभियन्ता कार्यरत थे । इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही हेतु प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित कर दिया गया है ।

इमामबाड़ा गर्ल्स कालेज, गोरखपुर को अनुदान उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कार्यवाही

140--श्री केदार नाथ सिंह--क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इमामबाड़ा गर्ल्स कालेज गोरखपुर को अनुदान उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रश्नकर्ता ने अपने पुत्र के साथ कालेज के पदाधिकारियों की तरफ से प्रस्तुत कोई आवेदन-पत्र मुख्य मंत्री जी को दि. 9-3-90 को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रमाशंकर कौशिक--जी हां । शासनादेश दिनांक 26-9-90 द्वारा उक्त कालेज को 1-10-90 से शासन द्वारा आवर्तक अनुदान सूची पर लिया जा चुका है ।

हरदोई रोड स्थित अंधे की चौकी से ग्राम हलुआपुर एवं काकोरी दुर्गागंज रेलवे स्टेशन से ग्राम जेहटा तक के मार्ग को डामरयुक्त किए जाने की मांग

141--श्री नकली सिंह--क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि हरदोई रोड पर स्थित अंधे की चौकी से ग्राम हलुआपुर तक जाने वाला डामर रोड बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक ठीक करा दिया जाएगा ? क्या काकोरी दुर्गागंज रेलवे स्टेशन से ग्राम जेहटा तक निर्मित खड़ंजा रोड को डामर रोड कब तक कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--जी हां । वित्तीय संसाधनों के अभाव में अभी संभव नहीं है । वित्तीय संसाधनों के अभाव में मार्ग को अभी डामर रोड बनाना संभव नहीं है ।

142--श्री मिठाई लाल शास्त्री--[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

143--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी एवं फूलपुर के ग्राम प्रधानों द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन को स्वहित में उपयोग करने संबंधी शिकायत

144--श्री दयाराम भास्कर--क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील फूलपुर व तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के प्रधानों द्वारा जवाहर रोजगार योजना की धनराशि को अपने निजी हित में प्रयोग करने तथा फर्जी तौर पर मृत्यु दर्ज करने और एक परिवार के बिना परामर्श किए दूसरे परिवार का नाम दर्ज करने विषयक शिकायती-पत्र दि. 6-6-90 व उसके पूर्व जिलाधिकारी जनपद आजमगढ़ को दिए गए हैं ? यदि हां, तो दोषी प्रधानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और किस अधिकारी ने की ?

श्री गौरी शंकर भट्ट--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर चमोली द्वारा विगत एक वर्ष में किया गया वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्य एवं व्यय धनराशि का विवरण

145--श्री कुंवर सिंह नेगी--क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर चमोली द्वारा 1 जुलाइ, 1989 से लेकर 31 जुलाई, 1990 की अवधि में कितने वनीकरण एवं वृक्षारोपण की योजनाओं पर कार्य किया गया ? उक्त योजनाएं किन स्थानों पर बनाई गई ? प्रत्येक योजना में कितनी हेक्टर भूमि में वनीकरण एवं वृक्षारोपण किया गया तथा किस प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया गया ? इन योजनाओं के कार्यान्वित में कुल कितना धन व्यय किया गया तथा योजनाओं की उपलब्धि क्या रही है ? प्रभागीय वन अधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा इनमें से किन-किन योजनाओं के कार्य-स्थलों पर जाकर निरीक्षण किया गया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--बद्रीनाथ वन प्रभाग में 1 जुलाई, 1989 से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि में 6 वनीकरण एवं वृक्षारोपण योजनाओं पर कार्य किया गया ।

उक्त योजनायें बद्रीनाथ वन प्रभाग/क्षेत्राधीन विभिन्न आरक्षित वनों में तथा सड़कों के किनारे 77 क्षेत्रों/स्थानों में कार्यान्वित की गई, जिसका विवरण अनुलग्नक "क" में है ।

प्रत्येक योजना में किए गए वनीकरण एवं वृक्षारोपण की योजनावार सूचना निम्न प्रकार है :--

योजनाओं में कृत वृक्षारोपण एवं वनीकरण

योजना का नाम	वनीकरण जो वर्ष 1989 में 1–7–89 से 31-3-90 तक की अवधि में किया गया (क्षे. हे. में)	वृक्षारोपण वर्ष 1990 में माह जुलाई में किया गया (क्षे. हे. में)	योग दिनांक 1–7–89 से 31–7–90 तक कुल कार्य (क्षे. हे. में)	किस प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया
1	2	3	4	5
1. सिविल एवं सोयम वनों की विकास योजना ।	180 हे.	129.97 हे.	309.97 हे.	चीड़ सरई, बांज, कचनार शहतूत, अंग, तुन, रोबीनिया, देवदार, पांगर, रिंगाल, कैल, अखरोट, सुबजूल, बकैन, सारिस, ओंगा, अकेसिया, रीठा खडीक, भीमल, अमलतास, पापलस, मजनू आदि
2. सिविल एवं सोयम वनों की विकास योजना । 1702 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	65 हे.	20.87 हे.	85.87 हे.	देवदार, अंग, बांज, चीड़, तुन, अकेसिया, भीमल, कचनार, सिरिस, रोबिनियां, शहतूत आदि ।
3. आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों का वृक्षारोपण ।	120 हे.	115.56 हे.	235.56 हे.	चीड़, देवदार, सुरई, अखरोट, पांगर, कचनार, बकैन, अंग, रोबिनिया, ओंगा, बांज ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
4. सड़कों के किनारे वृक्षारोपण ।	6 रोड कि. मी.	2 रोड कि. मी	8 रोड कि. मी.	सुरई, सिलवर, ओक, अकेसिया, पौपलस, रीठा, तुन, बकायन, शहतूत आदि ।
5. सड़कों के किनारे वृक्षारोपण 1701 स्पेल कम्पोनेन्ट प्लान ।	2 रोड कि मी.	--	2 रोड कि. मी.	सुरई, सिलवर, ओक, अकेसिया, पौपलस, रीठा, तुन, बकायन, शहतूत आदि ।
6. वृहद वृक्षारोपण योजना में चमोली वन चेतना केन्द्र में	450 पौध		450 पौध	वन पौध तथा फल पौध
सकल योग :— दि. 1-7-89 से 31-7-90 तक की स्थिति का	365 हे 8 रोड किमी.	266.40 हे. 2 रोड किमी. 450 पौध	631.40 हे0 10 रोड किमी. 450 पौध	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वनीकरण एवं वृक्षारोपण की उपरोक्त सभी योजनाओं के कार्यान्वयन पर कुल रु. 21,37,592 व्यय हुआ, जिसमें वर्ष 1989-90 में वर्ष 89 वृक्षारोपण पर 19,66,332 रुपये तथा वर्ष 1990-91 में 1-4-90 से 31-7-90 तक कुल 1,71,260.00 रुपये व्यय हुए हैं। वर्ष 1989-90 में वृक्षारोपण की उपलब्धि शत प्रतिशत रही है, तथा वर्ष 1990 में वृक्षारोपण की दिनांक 1-7-90 से 31-7-90 तक की भौतिक उपलब्धि 75.35 प्रतिशत रही है।

माह जुलाई, 1989 से जुलाई, 90 तक प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा कुल स्थल एवं वाहन किराए पर लिए जाने विवरणों के विवरण का दिनांक-वार विवरण।

जगपद चमोली में सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में बने इन्दिरा आवासों की अद्यतन संख्या की जानकारी

146—**श्री कुंवर सिंह** नेगी—क्या ग्राम विकास मंत्री कृपा करेंगे कि जगपद चमोली में 7वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में कितने आवास निर्धारित कराए गए हैं? उनमें से कितने पूर्ण रूप से तैयार हुए हैं और आवंटित कर दिए गए हैं — कितने आवास 31 जुलाई 1990 तक अधूरे पड़े रहने के क्या कारण हैं और कब तक इन्हें पूर्ण कर दिया जाएगा?

श्री गौरी शंकर अग्रवाल—सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1220 आवासों का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध माह जुलाई, 1990 तक 1166 आवासों का पूर्ण निर्मित कर दिया गया है तथा पूर्ण निर्मित आवासों में से 1160 आवासों पर लाभार्थियों ने रहना प्रारम्भ कर दिया है।

लक्ष्यों के अतिरिक्त अवशेष योजनाओं में उपलब्ध धन से 80 अतिरिक्त आवासों का गत वर्ष निर्धारण किया गया है, जिसमें 31 जुलाई, 90 को 142 आवास निर्माणाधीन थे।

1—पर्वतीय क्षेत्र में आवास की लागत बढ़ोत्तरी लागत से अधिक आने के कारण लाभार्थी अधिक धन राशि खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं।

2—स्थल विकास की लागत बहुत अधिक होने के कारण (स्थल निःशुल्क होने पर भी) तथा मजदूरी व सामग्री की उपलब्धि की समस्या रहती है।

अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु विभागीय स्तर पर निर्देश दे दिए गए हैं।

प्रभागीय वन अधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग चमोली द्वारा वित्तीय वर्ष में जारी किए गए चिकारी पत्रों की संख्या एवं लकड़ियों के किस्मों की जानकारी

147—**श्री कुंवर सिंह** नेगी—क्या वन मंत्री कृपा करेंगे कि प्रभागीय वन अधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग चमोली द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 में

कुल कितने रमन्ने (निकासी पत्र) लकड़ियों को बाहर ले जाने हेतु जारी किए गए तथा किस प्रजाति की कितनी लड़कियों के लिए जारी किए गए ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--वित्तीय वर्ष 1989-90 प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, चमोली द्वारा कुल 101 रवन्ने, जिनमें 2 रवन्नों से जनपद के अन्दर तथा शेष 99 रवन्नों से जनपद के बाहर, प्रकोष्ठ ले जाने हेतु जारी किए गए ।

अपेक्षित विवरण संलग्न सूची में अंकित है ।

तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री सरयू यादव द्वारा अपने विद्यालय के परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क आदि जमा न करने संबंधी शिकायत की जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा जांच

148--**श्री पंचानन राय**--विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पांचवें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक शुल्क, सामान्य विषय शुल्क जमा न करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही की गई ? क्या पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? निर्दोष छात्रों की हानि के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां स्थानीय जांच कराई गई । जी नहीं । तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री सरयू यादव द्वारा समस्त वांछित शुल्क पांच पत्रों के माध्यम से दिनांक 27-7-1990 के पत्र द्वारा प्रेषित किए जाने के फलस्वरूप रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सरयू यादव तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य का वेतन माह अक्टूबर, 1989 से रोक दिया गया है । स्थलीय जांच आख्या के आलोक में उन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को निर्देश दिए गए हैं ।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय मार्गों के निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही

149--**श्री पंचानन राय**--विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पांचवें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित पत्र किन-किन मार्गों के निर्माण के संबंध में था, उनमें से किन-किन पर अब तक कार्यवाही की गई है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है ।

---

†छापा नहीं गया है ।

जनपद बांदा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, अतर्रा के द्वितीय तल के बकाया किराए का भुगतान

150--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (बालिका) अतर्रा के लिए किराए पर लिए गए भवन के द्वितीय तल के तीन अतिरिक्त कमरों का किराया दिनांक 1-2-83 से भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ? 6 वर्ष से अधिक समय के बाद भी किराया भुगतान न करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? कब तक उक्त किराए का भुगतान कर दिया जाएगा ?

श्री अशोक बाजपेयी--सम्बन्धित प्रकरण शासन के पास विचाराधीन है ।

जनपद बांदा के विकास खंड नरैनी स्थित ग्राम पंचमपुर (चि.) को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का कथित दुरुपयोग

151--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम पंचमपुर (चि.) को वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना धन आवंटित किया गया तथा उससे क्या-क्या कार्य करवाए गए हैं ? क्या कार्य मस्टर रोल के आधार पर कराए गए हैं ? यदि हां, तो समस्त कराए गए कार्यों का क्या विवरण है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त आवंटित धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इस प्रकरण की जांच जनपद के उच्च अधिकारी से कराई जाएगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया--जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्राम सभा पंचमपुर (चि.) को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा द्वारा वर्ष 1988-89 में कोई धन-राशि अवमुक्त नहीं की गई है।

वर्ष 1989-90 में निम्नलिखित तिथियों में इनके समक्ष अंकित धनराशि अवमुक्त की गई :-

(1)	दि. 6-6-89 को	रु. 13420-0
(2)	दि. 24-6-89 को	रु. 8311-0
(3)	दि. 19-8-89 को	रु. 5660-0
(4)	दि. 13-10-89 को	रु. 35375-0
	योग	रु. 62,766-0

जिससे मस्टर रोल के आधार पर निम्नांकित कार्य कराए गए :—

1—तालाब की खुदाई	रु. 9990-0
2—निर्बल वर्ग आवासों हेतु	रु. 8002-0
3—खड़ंजा निर्माण	रु. 10000-0
4—दो कपों की [illegible]	रु. 10716-0
5—सम्पर्क मार्ग	रु. 20916-0
[illegible]	रु. 59625-0

उक्त धन के दुरुपयोग संबंधी कोई [illegible] प्राप्त [illegible] हुई हैं ।

जनपद बांदा के बदौसा फतेहगंज मार्ग में निर्माणाधीन पुलियों एवं रपटों का पूरा कराए जाने की मांग

152—श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के बदौसा फतेहगंज मार्ग में कब से कितनी पुलियों एवं रपटों का निर्माण चल रहा है ? इन कार्यों के समाप्त होने का क्या समय निर्धारित था और अभी तक इनके पूरा न होने के क्या कारण हैं ? [illegible] कब तक पूरा करा दिए जायेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—बांदा जनपद के बदौसा-फतेहगंज मार्ग में अब कोई भी पुलिया और रपटा इस समय निर्माणाधीन नहीं है । इस मार्ग पर सभी पुलियों एवं रपटों का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

जनपद बरेली में नगर पालिका द्वारा संचालित विद्यालयों के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन मामलों के निपटारे की व्यवस्था

153—डा० दिनेश जौहरी—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में नगर पालिका द्वारा संचालित विद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के पश्चात् उन्हीं पेंशन स्वीकार करने वाले अधिकारी के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ? ऐसे कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जाएगी या नगर पालिका बरेली द्वारा ? क्या [illegible] विद्यालय नगर महापालिका के सेवा निवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा निवृत्त होने के पश्चात् उपर्युक्त स्थिति के कारण पेंशन नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विषय में स्पष्ट आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक वाजपेयी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

पूर्व सेवा निवृत्त डिग्री कालेज एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी पेंशन विकल्प चुनने की व्यवस्था

154--डा. दिनेश जौहरी--क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के डिग्री कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए नए ग्रेड आने के बाद से पेंशन का विकल्प दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इससे पूर्व सेवा निवृत्त वरिष्ठ प्राध्यापकों को पेंशन का विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या मंत्री जी सभी अवकाश प्राप्त डिग्री शिक्षकों को पेंशन का विकल्प दिलाए जाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--जी नहीं । विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नए वेतनमान लागू होने में पेंशन विकल्प का कोई संबंध नहीं है । विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षक जो मूल पेंशन योजना का विकल्प नहीं दे सके थे, को पुनः एक अवसर देने का शासनादेश दिनांक 2 अगस्त, 1990 द्वारा दिया गया है ।

मूल पेंशन योजना, जो महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए 1-4-79 से तथा विश्व विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 1-1-84 से लागू की गई, से अवसर प्राप्त प्राध्यापकों के संबंध में (सेवा निवृत्त अथवा सेवारत) उपरोक्त अवसर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में नवाबगंज के स्व. विधायक श्री गोंदनलाल गंगवार के मऊआ बाजार स्थित निवास तक पक्के मार्ग की व्यवस्था

155--डा. दिनेश जौहरी--क्या लोक निर्माण मंत्री ने 12-5-90 को बरेली में नवाबगंज के स्वर्गीय विधायक श्री गोंदन लाल गंगवार के मऊआ बाजार स्थित निवास तक एवका संपर्क मार्ग बनाने व उस सड़क का नाम स्वर्गीय गोंदन लाल के नाम पर रखने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त सड़क कब तक बनकर तैयार हो जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--कथित मार्ग के निर्माण के संबंध में मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा उक्त तिथि की घोषणा की गई थी । मार्ग के निर्माण हेतु रु. 28.80 लाख की लागत की स्वीकृति शासनादेश सं.-3463 ई/23-लो. नि. अनु.-11-102 ई/90, दिनांक 17-10-90 द्वारा प्रदान की जा चुकी है । मार्ग का पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खंड टन्डियावा स्थित ग्राम सभा देभिया भत्तेपुर के ग्राम प्रधान द्वारा गलियारों में खड़ंजा लगवाने में घटिया सामग्री का प्रयोग

156--श्री रघुवर दयाल वर्मा--क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा देभिया भत्तेपुर, विकास खंड टन्डियावा तहसील व जिला हरदोई ग्राम प्रधान द्वारा गलियारों में जो खड़ंजा सड़क बनवाई जा रही है उसमें घटिया किस्म

की सामग्री (ईंटा, बालू, सुर्खी, सीमेंट) का प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त निर्माण कार्य की जांच तकनीकी विशेष दल द्वारा कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--ग्राम सभा दोभिया भत्तेपुर विकास खण्ड टन्डियावा तहसील हरदोई में प्रधान द्वारा गलियारों में खड़ंजा सड़क बनवाए जाने में केवल ईंटों का ही प्रयोग किया गया है जिसे तकनीकी जांच कराए जाने पर उपयुक्त पाया गया है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कतिपय माध्यमिक बालिका विद्यालयों से संबंध प्राइमरी बालिका विद्यालयों को अब तक वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत न किए जाने का औचित्य

157--श्री मुन्शी लाल--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के चार माध्यमिक बालिका विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी बालिका विद्यालय बप्पा श्री नारायण वोकेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, सोहन लाल बालिका उ. मा. विद्यालय, श्री गुरु नानक बा. इ. कालेज लखनऊ शशि भूषण बालिका विद्यालय लखनऊ को अभी तक वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या उक्त लाभ से वंचित उपरोक्त विद्यालयों को यह लाभ शीघ्र दिए जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन विद्यालयों को यह लाभ कब तक दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि पूर्व से वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत चल रहे माध्यमिक विद्यालयों को पुनः इस अधिनियम के लाभ से लाभान्वित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां। परीक्षणोपरान्त अर्ह पाए गए विद्यालयों को प्रश्नगत लाभ यथा शीघ्र देने का शासन विचार कर रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के मऊरानीपुर में सुखनई नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं उससे संबद्ध बाई पास रोड को पूरा कराए जाने का प्रस्ताव

158--श्री प्रागी लाल अहीरवार--क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर जनपद झांसी में सेतु निगम विभाग द्वारा सुखनई नदी पर जो एक पुल का निर्माण किया जा रहा है कब तक पूर्ण हो जाएगा ? क्या उक्त पुल से बाई पास कृषि विभाग की जमीन से निकाले जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उक्त बाई पास रोड को बनने में विलंब का क्या कारण है ?

श्री बैनी प्रसाद वर्मा--मऊरानीपुर जनपद झांसी में सेतु निगम द्वारा सुखनई नदी पर निर्माणाधीन पुल का पूर्ण किया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्नगत सेतु के पहुंच मार्ग का निर्माण कृषि विभाग की भूमि में किया जाने का प्रस्ताव है । कृषि विभाग से भूमि का हस्तान्तरण अभी तक न हो पाने के कारण उक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है ।

सी. द. वी. इण्टर कालेज, मेरठ के कतिपय अध्यापकों को चयन वेतन मान न दिए जाने की शिकायत

159--श्री लक्ष्मी कान्त वाजपेयी--क्या शिक्षा मंत्री कृपा करेंगे कि सी. द. सी. इण्टर कालेज मेरठ के उन सभी अध्यापकों को जिन्होंने 1-7-79 को 16 वर्ष की सतत सेवा पूरी कर ली है उन्हें चयन वेतन 1-7-79 के बजाय दिनांक 29-12-81 से दिया गया जबकि शासनादेश संख्या 66955/15-8-1981-3014/1981 दिनांक 29-12-81 तथा 4075/15-8-3062/82 दिनांक 2-11-82 के तहत उक्त सुविधा उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 1-7-79 से दी गई है ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां । सी. द. वी. इण्टर कालेज मेरठ के 14 अध्यापकों को 29-12-81 से चयन वेतनमान दिया गया था । अब उन्हें 1-7-79 से चयन वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है ।

इस्माइल महिला महाविद्यालय मेरठ में राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर कक्षाओं की स्थापना

160--श्री लक्ष्मी कान्त वाजपेयी--क्या शिक्षा मंत्री कृपा करेंगे कि इस्माइल महिला महाविद्यालय, जनपद मेरठ में राजनीति शास्त्र तथा समाज शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर कक्षा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव वर्ष 1986 से शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या, उक्त विषयों की मान्यता शासन द्वारा आगामी शिक्षा सत्र में दे दी जाएगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--इस्माइल नेशनल महिला महाविद्यालय, मेरठ के प्रस्तुत विषयों में विलयरेंस प्रदान करने का प्रस्ताव कुल सचिव, मेरठ विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 3-3-90 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ था । इस कालेज के उक्त विषयों में अस्थाई संबद्धता हेतु विलयरेंस के आदेश दिनांक 24-1-91 को जारी किए जा चुके हैं ।

महाविद्यालयों के वर्ष 1970 से 1979 के मध्य सेवा निवृत्त हुए प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों को वर्तमान शिक्षकों के अनुसार पेंशन देने की मांग

161--श्री लक्ष्मी कान्त वाजपेयी--क्या शिक्षा मंत्री कृपा करेंगे कि महाविद्यालयों में 1970 से 1979 के मध्य सेवा निवृत्त हुए प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों

की पेंशन, नए नियमों के अनुसार महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिल रही पेंशन से कम है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पूर्व में सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य/शिक्षकों/कर्मचारियों को नए नियमों के अंतर्गत लाकर इस विसंगति को दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--जी हां । संदर्भगत पेंशन श्रेणियों के संशोधन का प्रकरण शासन के पास विचाराधीन है ।

बीनू मांकड ट्राफी टीम के लिए चयनित सी. ए. वी. इण्टर मीडिएट कालेज मेरठ के छात्र श्री सचिन के निष्कासन का औचित्य एवं जांच

162--श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीनू मांकड ट्राफी के टीम का चयन जनवरी 1990 में लखनऊ में हुआ था जिसमें सी. ए. वी. इण्टरमीडिएट कालेज मेरठ के छात्र श्री सचिन का चयन हुआ था और उसे किट प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो चयन के दो दिन बाद श्री सचिन को निकाले दिए जाने का क्या औचित्य था ? क्या मंत्री जी श्री सचिन को पुनः टीम में शामिल किए जाने एवं दोषी व्यक्ति को दण्ड दिलाने का आश्वासन सदन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी--बीनू मांकड ट्राफी के टीम का चयन जनवरी, 1990 में लखनऊ में हुआ था, जिसमें सी. ए. वी. इण्टरमीडिएट कालेज मेरठ के छात्र श्री सचिन का चयन नहीं हुआ था और उसे किट भी प्रदान नहीं की गई थी । श्री सचिन को दो दिन के बाद निकालने का तथा पुनः शामिल किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र तिलहर स्थित ग्राम ककरोआ के प्राइमरी पाठशाला के कतिपय सजायाफ्ता अध्यापकों को सेवा में लेने की मांग

163--श्री सुरेन्द्र विक्रम--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर विकास क्षेत्र तिलहर के ग्राम ककरोआ के प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य को सजा हुई थी किन्तु फिर भी वे अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं और विकास क्षेत्र तिलहर के अन्य पांच अध्यापक जिनको सजा हुई थी उनको कार्यभार नहीं सौंपा गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के ब्लाक कटेहरी स्थित ग्राम सभा प्रतापपुर चमरखा के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की गई धांधली की शिकायत एवं जांच की मांग

164--डा. बृज भूषण त्रिपाठी--क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के कटेहरी ब्लाक के गांव सभा प्रतापपुर चमरखा में जवाहर रोजगार योजना में हुई धांधलियों की शिकायत पर दिनांक 18-2-90 को जिला पंचायत राज अधिकारी फैजाबाद ने कागजात तथा मौके का निरीक्षण किया है ? क्या यह

सही है कि निरीक्षण के दौरान जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त 2 लाख 84 हजार रुपये में भारी अनियमितता पाई गई है तथा फर्जी बिल बाउचर लगा कर सारा धन गोलमाल किया गया है ? उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन के व्यय का पूरा विवरण क्या है ? क्या सरकार धन का दुरुपयोग और धांधली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री गौरी शंकर भइया--संबंधित प्रकरण में जांच की कार्यवाही की जा रही है और अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में भूमिहीन गारन्टी योजना के अन्तर्गत 1500 आबादी वाले ग्रामों की अधूरी सड़कों को लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कराए जाने की मांग

165--डा. बृज भूषण मणि त्रिपाठी--क्या लोक निर्माण मंत्री कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में भूमिहीन गारन्टी योजना के अंन्तर्गत 1500 आबादी वाले गावों की सड़कें अभी तक अधूरी पड़ी हैं ? यदि हां, तो अब तक उन्हें लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण न कराए जाने का क्या कारण है ? यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

श्री बैनी प्रसाद वर्मा--विधान सभा मिल्कीपुर जनपद में आर. एल. ई. पी. के अन्तर्गत 1500 आबादी वाले गावों को जोड़ने हेतु स्वीकृत कुछ सड़कें भूमि विवाद के कारण अधूरी पड़ी है क्योंकि उक्त योजना में भूमि अध्याप्ति का प्रावधान नहीं था । जिला योजना के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 7-11-90 द्वारा निम्नालखित मार्गों की दी जा चुकी है जिन्हें पूर्ण किया जाना भूमि एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है :--

1--डेली सराय लिंक मार्ग

2--बेशवर बुजुर्ग संपर्क मार्ग

3--कोटिला लिंक मार्ग का शेष भाग

4--पालपुर संपर्क मार्ग ।

जनपद फैजाबाद में आदिलपुर से पारवाजपुर व पूरे प्रभुदयाल को जोड़ने वाले सार्क मार्गों के निर्माण में हो रहे विलम्ब का कारण

166--डा. बृज भूषण मणि त्रिपाठी--क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपा करेंगे कि आदिलपुर से पारावाजपुर व पूरे प्रभुदयाल की आबादी जोड़ने हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फैजाबाद से खड़ंजा बिछाने के लिए अधिशासी अभियन्ता प्रथम लोक निर्माण विभाग फैजाबाद को नवम्बर, 89 में धन दिया गया है ? यदि

हुं, तो क्या खड़ंजा बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? खड़ंजा बिछाने का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ? इस कार्य में लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गौरी शंकर भइया—केवल आदिलपुर पारावाजपुर मार्ग के लिए वर्ष 1989-90 में रु. 1,32,000/- की धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा दी गई है । परन्तु भूमि विवाद के कारण खड़ंजे के कार्य में अवरोध है । विवाद समाप्त होने पर ही उक्त कार्य पूर्ण हो सकेगा । उक्त कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है अतः किसी दोषी अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां के [illegible] बटमऊ के मजरा मचआपुर में एक पेड़ को काटने के जुर्म में दरोगा द्वारा कतिपय व्यक्तियों का अवैध रूप से चालान किया जाना

167—श्री धर्मज्ञ मिश्र—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम बाबटमऊ के मजरा मचआपुर में एक व्यक्ति द्वारा अपना निजी पेड़ व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो मकान के सामने जर्जर अवस्था में खड़ा था, काटने पर सर्वश्री महेश चन्द्र, राधेश्याम, गया प्रसाद, छोटे लाल, राम कुमार तथा अहिबरन येशारा 4/10 तथा क्राइम नं. 32/90 के अन्तर्गत चालान करके इनके विरुद्ध मुकदमा कायम कर दिया गया है ? क्या उस समय शासन द्वारा निजी प्रयोगार्थ एक पेड़ काटने की छूट दी गई थी ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा जनता को प्रताड़ित क्यों किया गया ? यदि प्रताड़ित करने वालों के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—यह विषय गृह विभाग से संबंधित है तथा विधायक जी द्वारा माननीय गृह मंत्री जी से तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं. 171 के अन्तर्गत जानकारी चाही गई है ।

जी हां, निजी प्रयोगार्थ एक पेड़ काटने की छूट थी ।

प्रश्न का यह अंश भी गृह विभाग से संबंधित है, जिसके बारे में विधायक जी द्वारा मा. गृह मंत्री जी से जानकारी चाही गई है

विद्या भवन इण्टर कालेज [illegible] कानपुर छावनी में व्याप्त गंभीर भ्रष्टाचार की शिकायत एवं उसके जांच की मांग

168—श्री मोती लाल दहेलवी—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 जुलाई, 90 एवं उसके साथ संलग्न श्री राम सनेही तिवारी का आवेदन-पत्र विद्या भवन इण्टर कालेज [illegible] कानपुर देहात के गंभीर भ्रष्टाचार विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो श्री राम सनेही तिवारी के आवेदन-पत्र में उक्त विद्यालय के विरुद्ध बिन्दुवार भ्रष्टाचार के कौन-कौन गंभीर

आरोप दर्शाए गए हैं ? इसकी जांच किसके द्वारा कराने के आदेश किए गए हैं तथा जांच की प्रगति क्या है ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

प्रकरण की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर (देहात) से कराई गई । जांच में साक्ष्यों एवं प्रमाणों के अभाव में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । याचिका की अवशेष धनराशि 695.50 रुपये का छात्रों को वितरित करने के निर्देश विद्यालय के प्रधानाचार्य को दिए जा चुके हैं ।

स्वर्गीय श्री आनन्द स्वरूप त्रिपाठी भू. पू. ग्राम्य विकास अधिकारी विकास खण्ड अहिरौला जनपद आजमगढ़ के पुत्र को सेवा में रखने की कार्यवाही

169--**श्री सिताई लाल शास्त्री**--क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के विकास खण्ड अहिरौला में कार्यरत श्री आनन्द स्वरूप त्रिपाठी ग्राम विकास अधिकारी की मृत्यु दिनांक 20-1-89 को हो गई ? यदि हां, तो शासनादेश के अनुसार उनके लड़के श्री अखिलेश्वर त्रिपाठी को नियुक्त न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री गौरी शंकर भइया--स्व. आनन्द स्वरूप त्रिपाठी ग्राम विकास अधिकारी की मृत्यु दिनांक 20-1-89 को हुई । उनके पुत्र श्री अखिलेश्वर त्रिपाठी को मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में जिला विकास कार्यालय महराजगंज में कनिष्ठ लिपिक के पद पर आदेश दिनांक 12-9-90 द्वारा नियुक्त किया जा चुका है ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड खजनी में खजनी रोड पर होने वाले जल भराव की समस्या एवं उसका निदान

170--**श्री सिताई लाल शास्त्री**--क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर ब्लाक खजनी में खजनी रोड पर जल जमाव हो जाता है ? यदि हां, तो उसे दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर में राजपुर पिथनापुर मार्ग पर स्वीकृत पुलिया का निर्माण

171--**श्री** विश्वल प्रसाद तिवारी--क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर में, राजपुर पिथनापुर मार्ग पर राजपुर में अभियंत्रण सेवा द्वारा 1984 से स्वीकृत पुलिया निर्माण न कराए जाने का क्या कारण है ? उक्त पुलिया का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होकर पूर्ण हो जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 135 पर)

श्री गौरी शंकर भइया --जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजपुर में राजपुर पिथनापुर मार्ग पर राजेपुर में वर्ष 1984 में कोई भी पुलिया स्वीकृत नहीं थी । उक्त मार्ग पर वर्ष 1987-88 में एक पुलिया स्वीकृत थी जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है ।

प्रमुख वन संरक्षण कार्यालय, लखनऊ में विभिन्न श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का प्रतिशत एवं उनका कोटा पूरा करने की मांग

172--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख वन संरक्षण कार्यालय लखनऊ में अलग-अलग श्रेणियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों पर अलग-अलग अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का कोटा विभागीय प्रोन्नति सीधी भर्ती द्वारा पूरा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--सूचना एकत्र की जा रही है ।

173--श्री पंचानन राय--[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा में निर्माणाधीन चेक डैमों की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी

174--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में वर्तमान समय में कितने चेक डैम निर्माणाधीन हैं ? अब तक उनमें कितना धन व्यय हो चुका है और इन निर्माणाधीन चेक डैमों का किस स्तर तक निर्माण हो चुका है ?

श्री बलराम यादव--सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के विकास खाड महुआ न्याय पंचायत पनगरा के समस्त ग्रामों में जवाहर रोजगार योजना, निर्बल वर्ग आवास एवं इन्दिरा आवास योजना के अंन्तर्गत कृत कार्यों का विवरण

175--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्न कर्ता का दिनांक 8-2-90 का पत्रांक ए/298/विकास/90 जनपद बांदा के ब्लाक महुआ न्याय पंचायत पनगरा के अंतर्गत समस्त गावों में जवाहर रोजगार योजना, निर्बल आवास योजना तथा इन्दिरा आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी अलग-अलग गावों के संबंध में दिए जाने संबंधी खण्ड विकास अधिकारी महुवा जनपद बांदा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र का पूरा विवरण क्या है और पत्र पर क्या कार्य-वाही की गई ?

श्री गौरी शंकर भइया--जी हां ।

इस पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, महुवा के विकास खण्ड महुआ अंतर्गत न्याय पंचायत क्षेत्र पनगरा के समस्त ग्रामों की विस्तृत जानकारी जवाहर रोजगार योजन अंतर्गत निर्माण कार्य व इन्दिरा आवास, निर्बल वर्ग आवास आदि की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ।

न्याय पंचायत पनगरा के अंतर्गत समस्त सभाओं में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम प्रधानों द्वारा कराए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी तथा निर्मित कराए गए निर्बल वर्ग आवास एवं इन्दिरा आवास आदि का विवरण प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करा दिया गया है

जनपद बांदा के ब्लाक विसंडा अंतर्गत ग्राम कोरही में स्थापित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अन्यत्र न स्थानान्तरित किए जाने की मांग

176--श्री राम प्रसाद सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के ब्लाक विसंडा अंतर्गत ग्राम कोरही अल्प संख्यकों का दस हजार से ऊपर की आबादी का गांव है जिसमें पूर्व जनता शासन के दौरान राजकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल चालू किया गया था किन्तु पांच साल पूर्व वह विद्यालय टाउन एरिया ओरन स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इतनी बड़ी आबादी के गांव के लिए क्या सरकार राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने पर विचार कर रही है ?, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--हां ।

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि नया राजकीय हाई स्कूल खोलने की योजना नहीं है ।

जनपद बांदा के बबेरू फतेहपुर वाया औंगासी मार्ग पर औंगासी में जमुना नदी पर प्रस्तावित अस्थाई पैंटून पुल का निर्माण

177--श्री राम प्रसाद सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद में बबेरू फतेहपुर वाया औंगासी मार्ग पर औंगासी में जमुना नदी पर पैंटून पुल (अस्थाई) के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक उक्त पुल का निर्माण किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--प्रश्नगत पुल की स्वीकृति वर्ष 1983 में 15.82 लाख रु. की लागत पर प्रदान की गई थी जिसमें पान्टून की लागत सम्मिलित नहीं थी। पान्टून उपलब्ध न होने के कारण एवं 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त हो गई है । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पुल की स्वीकृति देना फिलहाल संभव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद में शिवपुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खण्डासा से संबद्ध प्राइमरी विद्यालय को 393 की सूची में सम्मिलित करने तथा शिक्षकों को वेतन वितरण अधिनियम में लाने का अनुरोध

178--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिवपुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खण्डासा, जिला फैजाबाद से संबद्ध प्राइमरी विभाग को 393 की सूची में सम्मिलित करने हेतु श्री शारदा प्रताप शुक्ल विधायक के विद्यालय का कोई पत्र संलग्नक सहित माह जुलाई, 1990 में शिक्षा मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?. यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

179--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद द्वारा अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या प्रम0/560/89-90 दिनांक 8 फरवरी, 1990 द्वारा शिक्षक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय **खण्डासा फैजाबाद से** संबंध प्राइमरी विभाग के शिक्षकों का वेतन वितरण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत वेतन भुगतान कराने हेतु सहायक उप शिक्षा निदेशक (अर्थ) शिक्षा निदेशालय, उ. प्र. इलाहाबाद को माह फरवरी से माह अप्रैल 1990 के मध्य कोई रिपोर्ट प्रेषित की गई है ? यदि हां, तो उस पर सहायक उप निदेशक द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उक्त विद्यालय को कब तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया जाएगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषद इण्टर कालेज उमरी, जनपद जालौन के प्राचार्य/शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जी. पी. एफ. के गबन प्रकरण की जांच

180--श्री शिवराम सिंह कुशवाहा--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् इण्टर कालेज उमरी, जनपद जालौन में कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों के जी. पी. एफ. के गबन का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की कितनी धनराशि किस कारण से गबन की गई है ? क्या शासन उक्त कर्मचारियों को उनके जी. पी. एफ. की धनराशि उनके खातों में अंकित कराए जाने की कोई व्यवस्था कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां ।

15 शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की रु. 40,374.39 की धनराशि उनके जी. पी. एफ. खाते में जमा न करने के कारण गबन की गई ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

जनपद बरेली में बरेली-गनी मार्ग पर बाकरगंज में शेरा नदी पर पुल निर्माण की सरकारी योजना

181--कुंवर सर्वराज सिंह--क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाकर गंज बरेली-गनी मार्ग जनपद बरेली पर शेरा नदी पर पुल निर्माण हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक प्रारम्भ करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनी प्रसाद वर्मा--जी हां।

वित्तीय समाधानों के कारण इस पुल की स्वीकृति नहीं दी जा सकी। प्रश्न नहीं उठता :

जनपद बरेली के सन्हा क्षेत्र में नीलगायों द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान की रोकथाम

182--**कुंवर सर्वराज सिंह**--क्या सरकार को जानकारी है कि सन्हा क्षेत्र जनपद बरेली में नील गायों द्वारा बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--जनपद बरेली के सन्हा क्षेत्र में नील गायों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने की सूचना प्राप्त होने पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त प्रभाग, बरेली द्वारा जिलाधिकारी बरेली से अनुरोध किया जा चुका है कि वह फसलों को क्षति पहुंचाने वाली नील गायों को नष्ट करवाने के परमिट जारी करे, क्योंकि ऐसे परमिट जारी करने हेतु जिलाधिकारियों को शासन द्वारा पहले ही अधिकृत किया जा चुका है।

शिवपुजन इण्टर कालेज मलसा जनपद गाजीपुर के मृतक प्रवक्ता श्री हरिनाथ प्रसाद के विभाग को उसी विद्यालय में उनके अवशेष देयों के भुगतान के साथ नियुक्त करने की मांग

183 --**श्री ऊदल** क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवपुजन इण्टर कालेज मलसा जिला गाजीपुर के रसायन प्रवक्ता हरिनाथ प्रसाद की मृत्यु 21-3-90 को हो गई ? क्या दिनांक 26-3-90 को उनकी विधवा सुखा देवी को निदेशक शिक्षा उत्तर प्रदेश ने चतुर्थ श्रेणी में करंडा इण्टर कालेज गाजीपुर में नियुक्त कर दिया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसको तीन माह का वेतन करंडा इण्टर कालेज से नहीं मिला और पद सृजन भी नहीं किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर तीन माह का वेतन देगी और पद सृजन करके मलसा इण्टर कालेज में नियुक्ति भी करेगी ?

श्री अशोक बाजपेयी जी हां।

इण्टर कालेज करंडा, गाजीपुर के प्रधानाचार्य द्वारा श्रीमती सुखा देवी के अवकाश रिक्त में चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी परन्तु श्रीमती सुखा देवी ने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

चूंकि श्रीमती सुखा देवी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था अतः वेतन भुगतान का प्रश्न नहीं उठता। शिवपुजन इण्टर कालेज मलसा, गाजीपुर में एक परिचारक का पद दिनांक 1-11-90 से सृजित किया गया है जिस पर श्रीमती सुखा देवी दिनांक 17-12-90 से कार्यरत है।

जनपद खीरी में कृष्णानगर से बसही मार्ग तथा सिंगाई खुर्द से रानी नगर संपर्क मार्गों के अतिग्रस्त पुलों का निर्माण

184—**श्री निखिलेन्द्र कुमार**—क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद खीरी में भयंकर बाढ़ से कृष्णानगर से बसही मार्ग तथा सिंगाही खुर्द से रानीनगर सम्पर्क मार्गों पर स्थित पुल पूरी तरह नष्ट हो गए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें पुनः निर्मित कराएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर भइया—जी हां।

चालू वित्तीय वर्ष 1990–91 में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो पाने के कारण प्रश्नगत पुलों का निर्माण सम्भव नहीं है।

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता दिलाए जाने की मांग

185—**श्री दिनेश जौहरी**—क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त नहीं है जिसके कारण उक्त विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता नहीं मिल रही? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी यथाशीघ्र सभी औपचारिकतायें पूरी कराकर उक्त विश्वविद्यालय को अनुदान दिलाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक—जी हां।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार आवश्यक स्टाफ विषयक शर्तें पूर्ण नहीं हैं।

मान्यता दिलाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

गुलाब राय इण्टर कालेज के सेवानिवृत सहायक अध्यापक श्री कृष्ण सक्सेना को पुनरीक्षित पेंशन देने की मांग

186 **डा० दिनेश जौहरी**—क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री कृष्ण सक्सेना सहायक अध्यापक के पद पर श्री गुलाब राय इण्टर कालेज में कार्यरत थे वर्ष 82 में रिटायर हो गए थे किन्तु अभी तक उनकी पेंशन का पुनरीक्षण नहीं हुआ है? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी इनकी पुनरीक्षित पेंशन दिलाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री अशोक बाजपेयी—श्री कृष्ण सक्सेना, सहायक अध्यापक की पेंशन मंडलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा अपने पत्र दिनांक 7–1–91 द्वारा दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित करके रु० 1147 प्रतिमाह कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर जनपद के विकास क्षेत्र जैतीपुर में बहगुंल नदी पर पुल बनाए जाने की मांग

187--श्री सुरेन्द्र विक्रम--क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की कुछ ग्राम सभायें बहगुंल नदी के पूरब में तथा अधिक ग्राम सभायें बहगुंल नदी के पश्चिम में है ? क्या बहगुंल नदी पर जैतीपुर में पुल न होने से बाढ़ के दिनों में विकास क्षेत्र जैतीपुर व थाना जैतीपुर से ग्रामीणों का संपर्क नहीं हो पाता है ? क्या मंत्री जी कृषकों और ग्रामीणों के हित में बहगुंल नदी पर जैतीपुर में पुल बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--जी हां ।

जी हां, वर्षाकाल में संपर्क करने मे कठिनाई होती है ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए प्रस्तावित पुल का निर्माण संभव नहीं है ।

विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान राम नगर दुर्ग वाराणसी को संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु अनुदान दिए जाने की मांग

188--श्री केदार नाथ सिंह--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान राम नगर दुर्ग वाराणसी को संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु अनुदान दिलाए जाने हेतु प्रस्तावकर्ता ने कोई संस्तुति पत्र मुख्य मंत्री जी की सेवा में दिनांक 9-3-90 को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार भविष्य में उक्त प्रतिष्ठान को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या अनुदान देने के लिए विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी--जी हां । संबंधित पत्र प्राप्त हुआ था । विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान राम नगर दुर्ग, वाराणसी को आर्थिक सहायता देने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

जनपद जौनपुर के गभिरन-मुबारकपुर मार्ग, जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, को ठीक कराए जाने की मांग

189--श्री लालता प्रसाद यादव--क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के गभिरन-मुबारकपुर मार्ग जिसका निर्माण जिला परिषद जौनपुर द्वारा वर्ष 1984 के पूर्व कराया गया था, की हालत जीर्ण शीर्ण है ? यदि हां, तो मंत्री जी इसकी जांच कराकर उसे तत्काल ठीक कराए जाने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-- जी हां। जनपद जौनपुर की गभिरन-मुबारकपुर मार्ग की 4 कि0 मी0 की कुल लंबाई मे जिला परिषद् द्वारा मिट्टी, पुलिया, कंकड़, ईंट मिट्टी कुटाई स्तर तक का कार्य एवं प्रथम कि.मी. मे बिरोही गिट्टी कुटाई तर तक का कार्य वर्ष 1989 के पूर्व कराया गया था । धनाभाव के कारण उसके पश्चात् कार्य नहीं कराया जा सका जिसके कारण उसकी दशा खराब हो गई है ।

धनाभाव के कारण दशा खराब हुई है । अतः किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के सिंगरामऊ-बधाडी मार्ग के कागज में फर्जी पेण्टेड दिखाने की शिकायत की जांच करने की मांग।

190—**श्री लालता प्रसाद यादव**—क्या पंचायत राज मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में सिंगरामऊ-बधाड़ी मार्ग जो जिला परिषद् जौनपुर द्वारा वर्ष 1989 में बनवाया गया था की कागज में पेंट दिखाया गया है जबकि वास्तव में उक्त मार्ग पेन्टेड नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को दण्डित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव—जनपद जौनपुर में सिंगरामऊ-बधाड़ी मार्ग जिला परिषद् जौनपुर द्वारा वर्ष 1989 में नहीं बनवाया गया है।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड खुटहन में और यातायात में बाधक वृक्षों की कटाई करने की मांग

191—**श्री लालता प्रसाद यादव**—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड खुटहन में सड़क किनारे लगे हुए वृक्षों के ज्यादा बढ़ जाने से सड़क के यातायात में काफी बाधा पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनता के आवागमन की सुविधा का ध्यान में रखते हुये तत्काल बढ़े एवं बिखरे हुए वृक्षों की कटाई कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर के विकास खण्ड खुटहन में मुख्य रूप से लगभग 100 किमी0 में सड़कों के किनारे विगत वर्षों में लगाए गए कतिपय वृक्षों की टहनियां सड़क के बगल की कच्ची भूमि पर बढ़ आई है, जिसके कारण आवागमन में असुविधा होती है। ऐसे बाधक टहनियों की छटाई का कार्य 10 किमी0 में पूर्ण हो गया है और शेष 90 किमी0 में कार्य प्राथमिकता के आधार पर संपन्न कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के विकास खण्ड डोभी में ग्राम कछबंध को जाने वाली लिंक रोड का निर्माण कार्य

192—**श्री ज्वाला प्रसाद यादव**—क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के विकास खंड डोभी में खुजही मोड़ से हिसामपुर को जाने वाली सड़क पर पड़ने वाले गांव कछबंध (पूर्व) को जाने वाली लिंक रोड का निर्माण कहां तक प्रस्तावित है ? क्या वर्ष 1988 से ही उक्त मार्ग के निर्माण का कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो उसे अभी तक पूर्ण न होने का क्या कारण है ? उक्त मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के विकास खंड डोभी में खुजही मोड से हिसारपुर को जाने वाली सड़क पर पड़ने वाली गांव कछबंध (पूर्व) को जाने वाली लिंक रोड का निर्माण दो कि0मी0 की लम्बाई में ग्राम कछबंध तक स्वीकृत है।

जी हां। 1.5 कि0मी0 की लम्बाई में स्वीकृत के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 500 मीटर की लम्बाई में स्वीकृति के अनुसार कार्य प्रगति में है जिसके शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है।

ग्राम प्रधान धानापुर विकास खंड आराजी लाईन जनपद वाराणसी के विरुद्ध गां के हेतु प्राप्त धन के कथित अपव्यय की जांच

193--श्री ज्वाला प्रसाद यादव--क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी हैं कि ग्राम प्रधान धानापुर वि. खंड आराजी लाईन, जनपद वाराणसी के विरुद्ध गांव के विकास हेतु प्राप्त धन से निर्धारित मात्रा में कार्य न करवाकर सरकारी धन का अपव्यय किए जाने के संबंध में उक्त ग्राम के 50 से अधिक निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी को दिनांक 30-6-90 को दिया गया था ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में वर्णित आरोप क्या थे ? उन आरोपों की जांच ग्रामीणों के समक्ष कब और किस अधिकारी से कराई गई, तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम खिलावन ग्राम प्रधान ग्राम सभा हरिपुर पट्टी तहसील हंडिया जि. इलाहाबाद द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच की मांग

194--श्री ज्वाला प्रसाद यादव--क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम खिलावन ग्राम प्रधान ग्राम सभा हरिपुर पट्टी, तहसील हण्डिया, इलाहाबाद के द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 29-6-90 को उन्हें श्री नजमुद्दीन, स. वि. रा. द्वारा दिया गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित बिन्दु क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम प्रधान ग्राम सभा बैसपुर जरेरा विकास खण्ड अहिरोरी जनपद हरदोई द्वारा वर्ष 1989--90 में विकास कार्यों के लिये स्वीकृत धन का कार्यवार विवरण

195--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री रामआसरे अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र सिंह--क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड अहिरोरी की ग्राम सभा बैसपुर जरेरा को वित्तीय वर्ष 1989--90 में कितना धन शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ? स्वीकृत धन से ग्राम प्रधान द्वारा मदवार कौन-कौन से विकास कार्य कराए गए हैं ? इन विकास कार्यों पर अलग-अलग कितना धन खर्च किया गया है ? मस्टर रोल के आधार पर कितने श्रम दिवसों का सृजन कर किन-किन श्रमिकों को किस दर से कितनी मजदूरी दी गई है ? ग्रामीण आवास निर्माण हेतु किन व्यक्तियों का चयन किया गया इनके चयन का आधार क्या है ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान द्वारा पात्र व्यक्तियों का चयन न कर गंभीर अनियमितताएं करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया--ग्राम सभा बैसपुर जरेरा को वित्तीय वर्ष 1989-90 में कुल रु. 42658-00 धन आवंटित किया गया । उक्त धन से कराए गए विकास कार्यवार किए गए व्यय, सृजित श्रम दिवसों का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	माप/इकाई	अंश	सामग्री	सृजित मानव दिवस
1	2	3	4	5
हैण्डपम्प	4	7720	4015	38
खड़ंजा	130 मी.	4278	16038	218
गांधी चबूतरा	1	1620	700	90
सम्पर्क मार्ग	125 मी.	3654	—	203
कूप मरम्मत	1	2116	3372	109
प्रशासनिक व्यय	—	—	36.50	—
निर्बल वर्ग आवास	—	—	6000	—
योग	12440		30211-50	658

मस्टर रोल पर आधारित श्रमिकों में से प्रति मजदूर को रु0 18/– तथा मिस्त्री को रु. 40/– की दर से भुगतान किया गया है । ग्राम सभा की खुली बैठक दिनांक 19 अगस्त, 1989 में पारित प्रस्ताव/निर्णय के आधार पर ग्रामीण आवास निर्माण हेतु जिन व्यक्तियों का चयन किया गया उनकी सूची निम्नांकि –

सर्वश्री

1–रामस्वरूप पुत्र घस्सू पासी
2–सिरदार पुत्र हतेम
3–धनी राम पुत्र घस्सू
4–पोखई पुत्र हरिराम
5–पृथ्वीपाल पुत्र मुल्ला
6–मोतिन पुत्र राम सिंह
7–राम रतन पुत्र द्वारिका
8–शिवदयाल पुत्र राम दयाल
9–मोहन लाल पुत्र सेवा
10–धनीराम पुत्र द्वारिका

उपर्युक्त व्यक्तियों का चयन ग्राम प्रधान द्वारा नहीं बल्कि ग्राम सभा की उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किया गया है, अतः ग्राम प्रधान द्वारा अपात्र व्यक्तियों के चयन किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है इसलिए ग्राम प्रधान द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

196––श्री मिठाई लाल शास्त्री––

[दिनांक 20-2-91 को अता. प्र. सं. 187 द्वारा उत्तरित ।]

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के प्रधान संपादक के नियुक्ति में अनियमितता का आरोप एवं उसके जांच की मांग

197-- श्री मिठई लाल शास्त्री--क्या शिक्षा मंत्री कृपय बताएं कि उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में प्रधान संपादक के पद पर नियुक्ति हेतु वर्ष 1979 और वर्ष 1984 में साक्षात्कार हुए ? यदि हां, तो उनके लिए कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा साक्षात्कार हेतु किसे-किसे आमंत्रित किया गया ? क्या यह सही है कि वर्ष 1979 में जिस महिला को संपादकीय अनुभव के अभाव में अयोग्य घोषित करते हुए साक्षात्कार में भी नहीं बुलाया गया था उसे फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार प्रधान संपादक के पद पर नियुक्त कर दिया गया ? क्या उक्त महिला के अनुभव प्रमाण की भाषा-तिथियों तथा निर्धारित अनुभव के अनुसार उचित थे ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--जी हां ।

वर्ष 1979 में संस्थान को 29 अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र में जिसमें 11 अभ्यर्थियों

1. श्री पारस नाथ मिश्र
2. डा. (श्रीमती) विद्या बिन्दु सिंह
3. श्री कृपा शंकर शुक्ल शास्त्री
4. डा. राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी "रंजन"
5. श्री माध्वाचार्य
6. डा. हरिहर यती
7. श्री शिव प्रसाद त्रिपाठी
8. डा. कौशल कुमार राय
9. डा. राज कुमार शर्मा
10. डा. केशरी नारायण तिवारी

तथा

11. श्री अर्जुन दास केसरी

को आमंत्रित किया गया था । वर्ष 1984 में 28 अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें से 11 अभ्यर्थियों क्रमशः

1. डा. मंगला सिंह
2. डा. भारतेन्दु द्विवेदी
3. डा. राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी "रंजन"
4. श्री श्रीराम शुक्ल
5. श्री हिमांशु जोशी
6. श्री राधेश्याम आर्य
7. श्री विनोद कुमार दुबे
8. डा. त्रिवेणी दत्त शुक्ल
9. डा. मंजुलता तिवारी
10. श्री बठुक नाथ शुक्ल

11. डा. गोविन्द स्वरूप गुप्त

को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया ।

जी नहीं, प्रश्नगत महिला की नियुक्ति संदेहास्पद नहीं थी, परन्तु अनुभव प्रमाण पत्र न देने के कारण वर्ष 1979 में उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी । वर्ष 1984 में जब उन्होंने संपादन अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए तो उनकी नियुक्ति संभव हो सकी । प्रमाण-पत्रों की [illegible] किसी आधार के फर्जी नहीं कहा जा सकता ।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में कतिपय मार्गों के निर्माण हेतु अध्यायित भूमि के मुआवजे का भुगतान

198--श्री पंचानन राय--विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पत्र में संलिप्त तथ्यों का सत्यापन हो गया है ? यदि हां, तो वह क्या और उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--- जी हां ।

लोक निर्माण विभाग द्वारा विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, आजमगढ़ को प्रतिकर हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव भेजते समय श्री राम प्रसाद, श्री हवलदार, श्री सुबेदार एवं श्री फौजदार के गाटा संख्या 470 (नया नंबर) का 1092 (पुराना नंबर) में अर्जित की गई 170 कड़ी भूमि का प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका था । प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु कथित लोगों की अधिग्रहीत की गई भूमि के प्रतिकर का भुगतान किए जाने हेतु अब आपसी समझौतों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

199--श्री श्याम देव राय चौधरी---

[चौथे बुधवार में अता. प्र. सं. 57 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

दिनांक 22 फरवरी, 1991 को लखनऊ में युवा जनता दल पर हुए लाठी चार्ज के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

***श्री रेवती रमण सिंह**---मान्यवर, मैंने आपके सामने नियम 311 में अपना दे रखा है, जिसमें नियमों के निलंबन की मांग है । विगत 22 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के युवा जनता दल की ओर से यहां लखनऊ में शान्तिपूर्ण एक प्रदर्शन का आयोजन था । मान्यवर, इस प्रदर्शन में माननीय मख्तार अनीस साहब जो मंत्री रहे हैं, श्री रामपाल सिंह, जी कौंसिल के सदस्य हैं और पूर्व विधायक श्री राम आसरे वर्मा और उत्तर प्रदेश जनता दल के महामंत्री श्री अनहर जमाल लारी आदि के नेतृत्व में लगभग 5 हजार लोग शामिल थे । यह लोग उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों को काम का अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए उनको यह अधिकार दिलाया जाए, बेरोजगारी दूर करने के लिए उनको बेरोजगारी-भत्ता दिया जाए, प्रदेश में जो सांप्रदायिक दंगे हुए है, उनसे निपटने के लिए जो दोषी व्यक्ति है उनको दंडित किया जाए, तथा मंहगाई

जो प्रदेश में पिछले दो महीने में करीब 19-20 प्रतिशत बढ़ी है उस पर रोक लगाई जाए। इन्हीं तमाम ज्वलन्त समस्याओं को लेकर और इनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए यह लोग शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। हरिजनों पर जो कहर आम हो रहा है और जो उन पर इधर अत्याचार बढ़े हैं, लेकिन मान्यवर, अफसोस की बात यह है कि जो सरकार यह कहती थी इसी विधान सभा में जब विपक्ष में बैठती थी कि पुलिस लाठी चार्ज किसी तरह सही नहीं कहा जा सकता है। उसी सरकार के द्वारा जिस बर्बरतापूर्ण ढंग से इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है वैसा उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जब स्थानीय दयानिधान पार्क से यह लोग बाहर निकले तो इन लोगों को लाठियों से इतनी बुरी तरह पीटा गया और गिरफ्तार करके जब उन्हें बस में बिठाया गया तो भी उन्हें थोड़ी दूर ले जाकर बस में भी लाठियों से मारा गया। मैं आलमबाग थाने में गया था, मैंने वहां जो स्थिति देखी वैसी खराब स्थिति मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी नहीं देखी। वहां पर भी इन लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसके कारण युवा-जनता के अनेक लोग बुरी तरह घायल हो गए और मुख्तार अनीस जी के पैर में फ्रेक्चर हो गया। समरपाल जी के भी गंभीर चोटें आई। इस तरह करीब डेढ़-दो दर्जन लोगों के पैरों या शरीर के दूसरे अंगों पर चोटें आई हैं। राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर इतने बर्बरतापूर्ण ढंग से कभी लाठीचार्ज नहीं किया गया है। इतना ही नहीं थाने पर पी. ए. सी. के लोग रविदास मेहरोत्रा और समरपाल सिंह जी को गोली मारने के लिए आतुर हो गए थे। वहां के थानेदार इनामचन्द्र ने इन लोगों को थाने पर कोठरी में बंद न कर दिया होता तो शायद यह भी हो जाता। तो इन्हें गोली मार दी जाती। आज भी वहां थाने में आप तहकीकात करा सकते हैं थाने में दोनों दरवाजे टूटे हैं। इस प्रकार की स्थिति है। पी.ए.सी. और पुलिस के लोग इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इन लोगों की 307 धारा में रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। पी. ए. सी. के लोगों को और हजरतगंज के इन्सपेक्टर को आप सस्पेंड करिए अगर आप इनको सस्पेंड नहीं करेंगे तो हम सदन को नहीं चलने देंगे। सरकार कार्यवाही करने की घोषणा करे। पुलिस के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—मान्यवर, जिस प्रकार से पुलिस द्वारा जनता दल के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है यह बहुत ही शर्मनाक है। हम लोगों की गाड़ी पर भी पिछले सत्र के पहले जुलूस के दौरान लाठीचार्ज हुआ था यह सरकार जो कार्य करा रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं राजनीतिक मतभेद इस हद तक हो गए हैं कि लोकतंत्र में हम अपनी आवाज नहीं निकाल सकते हैं, इस तरह से कैसे काम चलेगा?, सरकार के विरुद्ध कोई आवाज निकालेगा तो यह उसको पिटवाएगी, यह तो कोई बात नहीं हुई।

कहा गया कि पत्थर फेंके गए, तो जिन लोगों ने पत्थर फेंके उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। पूरे जुलूस पर लाठीचार्ज किया गया, चाहे जिसका हाथ टूटे चाहे जिसका पैर टूटे। बसों के अन्दर से लोगों को निकालकर पीटा गया। जुलूस के लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ इसको किसी ने नहीं देखा?

(व्यवधान)

[श्री राम चन्द्र बक्श सिंह---]

माननीय विधायकों को और माननीय सांसद की रिपोर्ट लिखाने अन्दर नहीं जाने दिया जाएगा, जब इन लोगों ने जाने के लिए कहा तो पी0 ए0 सी0 के लोगों द्वारा कहा गया कि गोली मार दी जाएगी, तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए ।

(विपक्ष की तरफ से हेम-हेम की आवाजें)

15 साल से कटेरी देवी अनशन कर रही हैं उनके इसी इन्सपेक्टर आर. पी. सिंह द्वारा बेइज्जत किया गया इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा---मान्यवर, आज पी. ए. सी. अनियंत्रित हो गई है पी. ए. सी. को थाने में थानाध्यक्ष के साथ या दो सब-इन्सपेक्टर के साथ लगाया जाता है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनी रहे । लेकिन मान्यवर, जब रविदास मेहरोत्रा विधायक और माननीय समरपाल सिंह सदस्य विधान परिषद् थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने गये कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ है इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, इनको अंदर नहीं जाने दिया गया । पी. ए. सी. ने कहा कि आगे बढ़े तो गोली मार दी जाएगी । जब वहां के इंस्पेक्टर ने देखा कि कोई भी घटना घटित हो सकती है तो उसने इन दोनों को कोठरी में बंद कर दिया व कोठरी की खिड़की के किवाड़ और कुन्दा एवं शीशा तोड़ दिया गया और पी. ए. सी. ने कहा कि हम इनको जान से मार देंगे, तो एक दरोगा आगे आकर खड़ा हो गया और बोला पहले मुझे गोली मारो । श्रीमान दो विधायकों को जान से मार दिया गया होता यदि इंस्पेक्टर ने सामने खड़े होकर न रोका होता और आज यह दोनों विधायक सदन में न दिखाई देते । आज पी. ए. सी., अनियंत्रित होती जा रही है। साम्प्रदायिक दंगों में पी. ए. सी. की भूमिका के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं । पी. ए. सी. के ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया है । श्रीमन्, मंहगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ युवा जनता दल के लोग आवाज उठा रहे थे, साम्प्रदायिक दंगों को रोका जाय, बेरोजगारी भत्ता दिया जाय, तो इस तरह के शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बस से पुलिस हिरासत में लाठी चार्ज करना निन्दनीय है। इसलिए मेरी मांग है कि हजरतगंज थाने के दरोगा आर0 पी0 सिंह के निलम्बित किया जाय । पी. ए. सी. के वह लोग जो इस मामले में संबंधित है उनको निलम्बित किया जाय और इस पूरे प्रकरण की जूडीशियल इन्क्वारी कराई जाय । हमारी पार्टी के उप नेता मुख्तार अनीस के शरीर पर 11 चोटें हैं : उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है । श्रीमन् यह अत्यंत लज्जाजनक बात है । मैं चाहता हूं कि आज का कार्य रोक नियम निलंबित कर इस विषय पर चर्चा कराई जाय । आज पी. ए. सी. के खिलाफ पूरे देश में आवाजें उठ रही हैं । यह जो माहौल है, पी. ए. सी. जो रक्षक की जगह भक्षक बनी है इस माहौल, को ठीक करने के लिए सारे नियमों को निलंबित करके इस महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर चर्चा कराने की आज्ञा प्रदान करें धन्यवाद ।

श्री राजकिशोर सिंह---मान्यवर, यह जो घटना हुयी है यह सत्तापक्ष के लिये अत्यन्त लज्जाजनक है । युवा जनता का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कोई ऐसी बात नहीं थी कि वह पुलिस का मुकाबला करने आये थे। सत्ता पक्ष की तरफ से आज जो यह स्थिति बना दी गयी है मेरा ख्याल है कि कांग्रेस (आई) की छुआछूत का यह प्रभाव है ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य, सदन में शांति बनाए रखें।

श्री राज किशोर सिंह--पुलिस ने जिस निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज किया है उससे अनेक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इसमें हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मुख्तार अनीस जी को चोटें आई हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का यह सिलसिला बराबर चल रहा है। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहले जब पुलिस के अत्याचार की घटनायें उत्तर प्रदेश में होती थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी उसकी सूची बनाते थे और उसके खिलाफ बोलते थे। आज स्थिति यह है कि आज पुलिस बिलकुल बेनिकेल हो रही है। जो उसके मन में आता है करती चली जा रही है।

स्थिति बड़ी गंभीर बनती चली जा रही है। जैसा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह जी ने कहा, पिछली मर्तबा कम्युनिस्ट पार्टी के शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था जिसमें राजा जीवन, एम. पी. और अनेक विधायकों को चोटें आई थीं लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, नारे लग रहे थे तो कोई कारण नहीं है कि पुलिस लाठीचार्ज करे। मैं चाहूंगा कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाय और दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित किया जाय।

श्री सत प्रकाश मिश्र--मान्यवर युवा जनता दल के लोगों ने जन-समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। लोकतंत्र में जनता की समस्याओं को उठाने का कारगर उपाय यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जाय, धरना आदि के द्वारा अपनी मांगें शासन तक पहुंचाई जायें। परन्तु जिस तरीके से जनता के कार्यकर्ताओं पर, जनता दल के नेताओं पर, और विधायकों पर निर्ममतापूर्वक लाठी चार्ज किया, उनको चोटें पहुंचाई गईं, हाथ-पैर तोड़े गए, उससे ऐसा लगता है कि पुलिस ने प्रतिशोध की भावना से किसी इशारे पर उनके साथ यह व्यवहार किया। युवा जनता दल के लोग पुलिस से लड़ने या उनसे मुकाबला करने नहीं गए थे फिर उनके साथ ऐसा होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही चिन्तनीय है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को हमेशा से उदारता से धन्यवाद देते रहे हैं। क्या हम आशा करें कि आज भी मुख्य मंत्री जी, माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह जी और माननीय राजकिशोर सिंह जी जैसे अपने समर्थक दलों के नेताओं को, जिन्होंने सदन में उन्होंने सरकार की आलोचना की है, क्या उसी उदारतापूर्वक सरकार की आलोचना के लिए धन्यवाद देंगे? यह उनके लिए सोचने का विषय है। अच्छा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देते हुए अवश्य यह आश्वासन देंगे कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा?

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--मान्यवर, क्या इन लोगों ने कोई सूचना दी थी, जो इन लोगों को बुलवाया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष--यह युवा जनता दल का मामला है और वह इस दल के नेता हैं, जो लोग बोले हैं।

*बजट में भाषण का प्रतीक्षण नहीं किया

श्री मुख्तार अनीस--माननीय उपाध्यक्ष जी, 22 तारीख को युवा जनता दल के शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों पर पुलिस ने दयानिधान पार्क के समीप लालबाग में बरबर लाठी चार्ज किया । मेरे सहित श्री समरपाल सिंह, जो कि विधान परिषद् के सदस्य हैं और युवा जनता दल के अध्यक्ष हैं, को बुरी तरह से लाठियों से पीटा ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मुख्तार अनीस जी, आप कृपया बैठ जायं । आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं ।

(कांग्रेस पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--मान्यवर, बस पर बैठे हुए सत्याग्रहियों को रास्ते में रोक कर मारा गया । मान्यवर, यही नहीं, जब आलमबाग थाने पर इन लोगों को ले गए, तो वहां पर श्री समरपाल सिंह एवं श्री रवि दास मेहरोत्रा को पी. ए. सी. के लोग जान से मार देना चाहते थे । यदि श्री रेवतीरमण सिंह समय पर वहां पहुंच न जायं, तो इन लोगों की हत्या हो जाय । यह एक गंभीर मामला है और इस पर अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिए ।

(कांग्रेस पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--ये जो सत्ता पक्ष की [x] कांग्रेसी सदन में शोर मचा रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि एक दिन आपकी भी ऐसी दुर्गति होने वाली है ।

(घोर व्यवधान)

मैं मान्यवर, जूडिशियल इन्क्वारी की मांग करता हूं ।

(कांग्रेस पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

(अनेक सदस्यों द्वारा लगातार एक साथ खड़े होकर बोलते रहने से सदन में व्यवधान बना रहा)

श्री उपाध्यक्ष--आप लोग बैठें, इसे कार्यवाही से निकलवा दूंगा ।

***श्री प्रमोद कुमार**--मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--इस विषय पर 5-6-7 लोग बोल चुके हैं अब मैं अनुमति नहीं दूंगा, कृपया बैठें ।

माननीय मेहरोत्रा जी बैठ जायं, आप जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा । (व्यवधान)

नोट :-[x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया

श्री प्रमोद कुमार—मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। (व्यवधान) मान्यवर, इसलिए कहा गया है कि आदमी को सोच समझकर दवा खानी चाहिए हमारे भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने लगता है कि ग्रोवर कम्पनी की दवा खाली है इसलिए जो शब्द बोलते हैं, असंसदीय निकलता है। (व्यवधान) इसलिए मैं आग्रह करूंगा, कांग्रेस दल की ओर से आग्रह करूंगा कि जो शब्द उन्होंने कहे हैं उसे अगर कार्यवाही से नहीं निकलवायेगें।

श्री उपाध्यक्ष—निकलवा दिया है।

श्री प्रमोद कुमार—तब तो ठीक है।

श्री किशोरी श्याम—मान्यवर, एक मिनट का समय चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—नोटिस में आपका नाम नहीं है। किशोरी जी, आपकी बात श्याम जी सुनते ही है, आप कृपया बैठे, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

***श्री किशोरी श्याम**—मान्यवर, कम्यूनिस्ट वालों को मारा, इधर मारा, जनतादल को मारा, सबको मारा। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेसियों को कब पीटेगें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप शान्ति से नहीं बैठेगें तो मैं सदन स्थगित कर दूंगा।

श्री रविदास मेहरोत्रा—मान्यवर, 22 फरवरी को महगांई, बेरोजगारी और बिभिन्न समस्याओं को लेकर हुए प्रर्दशन में लोग गिरफ्तार होकर आलमबाग थाने में गये। मैं यहां से निलम्बित हुआ और आलमबाग थाने गया वहां मुझे मालूम हुआ कि पी0ए0सी0 के लोग वहां लोगों को मार रहे हैं तो मैंने कहा कि मुझे थान के अन्दर जाने दिया जाय लेकिन आलमबाग थाने के मुख्य गेट पर खड़े पी0ए0सी0 के लोगों ने मुझे रोक लिया।

श्री उपाध्यक्ष—कृपया शान्त रहें।

श्री रविदास मेहरोत्रा—मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे अकेले थाने के अन्दर जाने दिया। मैंने अपना पन्चिय कराया उसके बाद भी थाने के मुख्य गेट के अन्दर मुझे जाने से बलपूर्वक रोका गया, मैंने थानाध्यक्ष महोदय को बुलाने को कहा लेकिन थानाध्यक्ष के बुलाने के स्थान पर.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—मेहरोत्रा जी अब आप बैठ जाये। और मा0 सदस्य भी बोल चुके हैं।

श्री रविदास मेंहरोत्रा— (घोर व्यवधान के मध्य).....मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रविदास महरोत्रा--जो घटना हुई उसे आप सुनें। आलमबाग थाने के अन्दर मेरे उपर लाठी चार्ज किया गया। पी0ए0सी0 के लोगों ने रायफल से मेरी हत्या करने का प्रयास किया (घोर व्यवधान) उसके बाद आलमबाग थाने के थानाध्यक्ष आ गए और उन्होंने पी0ए0सी0 के लोगों को रोका। हम लोगों को आलमबाग थाने के कार्यालय में बन्द कर दिया गया, लेकिन पी0ए0सी0 के लोगों ने आलमबाग थाने के कार्यालय का फाटक तोड़ दिया। आप आज ही थाने पर जांच करावें। थाने के कार्यालय का फाटक अब तक टूटा पड़ा है ! पी0ए0सी0 के लोग मुझे जान से मारने का प्रयास कर रहे थे। आलमबाग थाने के दरोगा ने न बचाया होता तो पी0ए0सी0 के लोगों ने मेरी हत्या कर दी होती। आलमबाग थाने रिपोर्ट लिखा दी गयी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पी0ए0सी0 के लोग मार रहे थे तो कह रहे थे कि ये सरकार तथा पी0ए0सी0 के खिलाफ बहुत बोलते हैं, इनकी हत्या कर दो। पूर्वाग्रह और बदले की भावना से आलमबाग थाने में पी0ए0सी0 के लोग मेरी हत्या का प्रयास कर रहे थे। वहां से पी0ए0सी0 के लोग निकले तो कहते गए कि आज तो बच गए, शहर में कभी मिले तो हत्या कर दी जायेगी। ऐसा लगता है कि प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। कानून व्यवस्था कि स्थिति समाप्त हो गई है। अब जन-समस्याओं के लिये संघर्ष करने वालों को पुलिस मारेगी। तो लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से इस पूरी घटना की न्यायिक जांच या सदन की एक सर्वदलीय कमेटी से जांच करवाये जाने की मांग करता हूं और मांग करता हूं कि दोषी पी0ए0सी0 के कर्मियों को गिरफ्तार किया जाये और उन पर 307 का मुकदमा कायम किया जाय।

***मुख्य मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)**--उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नेता, जनता दल और अन्य नेताओं ने और अन्य माननीय सदस्यों ने ऐसा चित्रण रखा, लगता है कि जैसे वे मौके पर खड़े हों। माननीय वर्मा जी, ऐसा लगता है कि मौके पर इन्स्पेक्टर के साथ खड़े हों। कम से कम यह कहते कि किसी ने बताया, अखबारों में पढ़ा, ऐसा लगता है कि माननीय वर्मा जी मौके पर खड़े थे। उनको तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं थी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि लोकतंत्र में प्रदर्शन और सभायें करने का पूरा अधिकार है, लेकिन पत्थर फेकने का अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़े क्रान्तिकारी दिखाई देते हैं, लेकिन हैं नहीं। मौके पर दो कदम पीछे हो जायेंगे। बाकायदा लिखकर परमीशन दी गई कि केवल सभा करेंगे। लेकिन वहां पर रस्सी को काट दिया गया और दूसरी रस्सी तक पहुंच गए। वहां इनको रोकने की ए. सी. एम. ने कोशिश की। उसको पीट दिया। उसको पत्थर लगा, उसको बेहोशी सी आ गई। इतने में आपने छलांग लगाई...(व्यवधान)...सुन लीजिए। मान्यवर, मुख्तार अनीस साहब तो जैसे ही रस्सी से छलांग लगाकर भागे तो निकल कर अलग हो गए।

श्री उपाध्यक्ष--कृपया शांत रहें।

श्री मुलायम सिंह यादव--यह सही है कि मुख्तार अनीस साहब ने उस समय बहूत अच्छा काम किया। जब वे लोग नहीं माने और पूरी तरह से हिंसा पर उतारू हो गए और मुख्तार अनीस साहब की नहीं चली तो ये तो किनारे हो गए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव---यह अलग हट गये, सुन लीजिये यह सच्चाई है ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा---मान्यवर, आप भी मौके पर नहीं थे ।

श्री मुलायम सिंह यादव---पूरी कोशिश की सचिवालय में घुसने की यहां तक आने की।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस---वहां तक कोई गया ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---आपस में बात न करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव---आप लेकर यहां तक आना चाहते थे ।

मान्यवर, हम लोगों ने बहुत आन्दोलन किये हैं, इनसे ज्यादा किये हैं लेकिन कभी पत्थर फेंकने की कोशिश नहीं की है।

श्री मुख्तार अनीस---किसी प्रदर्शनकारी ने पत्थर नहीं फेंका।

श्री मुलायम सिंह यादव---क्या ए0 सी0 एम0 घायल नहीं हैं, क्या पुलिस घायल नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस---पत्थर किसी प्रदर्शनकारी न नहीं मारा।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य शांति बनाये रखें।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव---आपने कांग्रेस पार्टी के लिये कहा, रखैल की जानकारी भी आपको ही है हम को तो है नहीं ?

(व्यवधान)

म पूरी तरह से इस पक्ष में हूं कि सभायें हों, लेकिन शांतिपूर्वक हों, नियमों के अन्तर्गत हों ।

श्री मुख्तार अनीस---मान्यवर, कुछ तो सही कह दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव---मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि आपकी बात किसी ने नहीं मानी नहीं । अगर नेतृत्व ही कराना था तो माननीय रेवती रमण जी को ले जाते कोई झगड़ा नहीं होता । आप इनको करेंगे, माननीय रविदास जी को रखेंगे तो नहीं झगड़ा होना होगा, तो भी झगड़ा हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री मुलायम सिंह यादव---अब मान्यवर पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, ए0 सी0 एम0 को पत्थर मारा गया, पुलिस पर पत्थर फेंके, कई पुलिस के लोग घायल हो गये । अब अगर कानून को तोड़ेगें, मान्यवर पत्थर फेंकने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जा सकती, वरना शासन चल ही नहीं सकता है ।

दूसरी बात, जहां तक मान्यवर माननीय रामचन्द्र बख्श सिंह का और माननीय राजकिशोर सिंह जी का मामला है, उनको जानकारी पूरी नहीं है, वरना ऐसा बोल नहीं सकते थे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री मुलायम सिंह यादव---लेकिन, आज मुझे एक बात की चिन्ता है, यह जो मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने सही मौके पर सही निर्णय लिया हमारी सरकार चलाने के लिये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---आप लोग बैठें, शांति बनाये रखें ।

श्री मुलायम सिंह यादव---इनके साथ में, बी0 जे0 पी0 मय चरित्र कहीं आपकी पार्टी का न हो जाय, यह मुझे चिन्ता है ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल---यह आपका गलत ख्याल है ।

श्री मुलायम सिंह यादव---जो उस नेता के नेतृत्व में हों, जो लगातार बी0 जे0 पी0 के रखैल रहे हों, उस नेता के नेतृत्व में हों, तो कोई [×] का सवाल कैसे करते हैं, जो सर्वोच्च कुर्सी पर बी0 जे0 पी0 की बदौलत बैठे हों, वह यह बात करते हैं तो मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां पर प्रशासन से जितना संयम और धीरज वे बरत सकते थे, बरता है । मैं यहां पर यह कहना चाहूँगा कि जो आप सभाएं या प्रदर्शन आप करते हैं वह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए । मान्यवर, उस दिन मेहरोत्रा साहब सभा में बैठे थे, भागकर थाने पहुंच गये वह भी आठ दस लोगों को लेकर और वहां पर जाते ही उन्होंने इन्सपेक्टर को थप्पड़ मार दिया और भीतर तक घुस गये । तो जब थाने में जाकर पुलिस को थप्पड़ मारेंगे और अन्दर तक घुसते चले जायेंगे तो कहीं न कहीं बल प्रयोग तो अवश्य होगा, तो जब इस प्रकार की कार्यवाही करेगें और कहेंगे कि इस पर जांच करायी जाये मैं तो यह समझता हूं कि इस पर किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा तथा कई अन्य जनता दल सदस्यों के साथ खड़े होकर (लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी—नहीं चलेगी के नारे लगाने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

नोट :---[×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष––आज नियम–56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें निम्नलिखित 7 सूचनाएं चयनित की गयी। पहली सूचना श्री यदुनाथ सिंह व श्री मेहरोत्रा जी की "युवा जनता दल आयोजित रैली पर बर्बर लाठी चार्ज किये जाने के संबंध में है। चूंकि यह सूचना नियम 311 के अन्तर्गत भी प्राप्त हुई है इसलिए मैं इसे नियम–56 के अन्तर्गत अस्वीकार करता हूं। दूसरी सूचना डा0 सरजीत सिंह डंग व डा0 दिनेश जौहरी की "शासनादेश के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रदेश के चिकित्सालयों के लिए औषधियां राज्य के सार्वजनिक उपक्रम यू0पी0डी0पी0एल0 से न खरीद कर अन्य एजेन्सियों से अधिक दर पर खरीदें जाने के सम्बन्ध" में है। तीसरी सूचना श्री अमर नाथ यादव की वाराणसी विकास प्राधिकरण में आठ–दस वर्षों से दैनिक मजदूरी पर कार्यरत तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री विमल प्रसाद तिवारी, श्री श्याम देव राय चौधरी दादा, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य की "होली के त्योहार के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अतिरिक्त दिये जाने वाली शकर का आज तक आवंटन न किए जाने के सम्बन्ध" में है।

(कुंवर रेवती रमण सिंह श्री रविदास मेहरोत्रा तथा जनता दल के कई अन्य सदस्यों के एक साथ खड़े होकर लगातार लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी आदि के नारे लगाते रहने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)।

श्री उपाध्यक्ष––मैं सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 1 बजे श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अपरान्ह 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, 3 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन के स्थगन को 3.30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया। 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

(समय 3 बजकर 30 मिनट)

(श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी) श्री रविदास मेहरोत्रा तथा जनता दल के कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलते रहने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)।

नियम 301 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष––माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपा करके बैठ जायें। मैं पहले नियम 301 की सूचनाओं को सुना दूं, नहीं तो यह रह जायेगी। आप लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। आज नियम 301 के अन्तर्गत 26 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी) तथा कई जनता दल के सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)।

सदन के संचालन हेतु श्री अध्यक्ष के सुझाव

श्री अध्यक्ष---जब मैं खड़ा हूं तो आप लोग कृपा करके बैठ जाय ।

माननीय नेता सदन एवं अन्य सदस्यगण, मैंने तीन दिन पूर्व तीन बातों के लिए आपसे निवेदन किया था । पहला निवेदन यह था कि अपनी बात को रखवाने के लिए कोई भी माननीय सदस्य वैल में आकर के कार्यवाही में व्यवधान डालने का प्रयास न करे। दूसरा, जब इस अध्यक्ष पीठ से मैं या माननीय उपाध्यक्ष जी या सम्भावित अधिष्ठाता मण्डल का कोई भी माननीय अधिष्ठाता खड़े हों तो कृपा करके आप सभी लोगों को अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिये। तीसरा, जब अध्यक्ष पद में कोई बात तय हो जाय तो उसके बाद उसके लिए माननीय नेताओं का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि उससे वह अपने माननीय सदस्यों को अवगत करा दें कि कहां पर क्या तय हो गया है और अब उसके हिसाब से कार्यवाही होगी । मैंने ये तीनों बातें सभी को लिखकर भेज दी थीं । इसके अतिरिक्त मैं भी यह अनुभव कर रहा हूं और साथ ही सदन के माननीय सदस्य भी अनुभव कर रहे हैं कि सदन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसमें व्यवधान डाल करके, उस अधिकार से इस पूरे सदन को वंचित किया जा रहा है । जिसमें प्रश्नकाल है, नियम 301 की सूचनायें हैं, नियम-56 है, यदि ऐसे कार्यों को आप नहीं करने देते हैं तो यह उचित बात नहीं है । इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मुझे पहले 301 की सूचनायें पढ़ने दीजिए।

(व्यवधान)

(कुंवर रेवती रमण सिंह और चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ) ।

श्री अध्यक्ष---आपकी बात को यहीं पर सुना जा चुका है । इस विषय पर आपने बोल लिया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर भी दे दिया है । यदि आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो.....

(घोर व्यवधान)

मेरी बात आप सुनिये । यदि आप सन्तुष्ट नहीं है तो आपके पास दूसरे उपाय हैं । लेकिन यह नहीं हो सकता है कि आप कहें कि व्यवधान डालेंगे । और सदन की कार्यवाही चलने नहीं देंगे ।

(जनता दल के अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयत्न करने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष---एक आदमी बोलिये । हम बाध्य नहीं कर सकते हैं शासन को यहां पर कि वह आपका मनचाहा वक्तव्य दे ।

*श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)--(घोर व्यवधान के मध्य) हम लोगों को सुन लें।

*श्री शारदा प्रताप शुक्ल--मान्यवर, माननीय नेता जी को सुन लें।
(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--हमारा निर्णय यह है कि आपका विषय सुना जा चुका है ।
(पुनः घोर व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)--आप हमारी बात सुन लें।
(पुनः घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि मैं बोलने की अनुमति इसलिये नहीं दे रहा हूं कि इस विषय पर आप अपनी बात कह चुके हैं और शासन का उत्तर भी आ चुका है ।

(जनता दल के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष--एक-एक आदमी बोलिये।

(जनता दल सदस्यों द्वारा पुनः एक साथ बोलते रहने का प्रयत्न करने पर सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष--मैं अनुमति नहीं देता हूं आपकी बात कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी ।

(जनता दल के सभी सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जाने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री शारदा प्रताप शुक्ल--[× × ×]

श्री अध्यक्ष--मैं अपना निर्णय बदलने नहीं जा रहा हूं। मैं निर्णय दे चुका हूं।

(जनता दल के लगभग सभी सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलते रहने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष---आप लोग समझ लें कि दो बातें बिल्कुल नहीं होगी । एक तो यह कि शासन वही उत्तर दे जो आप चाहें और दूसरा यह कि मैं एक निर्णय दे दूं और बाद में बदलूं । यह भी नहीं होगा ।

(श्री गोपी नाथ वर्मा के खड़े होकर बोलने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष---आप बैठें ।

(श्री रविदास मेहरोत्रा के साथ जनता दल के अन्य सदस्यों द्वारा "लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" तथा "पुलिस के दम पर यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" के नारे लगाते रहने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री रविदास मेहरोत्रा के निलम्बन का प्रस्ताव

(नारों की वजह से घोर व्यवधान)

श्री रविदास मेहरोत्रा---(श्री रविदास मेहरोत्रा के साथ जनता दल के सदस्यों द्वारा यह लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, यह तानाशाही और गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी । पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी और दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो आदि के नारे लगाते रहने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।

लोक निर्माण आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (**श्री बेनी प्रसाद वर्मा**) --मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रविदास मेहरोत्रा को आज से सदन की कार्यवाही से पूरे सत्र तक के लिए वंचित रखा जाए ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि जो इंगित करते हुए प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है कि श्री रविदास मेहरोत्रा सदस्य विधान सभा को पूरे सत्र तक के लिए सदन की कार्यवाही से वंचित रखा जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(तदुपरान्त डिप्टी मार्शल विधान सभा, फ्लोर से होते हुए माननीय सदस्य, श्री रविदास मेहरोत्रा से सदन से बाहर जाने हेतु अनुरोध करने के लिये गये, परन्तु श्री मेहरोत्रा सदन से बाहर नहीं गये)

कुंवर रेवती रमण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके हम सभी को सदन की कार्यवाही से सस्पेन्ड कर दें, तो हम सब के सब बाहर चले जाएं ।

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य---आप सभी लोगों को सस्पेन्ड नहीं किया जायेगा, केवल एक को

(घोर व्यवधान)

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**---मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)---[श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) के साथ जनता दल के अन्य सदस्यों द्वारा यह लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो । पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी--नहीं चलेगी आदि के नारे लगाते रहने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।]

श्री रविदास मेहरोत्रा---(यह तानाशाही और गुण्डागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी को जनता दल के अन्य सदस्यों द्वारा दोहराते रहने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष---सदन की कार्यवाही 4.00 बजे तक के लिये स्थगित करते हैं ।

(इस समय 3 बज कर 43 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, 4 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन के स्थगन को 4 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 4 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 45 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । 4 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

(जनता दल के कई सदस्यों के एक साथ खडे होने पर बोलते रहने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---नियम 301 के अन्तर्गत आज दिनांक 25-2-91 को कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी - जिसमें श्री कुंवर सर्वराज सिंह, श्री यदुनाथ सिंह, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री पंचानन राय, श्री चन्द्रभान मौर्य , श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य और विमल प्रसाद तिवारी की है । शेष अस्वीकार की गयी । ये सूचनायें पढी हुई मानी जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(संलग्न सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी ।)

आई0 टी0 आर0 कम्पनी सीपीगंज बरेली के कर्मचारियों द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुँ0 स्वराज सिंह--[महोदय, आई0 टी0 आर0 कम्पनी सीपी गंज बरेली के कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 2 माह से आन्दोलरत है । इनकी प्रमुख मांग बदली कर्मचारियों के स्थायीकरण की है जिन्हें वर्ष 1978 से बन्धुआ मजदूर बनाकर रखा है जबकि रिक्त पदों पर लगातार यह लोग काम कर रहे है । प्रतिष्ठान के अधिकारियों के शोषण से कर्मचारियो एवं प्रतिष्ठान दोनों को भयंकर क्षति हो रही है, 20 वर्ष से कार्यरत बदली कर्मचारियो के आन्दोलन के समर्थन मे अन्य श्रमिकों ने भी आन्दोलन में शामिल होने की घोषणा की है । श्रमिक न्याय पाने के लिये कोई भी आन्दोलनात्मक कदम उठा सकते है । यदि समय रहते सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठाती तो इसके परिणाम काफी भयावह हो सकते हैं और प्रतिष्ठान में कार्यरत में मजदूरों के परिवार भुखमरी के शिकार हो सकते है। प्रतिष्ठान के सेवायोजकों की इस कार्यवाही से मजदूरों तथा क्षेत्रीय जनता में हाहाकार मचा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर की चुनार तहसील में महा विद्यालय खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह---[महोदय, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न में संज्ञान में लाना आवश्यक है कि उ0प्र0 में इस तहसील के अन्तर्गत 35 इण्टर कालेज हैं। एक ही तहसील में इतना इण्टर कालेज, होना उ0प्र0 के किसी जिले,तहसील में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये जागरुक है। हर वर्ष जुलाई में महाविद्यालय खोला जाता है परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्य मंत्री जी के वादा के बावजूद भी जुलाई 1990 में महाविद्यालय नहीं खोला गाया।

अतः बच्चों को उच्च शिक्षा दृष्टिकोण से इस वित्तीय वर्ष में महाविद्यालय, खोलने का प्रविधान किया जाय, जिससे तहसील दूरस्थ के बच्चें शिक्षा प्राप्त कर सकें।]

दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पहाड़पुर में गन्ना क्रय केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र विक्रम---[महोदय, दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहांपुर का गन्ना क्रय केन्द्र ग्राम खेड़ा बझेड़ा मेरे निवासी ग्राम में है। जिस पर 98 ग्राम के कृषक अपना गन्ना तुलवाते है। इस केन्द्र पर लगभग 1400 गन्ना कृषक अपना गन्ना तुलवाते है । लगभग 125000 कुन्तल आकर है इतने अधिक ग्राम संबंध होने से एवं गन्ना कृषकों की सयस्यता को देखते हुये एक क्रय केन्द्र पर इतना गन्ना

नोट---[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार पढ़ा हुआ माना गया।

तुलवाने से परेशानी होती है । अतः यह अति आवश्यकीय है कि कृषक हित में एक अन्य गन्ना क्रय केन्द्र ग्राम पहाड़पुर या गठिया-गंज तत्काल ही खोल दिया जावे पहाड़-पुर तक लोक निर्माण विभाग की सड़क भी है और जब तक पहाड़पुर पर क्रय केन्द्र न खोला जावे तब तक के लिये खेड़ा बझेड़ा क्रय केन्द्र पर ही दूसरा कांटा लगाया जाय यह अति आवश्यक है ।]

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम जनपद आजमगढ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन राय--[महोदय, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम आजमगढ़ में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है विद्युत उपकेन्द्रों की मरम्मत तथा विद्युत लाइनों के रख-रखाव के फर्जी ठेकेदारों तथा फर्जी फर्मों के नाम पर धन अविशासी अभियन्ता द्वारा स्वयं निकाल लिया जाता है । इस कारण रखाव व अनुरक्षण का कार्य उचित रूप से नहीं हो रहा है। जिससे विद्युत आपूर्ति भी नियमित रूप से नहीं होती है ।

अनकों उपभोक्ताओं को फर्जी कनेक्शन देकर उनसे धन उगाही की जाती है जो उपभोक्ता सही तरीके से विद्युत प्राप्त करके उसका भुगतान करते हैं उन्हें तरह-तरह से परेशान किया जाता है । भ्रष्टाचार की जांच के लिये यदि वित्तीय वर्ष 89-90 तथा 90-91 में जिन ठेकेदारों एवं फर्मों के नाम इस खण्ड द्वारा भुगतान किये गये हैं उनकी जांच करा दी जाय तो स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जायगी ।

इस सूचना के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस खण्ड के दो वित्तीय वर्ष के क्रिया कलापों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय ।]

जनपद फिरोजाबाद मे इण्टरमीडिएट तक के छात्रों की फीस माफी सम्बन्धी सरकारी घोषणा के बाद फीस वसूली किये जाने के संबंध में 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान मौर्य--[मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय यह है कि मेरी पूर्ण जानकारी के आधार पर आगरा तथा फिरोजाबाद जनपद ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण उ0 प्र0 में सरकारी और अर्धसरकारी सभी शिक्षण संस्थाओं में इण्टर तक के छात्रों से पूर्ववत पूर्ण फीस ली जा रही है, और छात्र जब यह कहते हैं कि शासन द्वारा फीस माफ कर दी गयी है, तो यह कहा जाता है कि हम रे पास शासन के इस तरह के कोई आदेश नहीं है । स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि लाखों छात्र फीस की अदायगी के अभाव में अपने घर पर बैठे हैं और उनका शैक्षणिक जीवन अन्धकारमय हो गया है । यहां तक कि हरिजन छात्रों से भी सम्पूर्ण फीस वसूल की जा रही है, जिसके कारण छात्रों में भारी असंतोष तथा आक्रोश व्याप्त है ।

अतः मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय सदन तथा शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए सभी शिक्षण संस्थाओं में फीस माफी का शासनादेश शिघ्र भिजवाने,

---

नोट :--[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार पढ़ा हुआ माना गया ।

[श्री चन्द्रभान मौर्य—]
अब तक जो छात्र फीस नहीं जमा कर पाने के कारण अपने घर बैठे हैं, को पुनः शिक्षा में प्रवेश कराने तथा सभी छात्रों को इस घोषणा का पूर्ण लाभ दिलाने तथा इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की शासन से मांग करता हूं ।]

बदायूं नगर मे पेय जल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—[मान्यवर. बदायूं नगर में इस समय पानी का भीषण संकट है, नगर के कई मोहल्लों मे पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण क्षेत्र की जनता में तीव्र रोष व्याप्त है।

बदायूं नगर में 8 नलकूप तथा 4 अवर जलाशय हैं, जिनमें 4 नलकूप इस समय खराब हैं, एक अवर जलाशय का उपयोग भी नहीं हो पाता है। बदायूं नगरपालिका में इस समय कोई जलकल अभियन्ता भी नहीं है, ऐसी दशा में बदायूं नगरपालिका पानी की नियमित सप्लाई देने में पूर्णतः विफल हो गई है, जो नलकूप खराब हो जाते हैं उन्हें भी पालिका इस समय ठीक कराने में सक्षम नहीं हो पाती, जिसके कारण बदायूं नगर के मोहल्लें शेखपट्टी टोला कूंचा साद अली, विजय नगर आदि में पानी नहीं पहुंच रहा है। अतएव बदायूं नगर की जनता को पानी मिले, इसके लिए तत्काल जलकल अभियन्ता को नियुक्त किया जाय, खराब पड़े चारों नलकूपों को तुरन्त ठीक कराया जाय। जो अवर जलाशय उपयोग में नहीं आ रहा है, इसको उपयोग में लाने की स्थिति में लाया जाय तथा स्थाई हल के लिये कम से कम 4 नये नलकूप लगाये जाये। नगर में कई पाईप बिछाने के लिये शासन जल निगम को शीघ्र अतिरिक्त धन दे, जिससे बदायूं की जनता को पानी मिल सके।]

जनपद फर्रुखाबाद की तहसील सदर की ग्राम बल्ली पटटीरानी में गंगा नदी के कटान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विमल प्रसाद तिवारी—[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद फरूखाबाद की तहसील सदर के परगना अमृतपुर के ग्राम–बलीपट्टी रानी गंव मे गंगा नदी से हो रहे भारी कटान का अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यदि यह कटान रोकने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा अविलम्ब अतिरिक्त स्टड न बनाये गये, तो इस कटाव से यह गांव ही सफा नहीं हो जायगा, वरन् इटावा–बरेली मार्ग भी गंगा के पुल के आगे कट जायगा वरन् शासन को करोड़ों रुपये की क्षति होगी।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के मामले को शासन के संज्ञान में लाते हुये सिंचाई विभाग द्वारा इस ग्राम में स्टड बनाये जाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—नियम 300 में 7 सूचनायें प्राप्त हुई, सभी अस्वीकार की गयी। नियम 56 में जो सूचनायें आई थी सभी अस्वीकार की गयी।

नोट :—[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार पढ़ा हुआ माना गया।

(व्यवधान)

यह सदन कल 11 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 47 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

25 फरवरी, 1991 ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 25 का का उत्तरपीछे पृष्ठ 37 पर)

सूची

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम
1—	राष्ट्रीय इण्टर कालेज, तुलकोलिया
2—	मौलाना आजाद इ० कालेज कादिरखाड़
3—	शिवपति इण्टर कालेज, शोहखगढ़
4—	जनता उ० मा० विद्यालय, बनियाडीह
5—	पीपुल्स इण्टर कालेज, डुमरियागंज
6—	जनता इण्टर कालेज, गौरा बाजार
7—	रतनसेन इण्टर कालेज, बांसी
8—	शान्ति निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छतहरी
9—	जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उदयराजगंज

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र (1991) के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री कुंवर सिंह नेगी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0–27 के उत्तर का संलग्नक

क्र0 सं0	विभाग का नाम	माननीय विधायक को आमन्त्रण पत्र भेजने की तिथि	माननीय विधायकों द्वारा निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण योजनाओं का नाम व स्थल	विधायक जी द्वारा दिये गये निर्देश/सुझावों का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6
1–	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	जन0, 1990 स्वंय के कार्यक्रमानुसार क्षेत्र में आये	25-10-90	ग्राम सभा मालबज्वाड देवल गधेरे पर पुल निर्माण	—
			28-10-90	वनीकरण बलाण निर्बल वर्ग खेता	योजनाओं की गुणवत्ता पर सन्तोष व्यक्त किया गया।
2–	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	23-1-1991	28-1-1991	जूनियर हाईस्कूल सोनला (कर्णप्रयाग)	भवन का निरीक्षण कर उद्घाटन के उपरान्त शिक्षा विभाग को हस्तगत किया गया।
3–	जिला हरिजन एवं समाज कल्याण	27-1-1990	—	—	—
4–	अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण)	—	—	—	—
5–	आलू विकास अधिकारी	—	—	—	—
6–	जिला पंचायतराज अधिकारी	23-7-90 9-10-90	—	—	—
7–	जिला उद्यान अधिकारी	10-8-90	—	—	समयाभाव के कारण मा0 विधायक जी उपस्थित नहीं हो पाये।

8—जिला सहायक निर्बंधक सहकारी समितियां	—	—	—	—
9—जिला पशुधन अधिकारी	—	21-4-90	पशु चिकित्सालय नार्टी	मा0 डा0 शिवानन्द नोटियाल द्वारा उक्त चिकित्सालय भवन का उद्घाटन किया गया।
10—कृषि रक्षा विभाग	—	—	—	—
11—जिला क्रीड़ा अधिकारी	29-11-90 को व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया गया।	29-11-90	1—महिला खेलकुद प्रतियोगिता का निरीक्षण पुलिस मैदान गोपेश्वर 2—निर्माणाधीन स्टेडियम के संबंध में वार्ता तथा तरणताल निर्माण हेतु भूमि के चयन संबन्धी वार्ता	मा0 विधायक श्री कुंवर सिंह नेगी बद्री केदार क्षेत्र द्वारा निर्माणाधीन स्टेडियम में प्रगति लाने संबंधी निर्देश लो0नि0वि0 गोपेश्वर को दिये साथ ही क्रीड़ा हाल एवं तरणताल के शीघ्र निर्माण के निर्देश भी दिये।
12—भूमि संरक्षण विभाग	1034-37 दि0 1-8-90	2-9-90 24-9-90 25-9-90	1—सणकोट, नाखोली असेड़ 2—पल्ला, जखोला, किमाणा 3—द्विग, लांझी, ह्यूण	मा0 विधायक जी ने बड़े नालों पर स्ट्रकचर तार जाली में बनवाने तथा बनीकरण की परियोजना लेने हेतु निर्देश दिये तथा अल्प सिचाई योजनाओं की सफलता पर हर्ष व्यक्त कर क्षेत्र में अल्प सिचाई तथा अन्य योजनाओं को लेने के निर्देश दिये।

1	2	3	4	5	6
13	लघु सिंचाई विभाग	1516-18, दि0 26-10-90	—		—
		313 दि0 23-7-90	4-9-90	विकास खण्ड घाट	—
			22-9-90 से 25-9-90 तक	विकास खण्ड जोशीमठ	
			22-10-90 से 29-10-90 तक	नारायण देवाल थराली	—
		654 दिनांक 22-12-90	—	—	—
14	चिकित्सा विभाग	1—डा0 शिवानन्द नौटियाल दिनांक 7-8-90 एवं दिनांक 28-12-90	—	—	मा0 विधायक जी निरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हो पाये।
		2—श्री कुंवर सिंह नेगी दिनांक 7-8-90 एवं दिनांक 28-12-90	—	—	मा0 विधायक जी निरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हो पाये।
15	आवास विकास परिषद्	दि0 3-9-90	—	—	—
16	लोक निर्माण विभाग	—	12-9-90	सल्ड डंग्रा मोटर मार्ग	सल्ड-डंग्रा मोटर मार्ग पर कार्य नही किया जा रहा है। क्षेत्र विकास की दृष्टि से मार्ग निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश विधायक जी द्वारा दिये गये हैं।
17	बद्रीनाथ वन प्रभाग	1692/दि0 22-10-90 (7-बद्री केदार क्षेत्र)	—	—	मा0 विधायक जी निरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हो पाये।
		1763/दि0 25-1-90 (6-कर्ण प्रयाग क्षेत्र)	—	—	—
18	[illegible] निगम	दि0 16-1-91	—	—	—
19	[illegible] विभाग	657/दि0 30-7-90	—	—	—

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, इलाहाबाद के विकास खण्ड कौड़िहार होलागढ़, सोराम, एवं मऊआइमा के नम्बरी गांवों को दूसरे गांवों में सम्मिलित किये जाने की सूची ।

वर्ष 1967 के गजट के अनुसार सृजित गांव सभा	सम्मिलित गांव	नवसृजित गांव सभा वर्ष 1978 गजट के अनुसार	सम्मिलित गांव
1	2	3	4
1. जगदीश पुर चंदा	1. जगदीशपुर पुर चन्दा 2. चक ठाकुरराम	1. चक ठाकुर-राम	1. चक ठाकुर-राम
2. भावापुर	1. भावापुर	1. डीहा	1. डीहा 2. राजापुर मकसूदना
3. मिर्जापुर उर्फ बरई शिव	1. मिर्जापुर बरई शिव 2. राजापुर मकसूदना		
4. मुहम्मदपुर नवगवा	1. मुहम्मदपुर नवगवां 2. चक मोहनदास 3. नसीरपुरदायम	1. नसीरपुरदायम	1. नसीरपुर दायम
5. यूसुफपुर	1. यूसूफपुर 2. तुलापुर अब्दालपुर 3. शेषपुर सड़वां	1. तुलापुर ता0 अब्दालपुर	1. तुलापुर ता0 अब्दासपुर 2. शेषपुर-सड़वा
6. फूलपुर उर्फ लूसनपुर	1. फूलपुर उर्फ लूसनपुर 2. भसवां उर्फ हाजीगंज	1. भसवां उर्फ हाजीगंज	1. भसवां उर्फ हाजीगंज

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड भटहट/पिपराइच में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों की सूची :—

क्रम सं0	ग्राम विकास अधिकारी का नाम	योगदान की तिथि	
		जनपद में	विकास खंड में
1	2	3	4
	विकास खण्ड भटहट		
	सर्व श्री		
1	—हनुमान सिंह	8—3—79	21—6—84
2	—महातम मिश्र	1—8—79	7—8—84
3	—जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव	17—1—78	12—4—85
4	—चन्द्रपति सिंह	13—7—79	26—6—85
5	—हरिश चन्द्र सिंह	2—10—88	17—10—88
6	—ओम प्रकाश तिवारी	9—5—84	11—7—86
7	—रघुपति सहाय	3—9—71	25—8—87
8	—रणधीर सिंह	2—7—76	23—9—88
9	—वेचन प्रसाद पाण्डे	15—6—82	28—6—90
10	—राजदेव शुक्ल	16—7—90	8—8—90
11	—महेश नारायण	14—4—62	20—7—87
	विकास खण्ड पिपराइच		
	सर्व श्री		
1	—अभिरूद्ध सिंह	10—7—77	2—7—84
2	—काशी प्रसाद	2—7—87	2—7—87
3	—रामवृक्ष सिंह	9—7—76	18—5—84
4	—काशी नाथ पाठक	19—7—81	13—7—88
5	—अयोध्या प्रसाद पटेल	5—8—88	9—8—88
6	—राजिन्द्र प्रताप नारायण सिंह	5—6—82	28—9—86
7	—हरेन्द्र उपाध्याय	25—10—62	22—7—89
8	—योगेन्द्र प्रताप सिंह	13—6—84	3—10—89
9	—दरोगा मिश्र	30—9—89	5—10—89
10	—व्यास मुनि तिवारी	20—6—81	7—7—89
11	—अली हुसैन अंसारी	29—5—90	11—6—90
12	—बसीर मोहम्मद	25—7—83	7—9—90

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 82 पर)

नियमित कर्मचारियों की सूची 15 कर्मचारी का नाम तथा पद

			नियुक्ति की तिथि
1.	सर्वश्री	राम प्रसाद, वरिष्ठ सहायक	13-9-60
2.	,,	कृष्णलाल, वरिष्ठ सहायक	14-9-60
3.	,,	भगवती प्रसाद, वरिष्ठ लिपिक	10-7-64
4.	,,	हृदय नारायण चौधरी, वरिष्ठ लिपिक	29-9-72
5.	,,	चन्द्रपाल रावत, कनिष्ठ लिपिक	20-9-80
6.	,,	नन्हई, कनिष्ठ लिपिक	10-5-82
7.	,,	राम औतार, भंडारनायक	3-12-68
8.	,,	विक्रम लाल, चपरासी	2-7-73
9.	,,	गंगा प्रसाद, हेल्पर	1-3-77
10.	,,	राम नारायण, हेल्पर	4-8-75
11.	,,	बाबादीन, हेल्पर	1-3-80
12.	,,	हरीश चन्द्र, हेल्पर	1-3-77
13.	,,	महाबीर, वायरमैन	1-3-80
14.	,,	जय दयाल, वायरमैन	1-3-80
15.	,,	बद्री प्रसाद वायरमैन	20-12-88

कार्य प्रभारित अधिष्ठान पर कार्यरत कर्मचारी

1.	,,	कल्लू, पम्प चालक	1-4-86
2.	,,	मिठाई लाल, लिफ्टमैन	1-5-86
3.	,,	महेश प्रसाद, पम्प चालक	8-6-84
4.	,,	परशुराम, चौकीदार	17-5-89

स्थाई मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारी

1.	,,	राम औतार. हेल्पर	1-5-81
2.	,,	रमेश चन्द्र. पम्प चालक	1-1-84
3.	,,	कन्हई लाल	1-1-87
4.	,,	राम कुमार	1-1-87

अस्थाई मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारी

1.	,,	चन्द्रपाल हेल्पर	1-9-84
2.	,,	छत्रपाल, हेल्पर	20-6-87
3.	,,	बाबूलाल, लिफ्टमैन	1-3-85

4.	सर्वश्री	श्रवण कुमार लिफ्टमैन	1-7-85
5.	,,	जगन्नाथ, लिफ्टमैन	1-1-85
6.	,,	लल्लू राम, हैल्पर	23-5-84
7.	,,	दयाशंकर, हैल्पर	20-4-84
8.	,,	राकेश कुमार, प्लम्बर	1-1-85
9.	,,	दिलीप कुमार, हैल्पर	1-8-85
10.	,,	राम बाबू, हैल्पर	26-5-85
11.	,,	चन्दिका प्रसाद, प्लम्बर	20-8-84
12.	,,	लाल चन्द्र, हैल्पर	1-6-84
13.	,,	मोती राम, हैल्पर	1-3-85
14.	,,	गंगा प्रसाद, हैल्पर	10-3-85
15.	,,	शिवनाथ, पम्प चालक	26-5-85
16.	,,	मुनेश्वर, हैल्पर	1-3-84
17.	,,	राम प्रकट, हैल्पर	26-8-85
18.	,,	माता प्रसाद, हैल्पर	20-6-84
19.	,,	प्रेम चन्द्र, हैल्पर	20-6-84
20.	,,	राम प्रसाद, हैल्पर	26-7-85
21.	,,	रज्जन लाल, हैल्पर	1-6-84
22.	,,	बुद्धिराम, हैल्पर	24-7-87
23.	,,	हरीश चन्द्र , हैल्पर	18-6-87
24.	,,	नोमीलाल, वायरमैन	26-2-87

विद्युत महा

नत्थी 'च'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 168 का उत्तर पीछे पृष्ठ 99 पर) ।

शिकायतकर्ता श्री रामसनेही तिवारी के पत्र दिनांक 9-7-1990 में लगाये गये मुख्य शिकायती बिन्दुओं का विवरण:—

1--प्रति वर्ष जुलाई माह में छात्र प्रवेश के नाम पर प्रत्येक प्रवेशार्थी से अवैध वसूली किया जाना ।

2--विशेष शुल्क के अतिरिक्त 10.00 रुपये प्रति फार्म की दर से प्रवेश फार्म की बिक्री विद्यालय के सहायक लिपिक द्वारा वसूल किया जाना ।

3--पांच रुपया प्रति माह की दर से उन्नयन शुल्क के रूप में प्रत्येक छात्र से अवैध वसूली किया जाना ।

4--शुल्क मुक्ति के फलस्वरूप पूर्व माह जुलाई तथा अगस्त में वसूल की गई पूर्ण शुल्क में से शेष धनराशि को छात्रों को वापस न किया जाना तथा उनसे जबरन शुल्क वापसी प्राप्ति के हस्ताक्षर कराया जाना ।

5--450.00 की दर से अनुत्तीर्ण छात्रों से धन लेकर कक्षा-9 उत्तीर्ण की टी0 सी0 दिया जाना तथा अभिलेखों की हेराफैरी कराया जाना ।

6--छात्रों से संचायिका के रूप में लिया गया धन उन्हें वापस न करना तथा उन पर अनुचित दबाव डाल कर वापसी विषयक हस्ताक्षर लिया जाना साथ ही संचायिका विषयक खातों व अभिलेखों का समुचित अनुरक्षण न कर उनमें हेराफेरी किया जाना ।

7--विद्यालय में छात्रवृत्ति की धनराशि का छात्रों को समुचित व समयबद्ध रूप से भुगतान न कर उसका गबन एवं दुरुपयोग किया जाना ।

8--विद्यालय के क्रीड़ा स्थल की भूमि का कृषि कार्य में प्रयोग कर उससे प्राप्त 2 हजार रुपये प्रतिवर्ष आय की धनराशि का दुरुपयोग व अपहरण किया जाना ।

9--विद्यालय के पुस्तकालय हेतु विभाग से दो बार प्राप्त वित्तीय सहायता धनराशि का गबन किया जाना तथा पुस्तकालय में पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं आदि का अभाव होना ।

10--विज्ञान तथा जीव-विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग कार्य न कराकर उसमें शान्ति निकेतन बालिका विद्यालय की कक्षायें संचालित कर उसका दुरुपयोग किया जाना ।

11--विद्यालय में छात्रों से जबरन धन वसूल कर टी0वी0, अलमारी, टाइप राइटर आदि खरीदा जाना तथा उसे निजी प्रयोग में लाया जाना ।

पी0 एच0 यू0 पी0 (आर0 ई0) 1 विधान सभा/206--20-6-91--572 प्रतियां ।